(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 12] पंचम् विधान सभा के बारहवें सत्र का 47वां दिवस [संख्या 6

1] [2

मंगलवार

16 नवम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री मंगलसिंह कछवाहा व श्री विजय पाल कटारा को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति

मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री. मंगलसिंह कछवाहा एवं श्री विजयपाल कटारा का निधन हो गया है।

श्री मंगलसिंह कछवाहा जोधपुर तहसील से निर्दलीय सदस्य के रूप में प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री कछवाहा अपने समय में निर्माण कार्यों के बहुत बड़े ठेकेदार थे तथा सतलज वैली कैनाल तथा गंगनहर का निर्माण इनके ठेके में हुआ। गंगनहर के निर्माण संबंधी सेवाओं के फलस्वरूप इन्हें वायसराय का प्रशंसा पत्र भी मिला। स्वर्गीय श्री कछवाहा मारवाड़ किसान सभा एवं राष्ट्रीय मारवाड़ किसान सभा के क्रमशः संस्थापक एवं अध्यक्ष थे। इनका देहांत 29 अक्टूबर 1976 को हो गया।

श्री विजयपाल कटारा डूंगरपुर सुरक्षित सीट से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर तृतीय राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वर्गीय श्री विजयपाल कटारा सार्वजनिक कार्यकर्ता थे और जन सेवा में ही इनकी अभिरुचि थी। इनका आकस्मिक निधन दिनांक 25 अक्टूबर 1976 को हुआ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(सदन में दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की व श्रद्धांजलि अर्पित की)

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री लक्ष्मणसिंह को बारहवें सत्र व श्री शांतिलाल कोठारी को 15 नवम्बर, 1976 से सत्रावसान तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य विधान सभा ने 1 अक्टूबर, 1976 से सत्र के अंत तक और श्री शांति लाल कोठारी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने 15 नवम्बर 1976 से सत्र

Page No.2

(श्री अध्यक्ष)

के अंत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

शासकीय संकल्प

संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 का अनुसमर्थन

संविधान (संशोधन) विधेयक संबंधी शासकीय संकल्प पर अग्रेतर विचार।

श्री जग मोहन सिंह !

श्री जग मोहन सिंह (छबड़ा) : मैं निवेदन कर रहा था कि संविधान में जो 44 वां संशोधन किया गया है····

श्री अध्यक्ष : बीच में एक घोषणा और।

संविधान (संशोधन) विधेयक संबंधी शासकीय संकल्प पर जो वादविवाद है वह 12 बजे तक होगा। 12 बजे सरकारी उत्तर होगा।

श्री जग मोहन सिंह : जो हाल में संविधान में संशोधन किए गए हैं, वे आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। हमारा 27 साल का अनुभव है, उसके अनुसार सामाजिक न्याय दिलाने के जो हमारे प्रयत्न हैं उनमें जहां कहीं बाधा महसूस की गई है, उसको दूर करने का ऐतिहासिक प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र के अंदर विल आफ दी पीपुल सुप्रीम होती है और वह पार्लियामेंट में वेस्ट करती है। इसलिए जनतंत्र में संसद की ही सार्वभौमिकता है और संसद को जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश के हित में संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। हमने जो पहले 42 संशोधन किए हैं वे अपने आप में स्पष्ट हैं। बीच में निर्णय गोकुल नाथ और केशव भारती के केसेज में हुए, वे निर्णय किस भावना से प्रेरित हैं ? वे किसी वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स की दृष्टि से किए गए हैं ? और जो वेसिक स्ट्रक्चर वाली बात कही गई है, वह क्या है ? संविधान का कौनसा पार्ट इम्पार्टेन्ट है, कौनसा अनइम्पार्टेन्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए संविधान के संशोधन संविधान की मूल भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं और इसकी और ज्यादा एक्सप्रेसिवनेस बताते हैं। मूल अधिकारों की बात भी कही गई है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वे सारे समाज के अधिकार को प्रदर्शित करते हैं और मूल अधिकार व्यक्तिगत अधिकार हैं। इसलिए जब भी कोई कानून बनाते हैं, जब भी सामाजिक प्रगति के लिए कानून बनाया जाता है उसमें यदि व्यक्तिगत अधिकार बाधा बनकर खड़े होते हैं तो उस पर जो सामाजिक अधिकार है वे प्रिवेल होने चाहिए और इसी भावना को हमारे संविधान संशोधनों में लक्षित करके नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है।

दूसरी बात कही जाती है कि न्यायालयों के अधिकार छीने जा रहे हैं या कम किए जा रहे हैं। इस संबंध में किए जा रहे संशोधनों को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि इस बात का बेस नहीं है और दूसरे उद्देश्यों से ही ऐसा कहा जा सकता है। केवल मात्र

(श्री जग मोहन सिंह)
जो संशोधन किया गया है वह इतना सा है कि कोई भी कानून जो जन हित में बने, अल्पमत के आधार पर जैसे पहले किया गया है, एक जज के बहुमत से उसको अवैध घोषित करके, देश की प्रगति को रोका नहीं जा सकता। ऐसे कानूनों पर दो तिहाई बहुमत से ही निर्णय लिए जा सकते हैं, यह संशोधन किया गया है। इनके पारित हो जाने से हमारे देश की प्रभुसत्ता या और किसी बात पर कोई आंच आती हो वह बात नहीं है। दूसरे कई बार ऐसे मामले हो जाते थे जिनमें आगे जाकर न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा डिफरेन्ट निर्णय हो जाते जिससे कि हमारी राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वित होने में काफी दिक्कत आती। यही कारण है कि हमारी जनता के जन हित में यह संशोधन करना पड़ रहा है। इन संशोधनों के करने का मतलब यह नहीं है कि हम न्यायालयों की पावर्स को कम कर रहे हैं या न्यायालयों की अखंडता पर किसी प्रकार का आघात पहुंचा रहे हैं। हमारा संविधान में संशोधन करने का मूल उद्देश्य यह है कि हमारे यहां जो सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति लायी जा रही है वह पूरी तरह आ सके और उसम किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आवे। दूसरी बात यह है कि जो गतिविधियां हमारे राष्ट्र के हित में नहीं हैं उनको रोकने के लिये प्रावधान किया गया है जिससे कि हमारे राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति पूरी तरह आ सके।

यहां पर विपक्ष के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि दूसरे देशों में संविधान में इतने संशोधन नहीं होते हैं जैसे फ्रान्स, वेस्ट जर्मनी, यू.एस.ए. वगैरह में। उनके यहां की परिस्थितियां और हैं, वहां के लोगों का दृष्टिकोण अलग है, वहां लोगों की इन्टेग्रिटी अपने देश के प्रति उच्चतम है। वहां के सामाजिक कानून ऐसे हैं जो कि देश की सोवरेनिटी या सार्वभौम सत्ता में किसी प्रकार का दखल नहीं करते हैं और न ही देश की सार्वभौम सत्ता को किसी प्रकार की आंच ही पहुँचाते हैं। हमने जो संविधान में संशोधन किया है उसका मतलब यह नहीं है कि हम हमारी देश की सार्वभौमकिता को समाप्त करना चाहते हैं। यहां पर जो जनता में कुछ लोग इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं यह भ्रम फैलाना ही गलत है। हमारे कान्स्टीट्यूशन के प्रिएम्बल में ही यह लिखा है कि India is socialist, democratic and secular State. यह बात सबसे पहले पन्डित नेहरू ने सन् 1936 में ही कांग्रेस अधिवेशन में कही थी····

श्री अध्यक्ष : कृपया पांच मिनिट में ही समाप्त कर दें।

श्री जग मोहन सिंह : बस दो ही मिनिट में समाप्त कर रहा हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि पन्डित नेहरूजी ने सन् 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में ही यह कहा था कि समाजवाद ही हमारा लक्ष्य है। हमारे देश का लक्ष्य सिक्यूलेरिज्म है और उन्हीं की क्रियान्विति के लिये हमारे संविधान में संशोधन किया जा रहा है जिससे जन आकांक्षाओं और जन इच्छाओं की पूर्ति हो सके। अध्यक्ष महोदय, यह जो संविधान में संशोधन लाया जा रहा है यह हमारे स्वतन्त्र भारत में बड़ा ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संशोधन होगा। इससे हमारे देश की

(श्री जगमोहनसिंह)
जनता को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने में पूरी मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का हृदय से अनुसमर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एम. जोशी!

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में संविधान के चवांलीसवें संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन पर विचार हो रहा है। मैं भी उसके समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने खडा हुआ हूं। वैसे मेरा इरादा इसमें ज्यादा निवेदन करने का नहीं है क्योंकि कल कई माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं। मैं उन्हीं बातों को तो नहीं दोहराऊंगा पर कुछ बातें जो कल नहीं कही गयी थीं और मैं समझता हूं इसके अनुसमर्थन में वह बातें आनी चाहिये थीं वह निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कई लोग इस संविधान के संशोधन का विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि आज जो भी संशोधन किये जा रहे हैं वह कांग्रेस सरकार अपने पार्टी के हित में कर रही है। लेकिन मेरा मत यह है कि आज जो संविधान में संशोधन किया जा रहा है उससे हमारे देश के संविधान की सैंकटिटी को वायलेट करना नहीं है। यह जो 44 वां संशोधन संविधान में है और जो 42 वां पास हुआ है यह कोई सुपरफिशियल नहीं है। लोग आज मिसाल देते हैं कि इंग्लैण्ड सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कन्ट्री है उसमें इतने संशोधन नहीं हुए हैं। यह बात सही है कि इंग्लैण्ड एक सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कन्ट्री है और शताब्दी बीत गयीं लेकिन उसके संविधान में इतने संशोधन नहीं हुए। इतने बड़े बडे और जल्दी जल्दी संशोधन संविधान में नहीं हुए। लेकिन वहां की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। दूसरे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यूनाईटेड स्टेट्स आफ अमेरिका जिसको कि आज दो सौ साल हो गये हैं आजाद हुए वहां भी डेमोक्रेसी है। वहां इन दो सौ सालों में में सिर्फ एक दर्जन से ज्यादा संशोधन संविधान में नहीं हुए हैं। जब कि हमारे देश को आजाद हुए 27–28 साल ही हुए हैं और इन थोड़े सालों में हमारे यहां पर संविधान में 44 वां संशोधन प्रस्तुत कर दिया और 42 वां पास कर दिया है। यह आर्गमेन्ट्स जो देते हैं वह वैलिड नहीं और सुपरफिशियल हैं। कारण यह है कि हमारे देश की कन्डीशन्स और दूसरे देशों की कन्डीशन्स में बहुत फर्क है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इसमें कई प्रकार की रेसेज रहती है, कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, कई प्रकार की संस्कृतियां यहां पर हैं। तो यहां की कन्डीशन्स का वहां से मुकाबला करना उचित नहीं है। किसी से मुकाबला करने के बारे में एक बार जोन्सन ने कहा था, "comparisons are odious." तो यह तुलना करना एक बड़ी बेढंगी बात होती है। वहां की सामाजिक और आर्थिक कन्डीशन्स अलग अलग हैं। उन परिस्थितियों का यहां की परिस्थितियों से मुकाबला करना उचित नहीं है। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, इंग्लैण्ड के कान्स्टीट्यूशन के बारे में कहा गया है, तो अगर वहां की मिसाल देते हैं तो इंग्लैण्ड का जो कान्स्टीट्यूशन है वह मेनली तो अनरिटन कान्स्टीट्यूशन है। वहां तो परम्पराओं पर काम चलता रहा है। थोड़े बहुत जो कान्स्टीट्यूशन में चार्ट्स हैं संविधान में कोई संशोधन करना हो तो वह कर दिया जाता है। जब कान्स्टी-

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

ट्यूशन ही अनरिटन है तो फिर जब चाहे तब संशोधन कर दिये जाते हैं। तो इसमें संशोधन कोई ज्यादा होने का सवाल ही नहीं है। इंग्लैण्ड के अलावा यूनाईटेड स्टेट आफ अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और फ्रांस वगैरह के कान्स्टीट्यूशन्स की जो मिसाल देते हैं तो उनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के राष्ट्र और समाज के लोगों में एक बड़ा भारी सामन्जस्य है। उनका दृष्टिकोण एक है। उनमें फन्डामेन्टल यूनिटी का आउट लुक है। दूसरे हमारे यहां पर इन सभी बातों का अभाव रहा है क्योंकि धर्म अलग अलग हैं हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं और कई क्रिश्चियन भी हैं लेकिन वहां तो धर्म एक है सिर्फ क्रिश्चियन धर्म है हालांकि उनमें भी फिरके हैं लेकिन उनका धर्म एक है क्रिश्चियन। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पता लगेगा इन यूरोपियन कन्ट्रीज की जो भाषा है वह इंगलिश भाषा है जब कि हमारे यहां पर आपको कई भाषायें देखने को मिलेंगी। यू.एस.ए., इंग्लैण्ड और दूसरे कन्ट्रीज हैं, इन यूरोपियन कन्ट्रीज की भाषायें एक दूसरे से मिलती हैं और वहां के कान्स्टीट्यूशन भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन देशों की सभ्यता, और संस्कृति का स्रोत एक है। मजहब एक है। देश चाहे अलग अलग हैं तो क्या हुआ जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंगलिश भाषा ज्यादा बोली जाती है हालांकि फ्रेन्च भाषा है, इटेलियन भाषा है पर यह सभी भाषायें निकली कहां से। उनका एक ही स्रोत है वह है ग्रीक, लेटिन भाषा से निकली हुई हैं यानि कि यूनान से निकली हैं। तो जब भाषा एक ही जगह से निकली तो उनमें एक बड़ा भारी सामन्जस्य है। उनकी सभ्यता, उनका सामाजिक दृष्टिकोण, उनकी व्यवहारिकता एक है उनमें यूनिटी है और देश के प्रति लोयलिटी है। हमारे देश में आपको कई रेसेज मिलेंगी जब कि वहां पर रेसेज एक ही प्रकार की हैं। वहां एक ही भाषा में से यानि ग्रीक भाषा से ही सभी भाषायें निकली हैं। हमारे यहां 16 भाषायें हैं। दूसरे यहां के लोग अलग अलग धर्म के हैं, हिन्दू, मुसलमान सिख, ईसाई क्रिश्चियन यह सभी हैं। इन सभी में तालमेल बैठाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसके अलावा जो भी बाहर से आये चाहे किसी धर्म के हों, कोई भाषा बोलने वाले हों यहां पर आकर बस गये और यहीं अपनी मातृभूमि बना ली। हालांकि, अध्यक्ष महोदय, क्रिश्चियन धर्म में भी काफी फिरके हैं जैसे केथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट, प्यूरीटन्स वगैरह वगैरह लेकिन वह सभी लोग मानते हैं एक ही धर्म को, सभी क्राइस्ट को मानते हैं। सभी बाइबल को मानते हैं। उनमें बड़ा जबरदस्त एकमत है, सामन्जस्य है, विचारों में समानता है। उनकी सामाजिक भावना और दृष्टिकोण एक है। क्रिश्चियन हैं तो उन सभी का क्राइस्ट में विश्वास था और है और रहेगा भी। उनकी नेशनल कानशसनेस में यूनिटी है। उनका दर्शन भी एक ही होने से यह दिक्कतें नहीं आयीं जिनसे कि उन्हें बार बार संविधान में संशोधन करना पड़े। चूंकि यह दिक्कतें हमारे सामने आयीं तो देश में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति लाने के लिये और जनता के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास करने के लिए यह संविधान में संशोधन हमें करने पड़े हैं। इस देश में यूनिटी की कल्पना नहीं की जा

Page No.6

(6)

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

सकती थी, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हमारे यहां शुरू से ही रही है। इन्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक साइन्टिफिक भावना है। विज्ञान की जो नई स्प्रिट है, उसको ग्रहण किया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हजार के पीछे एक दो आदमी साइन्टिफिक आउट-लुक रखने वाले हैं। या तो कहें कि विज्ञान के मामले में सोचने वाले लोग हैं उनमें भी तीन जबरदस्त वर्ग हैं। इसलिये भारत के संविधान बनाने वाले लोगों के लिये बड़ा नाजुक काम था कि जिस समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, काम के नाम पर विभिन्न रूपता रही है और अलग अलग मत रहे हैं, समाज के उन विभिन्न वर्गों को रि-कन्साइल करना था। किसी देश का ऐसा संविधान बनाना बहुत जरूरी होता है जिसे उस देश के सारे लोग अंगीकार करें और सहर्ष अंगीकार करें, wisest possible acceptance बहुत जरूरी होती है ताकि आगे जाकर कोई बात न उठे। भारत के विधान बनाने वालों के सामने जो कठिन समस्या थी वह यह थी कि डिफरेन्ट और परस्पर विरोधी हितों को रि-कन्साइल करना था। इसलिये विधान में बहुत सारी बातें रखनी पड़ी। पुरानी रियासतों के राजा, महाराजा और अनेक जागीरदार थे इसलिये उनके लिये प्रिवीपर्स का भी प्रावधान रखना पड़ा··

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं यह कहने जा रहा था हमारा संविधान, मैं समझता हूं और कोई नहीं कह सकता है, संसार का सबसे ज्यादा एग्जास्टिव और डिटेल्ड संविधान है संसार में इससे ज्यादा विस्तृत संविधान है जिसमें 368 अनुच्छेद है 9 शिड्यूल्स हैं और एक एक शिड्यूल में कई सूचियां है it is most detailed and exhaustive constitution of the world. जहां इतना डिटेल्ड कान्स्टीट्यूशन हो तो उसमें परिवर्तन की, संशोधन की, परिवर्द्धन की आवश्यकता पड़ सकती है। जहां पहले एकरूपता थी वहां इसकी आवश्यकता नहीं थी और इसलिये वहां विधान बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में किसी भी देश के संविधान का मुकाबला इंडियन कान्स्टीट्यूशन से नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। यहां एक समस्या और थी और वह थी पिछड़े वर्ग की। इसलिए हमको उनके लिए भी विशेष प्रावधान करना पड़ा, रिजर्वेशन करना पड़ा। जो पूंजीवादी लोग हैं, उनके लिए फन्डामेन्टल राइट का प्रावधान करना पड़ा। राइट आफ प्रापर्टीज का। ये सारे के सारे प्रावधान करने पड़े इसलिये कि हमारे समाज में विभिन्न वर्ग थे, और आपस में एक दूसरे का इन्ट्रेस्ट क्लेश होता था और इसीलिये मजबूरी थी हिन्दुस्तान के विधान बनाने वालों की और इस कारण बहुत एग्जास्टिव और डिटेल्ड संविधान बनाना पड़ा, तैयार करना पड़ा।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा एक बात कही गई इन संशोधनों के बारे में, कुछ लोग जो इसको खटाई में डालना चाहते थे उन्होंने यह कहा कि एक कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली होनी चाहिये। कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इतना विस्तृत संविधान है लेकिन

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

उसमें कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली का कोई प्रावधान नहीं है। अगर विधान बनाने वालों का यह विचार होता तो वे शायद इसके प्रावधान को भी रखते, लेकिन उनके विचार में ऐसा नही था। 368 अनुच्छेद वाले संविधान में कोई परिवर्तन अगर पार्लियामेंट नहीं कर सकती तो लाचार होकर उनको इस प्रकार कोई प्रावधान रखना ही पड़ता, लेकिन नहीं रखा। इसलिए यह दलील दी जाती है, यह बेहूदा दलील है कि direct representation of people and हमारा विधान इंगलेण्ड से ज्यादा शक्तिशाली है। इंग्लैंड में जो अपर हाउस है, वहां सारी स्टेटस के रिप्रेजेन्टेटिव नहीं होते हैं लेकिन हमारे यहां तो अपर हाऊस में विभिन्न राज्यों के अनेक प्रतिनिधि होते हैं जो राज्यों की विधान सभाओं से चुन कर आते हैं। इसलिए इससे अधिक प्रतिनिधित्व वाली बाडी दुनियां में हो ही नहीं सकती है।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक यह कहना चाहता हूं फन्डामेन्टल ड्यूटीज का सवाल ...

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें। मैंने बोलने वालों में समय बांट दिया है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : माननीय सदस्य कल भी बोले थे, मैं तो आज ही बोल रहा हूं।

श्री रघनाथ विश्नोई : जो कल बोले थे वे आज थोड़े ही बोलेंगे।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : फन्डामेंटल ड्यूटीज का विधान बनाते समय ही रखना चाहिये। आज की दुनियां का यह ट्रेन्ड है कि अधिकारों को भी कर्त्तव्यों के साथ दिया जाता है और बहुत सारे देशों ने ड्यूटीज भी साथ साथ रखी हैं। जापान, कोरिया, चीन तीनों मुल्कों के विधान में फन्डामेन्टल ड्यूटीज को लिया गया है। फ्रान्स के विधान में फन्डामेंटल ड्यूटीज हैं और कम्युनिस्ट कन्ट्री हंगरी में फन्डामेन्टल ड्यूटीज हैं। इसलिये फन्डामेन्टल ड्यूटीज भी फन्डामेन्टल राइटस के साथ रखी गई हैं। यह अधिकार सब है लेकिन हम कर्त्तव्यों के पहले पूरा करेंगे तभी इस प्रकार की स्थितियां पैदा होंगी। तभी राइटस मिल सकते हैं जब हम कर्तव्य पूरा करें। हमने आज उस कमी को पूरा किया है।

एक बात और कही जाती है ड्यूटीज को मेन्शन करने से क्या होगा जब कि वायलेशन के लिये सजा का कोई प्रावधान नहीं है। असल में जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको गियर-अप करना है। उसके अन्दर लेसन्स हों जो विद्यार्थियों को दिये जाय। उनमें हम यह पूरी तौर से स्ट्रेस करें। आखिर शिक्षा विभाग का यह दायित्व है, शिक्षा विद्यालयों का यह दायित्व है कि वह देखें कि जो ड्यूटीज रखी गयी है उनके बारे में विद्यार्थी जीवन से ही बालकों को शिक्षा दी जाय और उनका इस प्रकार का ट्रेंड इस ओर बनाया जाय जिससे इन ड्यूटीज को वे अपने सामने रख सकें और अपने जीवन में उनको उतार सकें। इसके अलावा समाज में भी इस

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

प्रकार का एक एटमोस्फीयर तैयार करना चाहिये ताकि नागरिक इन ड्यूटीज को पूरा करते रहें और समाज में एक नयी जागृति इन कर्त्तव्यों के प्रति पैदा हो।

एक बात का मैं खास तौर से जवाब देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जो कि बहुत ही जरूरी है। हमारे सामने बैठने वाले कुछ लोगों ने यह भी कहा कि प्रिएम्बल आफ दी कान्स्टीट्यूशन है, उसमें 'सोशलिज्म' शब्द बढ़ाया गया है। इससे एक विसंगति पैदा हो जाती है। एक तरफ हम सोशलिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ राइट आफ प्रोपर्टी की भी बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह के समाजवाद की हम बात करते हैं हमारे देश में वह समाजवाद न तो सोवियत सोशलिज्म और न ही माम्रोइस्ट सोशलिज्म की कार्बन कापी है। समाजवाद एक प्रेक्टिकेबल टर्म है जिसकी डिजाइन अलग अलग हो सकती हैं। सोवियत सोशलिज्म, माम्रोइस्ट सोशलिज्म, ब्रिटेन की लेबर पार्टी और फ्रान्स की लेबर पार्टी का सोशलिज्म, अफ्रीकन कन्ट्रीज का सोशलिज्म गांधीमय सोशलिज्म, क्लेक्टिव सोशलिज्म, विभिन्न प्रकार के कन्सेप्ट्स हैं। हमने बार बार इस बात को दोहराया है It may be socialism tailored according to our local conditions. हमारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सोशलिज्म होगा, समाजवाद होगा। जो कुछ भी हमारे जीवन की प्रणाली है, उसके अनुकूल समाजवाद होगा। वह आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार होगा। हम किसी की नकल नहीं करेंगे। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी स्थान दिया है-पब्लिक सेक्टर के साथ साथ। लेकिन चीन और सोवियत रूस में यह नहीं है। हमारा अपना एक किस्म का समाजवाद है। हम किसी की नकल नहीं करने जा रहे हैं। हम किसी की कार्बन कापी नहीं बनेंगे। हमारे कम्युनिस्ट मित्रों से यहां पर यह कहना चाहूंगा कि हम जब सोशलिज्म के लिये कह रहे हैं तो आज से दो तीन महीने पहले फ्रान्स और ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टीज ने भी एलान किया है कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी कम्युनिज्म की स्थापना के लिये उपयुक्त तरीका है। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलते हुए अपनी परम्पराओं के अनुसार हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को स्वीकार किया है और उन्होंने कलेक्टिव डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है। लेकिन उन सारी बातों को कम्युनिस्ट पार्टीज मान चुकी हैं। सोवियत रूस में भी एक बदलाव आया है, 1917 का रूड कम्युनिज्म आज रिफाइन्ड कम्युनिज्म है। इसलिये आप अपने दिमाग को उन बुद्धिवादियों के दिमाग से दूर रखें। दकियानूसी तरीकों के आधार पर आप बात करने की कोशिश न करें। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही, उसके अनुकूल ही समाजवाद को हम लागू करना चाहते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। इसी भारतीय समाजवाद से देश में बेरोजगारी और गरीबी का निराकरण करना चाहेंगे और कम से कम मिनिमम स्टेण्डर्ड आफ लिविंग मंजूर करेंगे, इसमें कोई मतभेद नहीं है। सोच समझ कर ही संविधान में 'समाजवाद' शब्द को रखा है। हमारा जीवित संविधान है और कोई इसमें रिजिडिटी नहीं है। मैं आपकी मार्फत यही कहना चाहूंगा।

धन्यवाद।

Page No.9

(9)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्षजी, 44 वां संशोधन विधेयक हमारे सत्र में रेटिफिकेशन के लिये रखा गया है उसके बारे में सदन में कल से विचार-विमर्श चल रहा है। जैसा कि उद्देश्यों में बताया गया है संविधान एक जीवित संविधान होना चाहिये और ऐसा संविधान होना चाहिये कि जो लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार हो। समय समय पर विकास की संभावनायें उसमें होनी चाहियें। इसी उद्देश्य के लिये समय समय पर जब जब भी कठिनाइयां आयीं उनको दूर करने के लिये आये दिन संविधान में संशोधन पेश होते गये। उस केटेगरी में यह संविधान का आखिरी 44 वां संशोधन विधेयक है जो कि पास हो चुका है, पार्लियामेन्ट से।

समय समय पर संविधान की धाराओं की अदालतों में जो व्याख्याएं की गयी हैं और जो जो भी डिफिकल्टीज आयीं उनको दूर करने के लिये जैसी जैसी आवश्यकता थी, जनता कि सुविधा के लिये जैसी जैसी आवश्यकता थी उस प्रकार के संशोधन संविधान में पार्लियामेंट द्वारा होते गये। जैसी लीगल स्थिति थी वैसी उन्होंने बतायी विधान सभाओं और संसद में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है और जैसी जैसी लोगों की आकांक्षायें हैं उन आकांक्षाओं को देख कर समय समय पर संविधान म संशोधन कर सकते हैं। गोलखनाथ और केशवानन्द भारती के केस में जो फैसले हुए उसके बाद संविधान में परिवर्तन की बात और प्रबल हुई। एक तरफ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट था और दूसरी तरफ गरीब तबका। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसकी बुद्धिजीवी और कानून के व्याख्याताओं ने समय समय पर व्याख्याएं की हैं। 1971 में कांग्रेस पार्टी की ओर से मेनीफेस्टो जनता के सामने प्रसारित किया गया और उसके अनुसार 71–72 में आम चुनाव हुए। जो योजनाबद्ध कार्यक्रम रखा गया था उसके अनुसार जनता ने मेन्डेट दिया। जो घोषणाएं कीं गरीबों के उत्थान के लिये, उनमें गरीबों की हालत में विकास करके सुधार लाने की बात थी, देश के विकास और उत्थान की बात थी, लैन्ड रिफार्म्स और जैसी भी आवश्यकता हो उसकी बात थी। जनता ने मेन्डेट दिया कि हम आपको फुल बहुमत देते हैं जैसा चाहें आप जनता की भलाई के लिये संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद फिर संविधान सभा की कौनसी आवश्यकता प्रतीत होती है। जनता की प्रतिनिधित्व वाली संसद है और हमारा घोषणा-पत्र है। दो बार जनता का मत लिया गया पहले सन् 1971 में और फिर उसके बाद सन् 1972 में। जनता ने 3/4 से भी अधिक बहुमत दिया तो फिर इसमें कन्फयूजन नहीं रहता है। संविधान में संशोधन करने के लिए जैसे प्रिवीपर्स का मामला आया, प्रापर्टी का मामला आया इसके साथ ही अदालतों के लिए 2/3 जजेज के जजमेंट का प्रावधान रख दिया है। वहां से लैण्ड रिफार्म्स किये गये और दूसरे कई अच्छे कदम उठाये गये लेकिन लोग कोर्ट से स्टे आर्डर्स ले आये और मामला चलता रहा। जो हम सुधार करना चाहते थे उनके लिए विधान सभा और संसद ने जो कानून पास किये थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने प्रयत्न किये लेकिन कोर्ट से स्टे आर्डर्स बार बार आ गए। कांग्रेस से भी कुछ विचार धारा के लोग अलग हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर सिम्बल के बारे में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

फैसला हुआ और स्टे आर्डर हो गया। तो सारी कठिनाइयां होने के बावजूद भी पब्लिक का मेन्डेट हमारे सामने आया कि आप पूर्ण रूप से जो चाहते हैं कर सकते हैं। पहले बहुमत बहुत कम था और संविधान के अन्दर संशोधन करने में डिफिकल्टी थी क्योंकि संशोधन पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। संविधान में यह है कि राष्ट्रपति और पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं। जब जनता के सामने मेंडेट आया तो बाद में करीब एक डेढ़ साल से विचार विमर्श होने के बाद में जो हमारे पिछले 30 वर्षों के अनुभव थे और जनता की बेहतरी के लिए हमें जो कुछ करना चाहते थे, उसके लिए मेंडेट मिला कि जो पालिसी मेकर्स हैं वह जो कानून बनाना चाहते हैं वह कानून बनायें। वह केवल यह देखें कि संसद की क्या मन्शा है और कानून के पीछे क्या मन्शा है। यह बात तो संसद में ही प्रदर्शित होती है। अदालत इन चीजों की पुष्टि नहीं कर सकती। इस डिस्प्यूट को लेकर जब मामला सामने आया तो यह आवश्यकता हुई कि जो मेजर संशोधन हैं उनके लिए पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और यह संशोधन संसद में ही प्रस्तुत हुए। जो कोर्ट्स की पावर्स हैं उनको कहीं कर्ब नहीं किया है। केन्द्रीय कानून के अन्दर अगर कहीं डिस्प्यूट है तो उसका मानना यह है कि एक ही न्याय प्रणाली होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ही इस बारे में काम्पीटेन्ट रखा है उसमें 2/3 जजेज के हिसाब से ही जजमेन्ट हो ताकि एक ही तरह की कानून की व्याख्या हो। तो इन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए और यह प्रावधान यूनेनीमसली रख दिया गया तो कहीं डिफिकल्टी आती है क्या? पहले चाहे जिसके लिए स्टे आर्डर ले आये और फिर सालों तक वह स्टे आर्डर वैकेट नहीं होता था। एक बार इश्यू करा कर फिर दो तीन महीने की पेशी होती थी और इस तरह से काफी लम्बे अर्से तक केसेज चलते रहते थे। इसी तरह से किसी भी राज्य कर्मचारी के लिए कुछ हुआ तो वह खट से स्टे आर्डर ले आता था। तो जो शासन की व्यवस्था थी उस को ठप्प कर दिया गया ऐसा प्रतीत होता था। इस तरह से इन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया और जहां डिफिकल्टीज हैं, वहां ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता हुई, इसके अलावा लैण्ड रिफार्म्स करने के प्रश्न को लेकर रिट वगैरह का काम बहुत बढ़ गया। इसलिए इसमें कुछ संशोधन ऐसे किये गये ताकि फालतू का लिटिगेशन नहीं बढ़े और कुछ ट्रिब्यूनल्स की स्थापना हो जाये और वह ऐसे केसेज को टेक-अप कर लें। जो केसेज बहुत ही निहायत जरूरी हों उनको तो सुप्रीम कोर्ट की कान्सटीट्यूएन्ट बेन्च है वह डिसाइड कर दे। तो मेरे ख्याल से जो सब जगह हल्ला चला कि डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है यह कहां हो रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह मामला संसद में भी (पार्लियामेण्ट और राज्य सभा में) यूनेनीमस तरीके से एडाप्ट किया गया है और जो अच्छे-अच्छे बुद्धिजीवी हैं और भिन्न भिन्न संस्थायें हैं उनकी ओपीनियन को ध्यान में रख कर और हर एक का ओपीनियन को ध्यान आउट करके संविधान संशोधन पार्लियामेन्ट ने पास किया है और रेटीफिकेशन के लिए यहां प्रस्तुत हुआ है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इसमें

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यही विचार है कि जो भी संशोधन विधेयक पेश हुआ है और जो भी उसमें संशोधन किये गये हैं वह जनता की भलाई के लिए हैं गरीबी दूर करने के लिए हैं। समाज आगे बढ़ता जा रहा है उसमें टंटे झगड़े, साम्प्रदायिकता, संकीर्णता, और तोड़फोड़ करना इन सारी चीजों को मिटाने के लिए जनता की बेहतरी के लिए इसको रखा गया है और इसमें ड्यूटीज निर्धारित की गई हैं। देश के विकास के लिए यह संशोधन लाया गया है और इसी मंशा से यह पेश किया गया है, यह बहुत ही उपयुक्त है। जो माननीय कानून मंत्री जी ने जो संकल्प रखा है मैं उसका पूर्ण रूप से इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं।

श्री शोभाराम (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहस समाप्त होने वाली है इसलिए मैं सूक्ष्म में दो तीन बातें आपके सामने निवेदन करूंगा। पहली बात तो यह है कि हम कतई मूलभूत अधिकारों को समाप्त नहीं कर रहे हैं। यह सही है कि जो हमने आर्थिक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और गरीबी को हटाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उस काम को करने के क्रम में यदि मूलभूत अधिकार और निदेशक सिद्धान्त के बीच में कोई टकराव आता है तो हम मान्यता किस को दें ? निदेशक जितने सिद्धान्त हैं, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं वह पूरे समाज की बहबूदी के लिए बने हुए हैं, और जो मूलभूत अधिकार हैं वह एक इन्सान की खुद की जिन्दगी के बारे में हैं। बदकिस्मती से यह प्रचार किया गया कि संसद न्यायपालिका से झगड़ा करके उसको खत्म करने की ओर जा रही है। यह गलत बात है। मैं यह मानकर चलता हूं कि सन् 1951 से अगर हम घटनाओं को देखें तो पार्लियामेन्ट ने तो न्यायपालिका के फैसलों को हमेशा आदर की दृष्टि से ही देखा है चाहे वह शुरू में शंकरीप्रसाद का केस हुआ, चाहे सज्जनसिंह का हुआ और चाहे जागीर एबालिशन करने का, बाजार भाव पर उनको मुआवजा देने का प्रश्न आया, जब जब न्यायपालिका ने फैसला किया उनको वैधानिक रूप देने के लिए संसद ने विधान में तरमीम की है। पार्लियामेन्ट कभी कन्फ्लिक्ट में नहीं आई। इसलिए यदि यह कहें कि पार्लियामेन्ट कभी न्यायपालिका के कन्फ्लिक्ट में आई तो यह बात गलत है। बल्कि यह कहना चाहिए कि न्यायपालिका ही कन्फ्लिक्ट में आई है। मुझे अच्छी तरह से याद है सन् 1951 में, कुछ वकील साहबान मुझे माफ करेंगे, पंडित जी ने बहुत जोरदार बात कही थी। पंडित नेहरू ने सन् 1951 में कहा था कि हमने जो सुन्दर प्लान बनाया था उसको वकीलों ने हथिया लिया है और छीन लिया है। इसका कारण यह हो सकता है कि कुछ तो लापरवाही प्रणाली की थी। उसने ही इस कार्यवाही को रोका। तो सन् 1951 में पंडित जी ने इसको अच्छी तरह से कह दिया था।

दूसरी बात यह है कि संविधान में तरमीम करने का बुनियादी अधिकार पार्लियामेन्ट को है। फैसला यह करना है कि सार्वभौम सत्ता पार्लियामेन्ट में निहित करती है या दूसरी जगह ? यहां यह प्रश्न है और इस प्रश्न को कई दफा हम तय कर चुके हैं। 44 वें संशोधन के मौके पर ही कुछ लोगों ने आवाज उठाई। कुछ ने यह कहने की कोशिश की कि यह जुडिसियरी सिस्टम को खतम करना चाहते हैं।

(श्री शोभाराम)

लेकिन आप और हम यह भूल गये हैं कि इसके पहले 43 संशोधन संविधान में किये जा चुके हैं। आपको यह मालूम होगा कि यहां पर जब हमने जागीरों को खत्म किया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में यहां के जागीरदार गये थे यह कहने के लिए कि बाजार भाव से हम को मुआवजा मिलना चाहिए। आर्टिकल 31 (सी) के अन्दर तरमीम कर के उनकी इस बात को रद्द कर दिया गया। इसमें जुडिसियरी और गवर्नमेन्ट के बीच कभी कोई टकराव नहीं हुआ। गोलकनाथ, केशवानन्द भारती जिस प्रकार के दो–तीन कैसेज में फैसले हुए उनसे कुछ ऐसा मालूम पड़ता है, खासकर केशवानन्द के केस में, कि हम ने बुनियादी ढांचे को बदल दिया है। मैं माफी चाहता हूं, बुनियादी ढांचे के लिए अगर आप देखें तो संविधान में भी पांच बुनियादी बातें ढांचे के लिए निर्धारित हैं। उनको हम देखें तो हमने इस ढांचे को कतई नहीं बदला है। पहली बात यह है कि संसदीय प्रणाली होगी। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी होगी। यह सिस्टम हमारा चालू रहेगा। दूसरी बात यह है कि केन्द्र और राज्यों के बीच में कार्यों का बंटवारा किस प्रकार किया जायेगा। तीसरा यह है कि बालिग मताधिकार हो। चौथी मूल बात यह है कि संसद और विधान सभाओं के चुनाव होते रहने चाहिएं। और पांचवी बात यह है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में इस प्रकार के सम्बन्ध होने चाहिएं, ये पांच बुनियादी चीजें हैं। बेसिक ढांचा है। इसको हम कबूल करके चलते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भारत सरकार ने यह नहीं कहा है कि चुनाव नहीं कराये जायेंगे। पता नहीं कैसे इस प्रकार की बहस पैदा हो गई। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि आखिरकार जब जब कोई न कोई प्रगतिशील कानून आया, तब कोई न कोई समस्या पैदा करता है। हमने अलाटमेन्ट की जो बात कही उसमें कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं। वेस्ट बंगाल का मुझे अच्छी तरह से मालूम है, वहां के मुख्य मंत्री ने जमीन का आवंटन किया, उस वक्त 1 लाख 41 हजार एकड़ जमीन पर स्थगन आदेश अदालत की तरफ से आ गये। हम काम करना चाहते हैं, गरीबी को हटाना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो हमें इन तमाम बातों को मद्देनजर रखना होगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा खास तौर से मुख्य मंत्री महोदय से कि वे अपनी केबिनेट की एक सब कमेटी बना कर इस प्रकार के कानून राजस्थान में लागू करें। इस काम को सब कमेटी देखे तो काम होगा।

अध्यक्ष महोदय, मौलिक अधिकार दो प्रकार के होते हैं, नैसर्गिक और नागरिक। नैसर्गिक अधिकार वे होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जैसे जीने का अधिकार है। हर आदमी को जीने का अधिकार है। बहुत से देशों में प्राण दंड की व्यवस्था है और जीने के अधिकार को भी वहां पर सीमित कर दिया गया है। बहुत से नागरिक अधिकारों के बारे में भी चर्चा हुई और मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने यहां पर बताया है कि किस तरह से और मुल्कों ने इन अधिकारों में तरमीम की है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में एक आदमी अदालत में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया यह कहते हुए कि यह

(श्री शोभाराम)

काला आदमी मेरी सम्पत्ति है। यह मेरा मूलभूत अधिकार है इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता है। यह आप मान कर चलें कि अदालत ने फैसला दिया गोरों के पक्ष में कि काले आदमी पर गोरों का कानूनी अधिकार है। बाद में अब्राहिम लिंकन प्रेसीडेन्ट हुए और उन्होंने एक आन्दोलन किया। प्रेसीडेन्ट बनते ही सब से पहले उन्होंने गुलामी प्रथा को खत्म किया। अमेरिका में इन्सान को गोरे आदमी सम्पत्ति मान कर चलते थे। यह सब मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि हमने गरीबी को दूर करने के लिए जो एक बुनियादी कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है उसमें न्यायपालिका अड़चन डालेगी, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, It shall be the bad day for judiciary अब इस प्रकार की बात नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि जहां दो आदमी के बीच में झगड़ा है, वहां न्यायपालिका कार्य नहीं करेगी, न्याय नहीं करेगी। तीन ब्रान्चेज हैं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सब काम करती रहेंगी। हम इ को खत्म नहीं करना चाहते हैं। विधान सभा व संसद बड़ी है और अगर देशहित में वह कोई कानून बनाती है, गरीबी को दूर करने के लिये या मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वो संविधान में तरमीम करती है तो इस चीज को अदालत के दायरे से बाहर रखा गया है। ये दो बड़ी चीजें है।

मैं इतना ही कह कर और सदन का ज्यादा समय न लेकर आपको समय देने के लिये धन्यवाद पेश करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल से 44 वें संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर चर्चा हुई। मेरे ख्याल से केवल एक आवाज के अलावा बाकी सब का एक ही मत था। इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। जिनकी आवाज विपरीत थी, उन्होंने भी यहां बैठने की कोशिश नहीं की है इसलिए कहूं तब भी किस के लिए कहूं।

अध्यक्ष महोदय, कई मुद्दे इस सम्बन्ध में उठाये गये। इस देश में इस संविधान संशोधन को रोकने के लिए इस सदन में ही नहीं इसके बाहर यह प्रयत्न किया गया कि प्रधान मंत्री और कांग्रेस पार्टी संविधान के अन्दर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहती है तो वह क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सके।

अध्यक्ष महोदय, बाज मर्तबा, साफ साफ कहना पड़ता है, इसे दूसरे रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। संविधान आखिर क्या है? अगर संविधान प्रगतिशील न हो और लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला न हो तो संविधान एक पवित्र चीज न होकर के पांव की बेड़ी बन जायेगा। चाहे इधर बैठने वाले सदस्य हों, या उधर बैठने वाले सदस्य हों, वे अपने पांव की बेड़ियों को तोड़ना चाहेंगे। अगर वैधानिक तरीके से टूट सकें तो वैधानिक तरीके से तोड़ेंगे और वैधानिक तरीके से नहीं टूट सकती हैं तो लोग-बागों ने वैधानिक तरीके के अलावा दूसरे तरीके भी अख्तियार किये

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं इस प्रकार की बेड़ियों को तोड़ने के लिए। इस देश के लोगों को, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। जब अंग्रेजों की हुकूमत को हटाने की बात कही गई थी तब वह इसलिए नहीं थी कि इस देश के अन्दर जजेज का राज्य कायम करना था, बल्कि इस देश के अन्दर एक ऐसी मशीनरी कायम करना था जो इस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बहबूदी के लिए काम करे। अगर वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बहबूदी के लिए काम नहीं करती है तो स्टेग्नेन्ट हो जाती है, और उसमें सड़ान्ध पैदा हो जाती है। संविधान के संशोधन की बात को इस रूप से देखने की आवश्यकता है। जब भी हमें यह महसूस हुआ है, तब हमने संविधान में संशोधन किया। पहला संशोधन, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, वह 1951 में हुआ जब कि उसी साल हमने कान्स्टीट्यूशन पास किया था। जिस साल हमने कान्स्टीट्यूशन पास किया उसी साल जिस दिन हमें महसूस हुआ कि कहीं पर गलती रह गई है तो दूसरे दिन उसको दुरुस्त कर दिया। आप यह समझें कि आपके शरीर में कहीं बीमारी है तो उसको आप ठीक नहीं करेंगे तो आप समझदार आदमी नहीं हैं। स्टेट बाडी-पोलिटिक्स में अगर कहीं कमजोरी रह जाती है कोई बीमारी रह जाती है उसको अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो आप देश को खराब कर देंगे।

सी. पी. एम. के माननीय सदस्य ने कहा कि आप चुनाव के बाद में संशोधन करते तो ज्यादा अच्छा था। अध्यक्ष महोदय, सी. पी. एम. भी एक अजीब पार्टी है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हम माईनोरिटी में थे और राजा महाराजाओं के अधिकारों को समाप्त करना चाहते थे 1970–71 में उस समय उन्होंने हमको सपोर्ट किया। उस समय तो यह आसानी से कह सकते थे कि हम माइनोरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके साथ में देश का बहुमत नहीं है। उस समय उन्होंने हमारा साथ दिया, मगर इस बार जैसा हमने अपने मेन्डेट में कहा था कि कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, करना चाहते हैं, इसलिए हमें वोट दो। यह मांग करके हम चुनाव में उतरे थे, और देश ने हमारी मांग को कबूल किया था और हमें प्रबल बहुमत दिया तो अब हमको यह कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं।

अध्यक्ष महोदय, हम यह संशोधन क्यों करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि स्वराज्य का तात्पर्य देशी राज्य नहीं है। स्वराज्य का तात्पर्य सोशियो-इकोनामिक ट्रान्सफार्मेशन आफ दी सोसायटी है। अगर सोशियो इकोनामिक ट्रान्सफार्मेशन आफ दी सोसाइटी नहीं होता है तो हमारी कोई इज्जत नहीं कर सकता है। इसलिए बीच में कोई भी रोड़ा इसके अन्दर आयेगा उसको अगर तसल्ली से हटाया जा सकता है तो तसल्ली से हटायेंगे और अगर तसल्ली से नहीं हटेगा तो उसको सख्ती से हटाया जायगा। हम यह समझते हैं कि हमारे देश में हिंसा को नहीं आने देना चाहिए। संसार के और मुल्कों में क्या हुआ था उसको बुद्धिपूर्वक समझने की कोशिश की जाय। एक प्रकार का शासन जब अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सका तो जोर

(श्री हरिदेव जोशी)

जबरदस्ती से शासन को हटाना पड़ा, क्योंकि जनता का प्रबल बहुमत उनको मिला। हमारे सामने बांगला देश का एक उदाहरण है। वहां पर पाकिस्तान की हुकूमत थी, और उस हुकूमत को वहां के एक-एक आदमी ने लड़कर खत्म किया। क्यों किया ? इसलिए किया कि लोगों में एक स्प्रिट थी, लोगों में अमुक प्रकार की भावनाएं थीं और वहां का शासन लोगों की कल्पनाओं को और भावनाओं को साकार नहीं कर पाया। उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक अभिव्यक्तियों के लिए उनको कोई साधन नहीं दे पाया, इसलिए उन्होंने उसको समाप्त कर फेंका। क्या आप चाहते हैं कि इस देश में भी वैसा ही हो ? इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम गतिशील होवें, कान्स्टीट्यूशनल चेन्जेज होवें, वैधानिक तरीको से चेंजेज होवें, वे हमारी कल्पनाओं और भावनाओं के अनुकूल होवें। वह चेंजेज इस प्रकार का होवें कि समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिले। दुर्भाग्यवश यह हमारे ही मुल्क में ही नहीं हो रहा है, दुनियां के दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है। समाज की कल्पनाओं को मूर्त रूप देने में रोड़ा अदालतों का आता है। अदालतें बाज मर्तबा एक बन्धे हुए दिमाग से सोचती हैं। शब्दों का अर्थ डिक्शनरी में यह होता है इसलिए यह यों ही हो सकता है। यह उस रूप में, उस दृष्टि से नहीं लेती है, उसके भावार्थ को नहीं लेती हैं कि समाज किस रूप में उसको देखना चाहता है। मैं इसको कन्सोलिडेशन तो नहीं कहता, मगर इस प्रकार के तनाव इससे बहुत पहले अमेरिका के जीवन के अन्दर भी आये हैं। अमेरिका के प्रेसीडेन्ट को वहां की ज्युडिसियरी के बाबत सख्त लफ्जों का इस्तेमाल करना पड़ा। एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इस देश का शासन और जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है ? क्या अदालतों में बैठने वाले जज करते हैं या विधान सभा और लोकसभा में बैठने वाले जन प्रतिनिधि करते हैं जो कि हर 5 साल के बाद में चुन कर आते हैं ? निश्चित रूप से इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट करती है, विधान सभाएं करती हैं। अगर जनता का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट करती है तो पार्लियामेंट सर्वोच्च शक्ति है, और उसको यह अधिकार है कि वह निश्चित रूप से जनता जैसा सोचती है उसी तरह से सारी की सारी मशीनरी को चलाने की कोशिश करे मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि पार्लियामेन्ट जनता की आकांक्षाओं को, एस्पीरेशन्स को पूरा नहीं कर पाती है तो पार्लियामेन्ट कमजोर है और जनता का सही मायने में प्रतिनिधित्व नहीं करती है। पहले के कई सालों में हमने देखा है कि पार्लियामेन्ट किसी हालत में कमजोर नहीं थी। अगर किन्हीं इन्टरप्रिटेशन्स के कारण पार्लियामेन्ट को अथवा चुनी हुई संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जाय तो चुने हुए प्रतिनिधियों का फर्ज हो जाता है कि उसकी इज्जत को ऊंचा उठाये रखें और उसकी इज्जत पर कोई आंच न आने दें। अदालतें क्या हैं ? अदालतें एक इन्स्ट्रूमेंट हैं न्याय देने के लिए। अगर अदालतें हमारे पांव की बेड़ियां बनकर रह जाती हैं तो अदालतें कभी भी समाज की उन्नति नहीं करा सकेंगी। जिन माननीय सदस्य ने, केवल एक ही थे वे, इस सदन में इसका विरोध किया, इस संशोधन का विरोध किया तो मुझे आश्चर्य हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : वे आ गये हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : उनकी बुद्धि पर मुझे आश्चर्य होता है । कुछ गलती ही कर रहे हों मान लीजिए, लेकिन आपने किस बात का विरोध किया है ? कान्स्टीट्यूशन में समाजवाद और सिक्युलरिज्म की बात हमने कही है । आपने कहा, वह मत कहो । वाह री साम्यवादी पार्टी, धन्य हो ! बहुत अच्छे साम्यवादी हैं आप, हम जो कि प्रगतिशील नहीं कहे जाते हैं कान्स्टीट्यूशन के अन्दर डेमोक्रेसी के साथ में सिक्यूलेरिज्म और सोशलिज्म जोडना चाहते हैं, और आप कहते है कि यह सही टाइम नहीं है इसलिए आज मत जोड़िये . . .

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : दमन के वातावरण के बीच में यह सही नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : दमन के बीच और दमन के जरिये आप साम्यवाद लाना चाहते हैं । समाजवाद लाना चाहते हैं कि नहीं ? प्रश्न तो यह है कि क्या हिंदुस्तान में समाजवाद होना चाहिए ? इसके लिए जो कान्स्टीट्यूशन के अन्दर अमेंडमेंट लाना चाहते है उसको आप रोकना चाहते हैं, या हमारे हाथों को मजबूत करना चाहते हैं ? क्या आप हमको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : (श्री मोहर सिंह से) आप बैठ जाइये । बीच बीच में न उठें ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी और बलराज मधोक भी इसका इस तरह से विरोध नहीं करते जिस तरह से सी.पी. एम. ने किया है । दुर्भाग्यवश इस देश में राजनीति छद्मवेश के अन्दर काम करने के एक अजीब माध्यम में बदल गई है ।

जिस समय यहां पर कान्स्टीट्एन्ट असेम्बली बनी थी तो वह कान्स्टीट्एन्ट असेम्बली कैसे बनी थी, अध्यक्ष महोदय, इस चीज को देखने की कोशिश करें । जो सैन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली थी उसके प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि थे, उस समय एक तिहाई रियासती हिन्दुस्थान था । उस एक तिहाई हिन्दुस्तान पर महाराजा, जो उस वक्त थे, के प्रतिनिधि राज करते थे । जयपुर से उस समय के महाराजा की ओर से एक आदमी प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था । वह इलेक्टेड नहीं था, महाराजा द्वारा नामीनेट किया गया था, नामजद किया गया था । जब कि आज की पार्लियामेण्ट जनता की प्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुनी हुई है । इससे अधिक प्रतिनिधित्व और कौन करेगा ? मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, वह यह थी, अध्यक्ष महोदय, हमने जिस वक्त राजाओं के प्रिवीपर्स खत्म किये, उस समय पार्लियामेण्ट में पार्टी माइनोरिटी में थी, उस समय सी. पी. एम. ने हमको सपोर्ट किया । प्रिवीपर्स एबालिशन में हम को सपोर्ट किया था । आज जब हम यह कहते हैं कि हम देश को समाजवादी बनाना चाहते हैं तो हमारा विरोध करते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेन्ट है क्या ? हम यह चाहते हैं कि प्रिएम्बल में सोवरिन, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए । शायद सी. पी. एम. को सोशलिज्म से विरोध हो,

(श्री हरिदेव जोशी)

यह समझ में आता है। कांग्रेस को सिक्युलरिज्म और सोशलिज्म से विरोध है, तो समझ में आता है। मगर सी. पी. एम. अपने को मार्क्स और लेनिन का उत्तराधिकारी समझती है। तो मैं यह कहता हूं कि अब उनके लिए कौन रह गया है? क्या अटलबिहारी बाजपेयी और बलराज मधोक रह गये हैं।

श्री मोहरसिंह : यह गलत है। आप यह कह रहे हैं (व्यवधान)।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कुछ नहीं रह गये हैं। अपार्चुनिस्ट रह गये हैं।

श्री मोहरसिंह : बिल्कुल व्यासजी, आप भी यह कह रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : 44 बार कान्स्टीट्यूशन में अमेण्डमेन्ट हो चुका। इतना बड़ा कान्स्टीट्यूशन है मगर उसमें कहीं कान्स्टीट्यूएण्ट असेम्बली की कल्पना नहीं है। ऐसा उसमें कहीं नहीं है कि अमेंडमेण्ट नहीं करना है। मगर यह कहते हैं कि नहीं कहा गया है। कान्स्टीट्यूएण्ट असेम्बली ही कर सकेगी। दूसरा नहीं कर सकेगा। उसमें यह कहा गया है, कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट करने की पावर्स पार्लियामेण्ट को है, अलबत्ता 2/3 मेजोरिटी से हम कान्स्टीट्यूशन में अमेण्डमेण्ट करना चाहते थे इसीलिए। जनता ने हमको दो तिहाई बहुमत दिया आज आप हम पर यह आरोप लगा सकते हैं कि अमेण्डमेण्ट हमने बहुत देरी से किया है। हमको दो साल चार साल पहले ही यह लाना चाहिए था यह अलग बात है। लेकिन बहुत जल्दी में किया जा रहा है यह नहीं कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आखिर विरोधी दल क्यों विरोध कर रहा है? यह समझ में नहीं आता है। पिछले तीन वर्षों में विरोधी दलों ने जो तरीका अख्तियार किया है, वह प्रजातन्त्र का गला घोंटने वाला तरीका है। जिस समय कान्स्टीट्यूशन बना था, उस समय यह कहते थे कि यह रिएक्शनरी कान्स्टीट्यूशन है। सोशलिस्ट पार्टी ने उस पर दस्तखत नहीं किये थे। राजस्थान विधान सभा से सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य इसलिए उठकर चले गये क्योंकि हम 'समाजवाद' का शब्द ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो कान्स्टीट्यूशन के अन्दर समावेश किया गया है, वह आज का जो प्रजातन्त्र है, उसके अनुरूप है। इन पिछले 20–25 वर्षों में इस देश को जो अनुभव हुए हैं, उन अनुभव के आधार पर, खूब विचार विमर्श के बाद गहरे मन्थन के बाद, यह कान्स्टीट्यूशन अमेन्डमेण्ट लाया गया है। इस कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट का आपने समर्थन किया था। प्रिविलेजेज और प्रिवीपर्स पर इतनी मीटिंग्स हुई थीं? इतनी चर्चा हुई थी? उस समय क्या वह तेजी से पेश किया गया था या यह तेजी से पेश किया गया है?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : यह तो आप ही कह रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपने यह फैसला कर दिया कि विरोध करना है। आप को विरोध के लिए कोई ठीक लाजिक मिलता नहीं है। आज हिन्दुस्तान का विरोध पक्ष कम्पलीटली एक्सपोज्ड है, अत्यन्त घिनौना, प्रतिक्रियावादी और रिएक्शनरी है जो प्रतिक्रियावाद के नाम पर देश की शान्ति, और व्यवस्था के नाम पर प्रजातन्त्र के साथ खिलवाड़ करना चाहता है।

श्री गुरदयालसिंह सिन्धु : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह घोर प्रतिक्रियावादी है ।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे रह रह कर यह विचार होता है कि आपको कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट पास करने में एतराज किस बात का है ? हमने कहा था इस देश की अखण्डता को कहीं भी खतरा न हो । इससे आपको नाराजगी हुई । इण्टेग्रिटी शब्द से आपको नाराजगी है, देश की इण्टेग्रिटी के बारे में आप कुछ करना चाहें तो आप बहुत सक्षम हैं, यह मैं जानता हूं ।

श्री मोहरसिंह : यह बिल्कुल गलत है । देश के लिए जितनी भक्ति आप में है उतनी हम में भी है ।

श्री हरिदेव जोशी : वरना क्या कारण है कि हम देश की इण्टेग्रिटी रखना चाहे, उसका आप विरोध करें ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

आप कहें कि मुझे कुछ मुद्दों पर सहमति है या असहमति है, यह तो समझ में आता है । लेकिन पूरे के पूरे का विरोध करें, इसका मतलब है, आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की है । इस देश के अन्दर जिन्होंने आन्दोलन किये हैं कि वह देश से अलग हो जायं . . .

श्री मोहरसिंह : उनके साथ आपने सरकार बनाई है ।

श्री हरिदेव जोशी : समाजवाद के नाम पर आप यह कहें तो अब इस देश के अन्दर इस प्रकार से कतई खिलवाड़ नहीं होगा । अमेण्डमेण्ट होता है तो आप कहें कि अमेण्डमेण्ट नहीं हो । अध्यक्ष महोदय, फण्डामेण्टल राइट्स और डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के बारे में काफी कहा गया है । निश्चित रूप से डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को इनके डाइरेक्टिव्ज के रूप में देखना चाहिए था । फण्डामेण्टल राइट्स की रक्षा करनी चाहिए । मगर फण्डामेंटल राइट्स किस लिए हैं ? किस आदमी के लिए फण्डामेण्टल राइट्स हैं ? इन फण्डामेण्टल राइट्स का अनुवाद कौन करे ? उनकी व्याख्या कौन करे ? आज ही अखबार में आया है । प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, सर्विसेज के सलेक्शन के अन्दर गांवों की तरफ ध्यान रखा जाना चाहिए । आज देखने की आवश्यकता यह है कि हमारी इलिट सोसायटी के जो लोग हैं, दरअसल जो 40 प्रतिशत वाले लोग है, वे उनके बारे में कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते हैं ? अदालत अपने फैसले उनको ध्यान में रख कर करती है या नहीं करती है ? सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ खोये हुए आदमी की पहुंच है अथवा नहीं है ? वह अपनी रक्षा की पुकार कर सकेगा या नहीं ? आने वाले वर्षों में कब तक वह पुकार नहीं कर सकेगा ? तब फिर हम डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को गौण कर दें और व्यक्ति की गरिमा के नाम पर हम दूसरे प्रकार का फैसला करें, यह न्याय नहीं है, न्याय के नाम पर मखौल है और यह करने की कोशिश की जा रही थी ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जब प्रिवीपर्स को समाप्त करने का निर्णय किया तब उसके ऊपर इस देश की अदालतों ने स्टे आर्डर दिया, इस देश की अदालतों ने लेवी

(श्री हरिदेव जोशी)

के मामले पर स्टे आर्डर दिया, इस देश की अदालतों ने परीक्षा फल डिक्लेयर करने के बाद उसके ऊपर स्टे आर्डर दिया और यह सब न्याय के नाम पर हुआ। आखिर देखना यह है कि देश का जीवन किस प्रकार का हो, देश का जीवन किस प्रकार से चले और कैसे चले। अगर देश में अशान्ति पैदा नहीं करनी है तो उसके जो भी कारण हैं, देश में कुण्ठा पैदा नहीं करनी है तो उसके जो भी कारण हैं उन कारणों को हटाना है। अदालतों को यह कह दें कि आपका कार्यक्षेत्र यह है, आप उसमें स सम्मान काम कीजिये, मगर सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में आप मेहरबानी करके हस्तक्षेप मत कीजिए। यह कहें कि इसकी क्षमता दूसरे किसी में नहीं हो सकती, वह जनता में हो सकती है अथवा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की पालियामेन्ट ने पहली बार यह तय करके देश के राजनीतिक शरीर के अन्दर जो खराबी पैदा हो रही थी उसका दृढ़तापूर्वक निराकरण करने की कोशिश की है। यह एक स्वस्थ कदम है, इसलिए भी मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट में फन्डामेन्टल ड्यूटीज को एड किया गया है। फन्डामेन्टल राइट्स के साथ साथ फन्डामेन्टल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। क्या कोई देश का निवासी अपने देश के लिए यह भी नहीं सोचे कि यह मेरी जननी, जन्मभूमि है, मैं यहां पैदा हुआ हूं, मुझे इसका कुछ ऋण चुकाना है? यह यह न सोचे तो देश चल सकता है क्या? मैं कह सकता हूं कि सी. पी. एम., सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, आर. एस. एस., आनन्दमार्गी–इन पार्टियों ने इस देश को चलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इस प्रकार की हरकतें पैदा कीं जिससे देश के लोगों का नुकसान हो, देश के लोगों का मनोबल टूटे और देश आर्थिक रूप से आगे न बढ़ सके। इस प्रकार की अवस्था पैदा करने की कोशिश की जिसमे प्रजातन्त्र डगमगा कर गिर जाय।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : यह आपका गलत आरोप है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : आप एक गिलास पानी पीकर आओ।

श्री हरिदेव जोशी : मगर प्रधान मंत्री ने दृढ़तापूर्वक कदम उठाये, इनसे डरी नहीं देश में उनका स्वागत हुआ और उसका परिणाम सामने है कि आज देश आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको सस्टेन करने की आवश्यकता है इसीलिये संसद का कार्यकाल बढ़ाने की बात भी की गई है।

एक माननीय सदस्य ने कांग्रेस के अन्दर विचार भेद के बारे में चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस इस देश की पार्टी है, इस देश के अन्दर मूर्ति पूजा भी होती है, बाप मूर्ति पूजक है तो बेटा आर्यसमाजी बन जाता है। इस देश में यह रहा है और रहेगा। इस देश में इतनी सहिष्णुता भी है। इस देश के अन्दर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने अलग अलग करेक्टर हैं। अगर हमने प्रापर्टी राइट्स को खत्म कर दिया होता तो सी.पी.एम. को अलग रहने की क्या जरूरत थी, वह कांग्रेस में मर्ज हो जाती।

(श्री हरिदेव जोशी)

अमुक कारण है, इसीलिए तो अलग अलग आइडेन्टिटी है और हम इसको स्वीकार करते हैं। हम वह कदम उठाना चाहते हैं जो कदम इस देश की जनता को गवारा हो और जो समाज में इवोल्व होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्टालिन में फर्क यही तो है–स्टालिन, लेनिन उस देश की हुकूमत में आये और सबसे पहले उन्होंने सोशलिस्ट स्टेट की घोषणा कर दी और जवाहरलाल नेहरू की खासियत यह थी कि इस सोशलिज्म शब्द के अन्दर उन्हें लोगों की एक पूरी पीढ़ी खपानी पड़ी। कांग्रेस के इतिहास को समझने की कोशिश कीजिये। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू और कुछ लोग थे, आचार्य नरेन्द्र देव वगैरह जो कांग्रेस में समाजवाद की बात कहते थे। कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू को अपना अध्यक्ष मानती थी सर्वसम्मति से। मगर उन्होंने सोशलिज्म की तस्वीर को कभी स्वीकार नहीं किया, यह कहना गलत है। प्रेसिडेन्ट के एड्रेस कांग्रेस के रिजोल्यूशन नहीं थे। जवाहर लाल नेहरू एक दार्शनिक व्यक्ति थे, जिनका अपना दर्शन था, वे उसके लिए जीवन भर निरन्तर संघर्ष करते रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने वह स्थितियां बना दीं कि लोगबाग समाजवाद की तरफ जाने की कोशिश करें। रूस में सोशलिस्ट गवर्नमेंट–समाजवादी गवर्नमेंट ने ही सारी बेसिक इण्डस्ट्रीज का सोशलाइजेशन किया। हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं हुआ था, मगर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव डाली शायद डवलपिंग कन्ट्रीज में हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज पब्लिक सेक्टर के अन्दर हुआ है। तो यह कुछ चीजें इवोल्व होती हैं, हिन्दुस्तान में इवोल्व होने के साथ आगे बढ़ी हैं। कांग्रेस वही कांग्रेस है। कांग्रेस की कुछ इन्हेरेन्ट अच्छाइयां हैं, इसमें इतना टोलरेन्स है, सहिष्णुता है कि वह दर-गुजर कर सकती है। आपने कल यहां पूछा था कि पंजाब में प्रस्ताव कैसे पास हुआ ? मैं जानता हूं आपकी पार्टी में पास नहीं हो सकता, मगर मेरी पार्टी में हो सकता है। यही एक तरीका है–आपको उसको समझना चाहिए। अलबत्ता हम यह देखेंगे कि हमारे लीडर कमजोर न हों और उनकी विशेज को, उनके डाइरेक्टिव्ज को, उनकी थिंकिंग को हम झण्डे की तरह से ऊंचा उठाये चलते रहें। मगर उससे किसी को मति-भ्रम होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इससे इन्सपायरेशन लेते हैं वह धोखा खाते हैं, पास्ट में धोखा खाया है और अब भी धोखा खायेंगे। उससे किसी को लाभ होने वाला नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह जो कान्स्टीट्यूशन अमेन्डमेंट पार्लियामेंट ने स्वीकार किया है, देश के इतिहास के अन्दर एक नया माइल स्टोन है। माइल स्टोन इस दृष्टि से है कि इस देश के प्रतिक्रियावादियों ने जो चुनौतियां दी थीं उन चुनौतियों को कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट के जरिये स्वीकार किया जा सके। इससे सोशियो-इकानामिक ट्रांसफार्मेशन की एक नई भूमिका शुरू होती है। यह लैण्ड मार्क है इस सैन्स में कि इससे जुडिसियरी की सीमा, प्रेसिडेंट की सीमा, पार्लियामेंट के अधिकारों और सिद्धान्तों को सब से अच्छे ढंग से व्याख्यायित कर दिया गया है। आज इससे बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि सुप्रीम सोवरिन पावर अगर किसी को है तो चुनी हुई संस्था पार्लियामेंट को है और जुडिसियरी ज्यादा दखलअन्दाजी न कर सके।

(श्री हरिदेव जोशी)

हम इसलिए यह अपेक्षा करके चलते हैं कि इस कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट से देश आगे बढ़ सकेगा। मैं तो इसे कांग्रेस की हिस्ट्री में भी एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय मानता हूं। इसलिये महत्वपूर्ण अध्याय मानता हूं कि कांग्रेस जिसने इस देश को आजादी दिलाई, कांग्रेस जिसने चुनी हुई पार्लियामेंट बनाई उसी कांग्रेस ने पहली मर्तबा इस देश के कान्स्टीट्यूशन के अन्दर सोशलिज्म और सिक्यूलेरिज्म को इन्ट्रोड्यूस करवाया। सिक्यूलेरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी पहली मर्तबा इस कान्स्टीट्यूशन के अन्दर आये हैं। यह एक लांग चैरिश्ड आकांक्षा थी प्रिएम्बल से लगातार जागीर एबोलीशन तक, वह पूरी हुई है। इन शब्दों के साथ यह जो प्रस्ताव रखा गया है इसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दी हाउस के बोलने के बाद आम तौर पर मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जो एक संकल्प कल मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया और जिस पर बहस में इस सदन के करीब 15 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, आम तौर पर सभी सदस्यों ने जैसा कि सदन के नेता ने अभी कहा, एक माननीय सदस्य को छोड़कर, उसका समर्थन किया है। जैसा कि मैंने संकल्प प्रस्तुत करते समय कल निवेदन किया था, लोकसभा में यह बिल जब पेश हुआ तब यह 44वें संशोधन के नाम से प्रस्तुत हुआ और जब यह राज्य सभा में पेश हुआ तो 42वें संशोधन के तौर पर पेश किया गया। इसका मतलब यह था कि दो संविधान के संशोधन संसद के सामने अभी भी पेंडिंग हैं। चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक था जिससे भारत की सामाजिक और आर्थिक नीति के अन्दर बहुत कुछ तब्दीली आने वाली थी, इस प्रकार के संशोधन को पहिले पास किया जाये, इस दृष्टि से संसद ने इस संशोधन को पहिले लिया और पास किया। मैंने कल अपने वक्तव्य में आपके सामने निवेदन किया था कि यह 59 धाराओं का जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसके अन्दर अलग-अलग जो कठिनाइयां सामने आईं उनको हल करने की दृष्टि से हर एक धारा के अन्दर कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया है। पहले प्रिएम्बल से लेकर जितने संशोधन हैं यदि एक एक पर विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कई संशोधन इसलिये आवश्यक हो गये थे कि जो न्यायालयों के अन्दर कार्य होता था उससे हम आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो कदम उठाना चाहते थे उनमें रुकावटें आती थीं। जब सीलिंग का सवाल आया उस वक्त कुछ लोग न्यायालयों में जाकर वहां से स्टे आर्डर ले आये। मैं जानता हूं कि भारत की संसद, हमारे भारत की प्रधान मंत्री और हम सब लोग यह चाहते थे कि बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत यह होना चाहिये कि जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है वह जमीन लेकर उन गरीबों को दी जाये जो भूमिहीन हैं। ऐसे कदमों को उठाते वक्त भी इस तरह की रुकावटें पैदा कर दी जायें तो उन रुकावटों को दूर करना आवश्यक हो गया था। इसीलिये आपने देखा है कि इस प्रकार के संशोधन किये गये। इन संशोधनों से यह भी नहीं है कि जुडिसियरी के सारे हुकूक खत्म हो गये हों जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था, न संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन आ रहा

(श्री खेतसिंह)

है और न बहुत बड़ा परिवर्तन दिखलाने के लिये संशोधन किया गया है लेकिन जो आवश्यक हैं, जिन कदमों को उठाना आवश्यक था उन कदमों को उठाया गया है। मैंने पहिले भी निवेदन किया था कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं या व्यक्ति हैं जिनकी विचारधारा राष्ट्र विरोधी है उनके ऊपर भी अंकुश लगाया गया है। जैसा आपने देखा, तमिलनाडु ने क्या किया था एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमारा झण्डा अलग होगा। वह अलग से पृथक राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारत की अखंडता के लिये यह आवश्यक था कि इस प्रकार के संगठनों को, इस प्रकार के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन न मिले। उस दृष्टि से यह संशोधन लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज भी दी गई हैं। इसके विवेचन में मैं नहीं जाना चाहता। खास तौर से जब कि मुख्य मंत्री महोदय ने विस्तार से विचार रखे हैं इसलिये मैं इस पर खास बात नहीं करना चाहता हूं। कल अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने लोकसभा का जो एक साल का कार्यकाल बढ़ाया है वह उचित नहीं किया। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में संकटकालीन स्थिति हो, आंतरिक खतरा हो देश के लिये तो यह आवश्यक है कि उसकी संसद का समय बढ़ाया जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद का समय बढ़ाया गया। इसके साथ में इस बात को भी ध्यान में रखा है क राज्य सभा का कार्यकाल 6 साल का है तो लोकसभा का भी 6 साल होना चाहिये। कई अन्य राष्ट्रों में 6 साल का कार्यकाल है। आप जानते हैं कि चुनावों में कितना भारी खर्चा हुआ करता है हिन्दुस्तान जैसा मुल्क, जो विकासशील राष्ट्र है, के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना कितना मुश्किल है। इन सारी चीजों को देखते हुए यह रखा गया है। लेकिन इसमें भी आपने देखा होगा, भारत के कानून मंत्री ने कहा है कि हमने एक साल की अवधि बढ़ाई है लेकिन चुनाव किसी भी समय कराए जा सकते हैं। इसलिए यह कांग्रेस की कतई मन्शा नहीं है कि चुनाव न हों और न कांग्रेस पार्टी इस बात से घबराती है कि चुनाव होंगे तो क्या होगा। प्रधान मंत्री ने कई बार इस बात का जिक्र किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल की मियाद बढ़ाई गई। राइट आफ प्रापर्टी के बारे में नेता महोदय ने आपके सामने जिक्र किया। सदन के इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों व आपने भी जिक्र किया था कि संविधान से फंडामेंटल राइट्स को हटा लेना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि आज भारत की आम जनता क्या चाहती है, उसी के अनुसार संशोधन होने चाहिए और उसी के अनुसार ये संशोधन किए गए। यदि कुल मिलाकर आप देखें तो प्राचीन भारत की रुचि इस प्रकार की है, लोगों का विश्वास थोड़ा ही क्यों न हो, अपनी प्रापर्टी में है। जिस समय भारत में हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, उसके बच्चों की पढाई का, रहने का, कपड़े का प्रबंध हो जाएगा, तो अपने आप प्रापर्टी के प्रति लोगों का न ऐसा मानस रहेगा, न ही आवश्यकता महसूस होगी। इसीलिए प्रधान मन्त्री ने अजमेर में कहा था कि हमारे यहां

(श्री खेतसिंह)
जो समाजवाद लाना चाहती है उसमें न रूस की, न और किसी देश की नकल करना चाहते हैं हम हिन्दुस्तानी समाजवाद लाना चाहते हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : आप एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं।

श्री खेतसिंह : मैं समझता हूं कि अब सदन यह चाहता है कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से शीघ्र पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976, जिसके संक्षिप्त नाम को संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 में परिवर्तित कर दिया गया है, के द्वारा किए जाने वाले प्रस्थापित भारत के संविधान के संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के सीमान्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री गुर दयाल सिंह संधु : हम इसके विरोध में डिवीजन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधायी कार्य।

श्री चंदन मल बैद : आपका हमेशा थर्ड डिवीजन रहा है।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1976

श्री खेत सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: संशोधन प्रस्तुत किए जायं।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव।

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया
"राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"]

श्री विजय सिंह राठौड़ (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत संशोधन विधेयक है उसको मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित

(12.45 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

करने का प्रस्ताव किया है। मेरा मतलब उससे यह है कि हम गत 4 वर्षों में मैं देखता आया हूं कि जब कभी भी परिलाभों का सवाल आया, उस समय हमने 5 मिनिट में सदन में अपना विधेयक पारित करके विधान सभा की छाप लगा दी क्योंकि वह हमारे स्वयं के परिलाभों का सवाल था। मैं चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन को, जिसका जनता की गाढ़ी कमाई से संबंध है, जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। बिना जनमत जाने हम पास कर दें, यह अच्छी बात नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री विजय सिंह राठौड़ : इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे जनमत जानने के लिए परिचालित किया ... जनता से जाना

(24)

(श्री विजयसिंह राठौड़)

जाए कि जिनकी गाढ़ी कमाई से हम अपने परिलाभों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, पेन्शन के नाम से रुपया लेना चाहते हैं, दरअसल उसको हम इतनी आसानी से हां ध्वनि से पास कर दें अथवा नहीं। इन परिलाभों को बढ़ाने के बजाय जो सुविधायें हमारे लिए आवश्यक थीं, वे इस संशोधन के जरिए हमें दिलवाते तो बेहतर होता, आज हमारे लिए फोन जरूरी है, अपने काम की एफीशियेंसी के लिए अपने क्षेत्र में दौरा करना जरूरी है। उसके लिए स्टेट पूल से महीने में 5 दिन के लिए जीप दिलवाते तो वह ज्यादा अच्छा था। आज यह सोचा गया है कि विधायक नहीं रहने के बाद में उसको अपना स्टैंडर्ड मेन्टेन करने के लिए पेन्शन देना जरूरी है लेकिन जिन आदमियों को जनता नहीं चाहती है जिनको चुनकर नहीं भेजती है, क्या वे जनता की कमाई में से पैसा लेने के हकदार हैं? क्या जनता इस बात को पसंद करेगी? आज हमारी इमेज जनता के सामने इस कानून को लेकर क्या बनेगी? यह दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए, उसके बाद पास करना चाहिए। बाकी और कोई सुविधा बढ़ाना चाहें जिससे हमारे काम की एफीशियेंसी बढ़े तो जनता से बिना पूछे पास कर दें, तो जनता खुश होगी: जनता चाहेगी कि हमारे विधायक अच्छी तरह से काम करें, वह हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं। लेकिन हम जनता के लाभ को नगण्य कर दें और अपने परिलाभों में दिनों दिन बढ़ोतरी कर दें और उन लोगों को पेन्शन दें जिनको जनता नहीं चाहती है, वह नहीं चाहती कि वे उसका प्रतिनिधित्व करें, उनको हम पेन्शन दें, यह अच्छी बात नहीं है।

इसलिए आप चाहें तो इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करें उसके बाद में जनता क्या चाहती है, उसके आधार पर इसके अंदर कोई संशोधन अगर चाहें तो करें। आज हमें कई बातों की दिक्कत आती है जैसे टेलीफोन सुविधा है। यह सुविधा देकर अगर सीलिंग लगा दें, फिगर फिक्स कर दें कि महीने में 100 लोकल काल्स फ्री और इतने ट्रंक काल्स कर सकेंगे तो वह ज्यादा बेहतर है। इसी तरह से जीप के लिए मैंने निवेदन किया है, फ्री ट्रेविल के लिए भी आप अलाऊ कर दें–जैसे 1200 किलोमीटर के बजाय आप विदिन दी स्टेट कर दें, ऐसा संशोधन भी आया है उससे एफीशियेंसी आती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जनता की गाढ़ी कमाई से पेन्शन देना, जो जनता द्वारा उपयोगी नहीं पाए गए हैं, मैं गलत मानता हूं। इतनी बात कह कर एक बार और निवेदन करता हूं कि इसे जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल मीणा।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार का विधेयक आया और लोक सभा व राज्य सभा द्वारा पास किया गया, जब संसद की मोहर लग गई थी उसी समय भारत की आम जनता को मालूम पड़ गया था कि इसका आगे जाकर विधान सभा पर भी असर पड़ेगा। कुछ दिनों बाद हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने ऐसा विधेयक पास कर दिया। इसके लिए

(श्री मीठालाल मीणा)

जैसा विजय सिंह जी ने कहा है, यह सही है कि सरकार पर इसका काफी भार पड़ेगा। दूसरी तरफ, पहले माननीय सदस्यों की सुविधायें बढ़ाने की तरफ, जिससे जनता का प्रतिनिधित्व करने में उनको सुविधा हो और जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें, ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इसके अलावा पहले जब कभी सदन के सदस्यों के बारे में कोई संकल्प या कोई बिल वगैरह आता तो मुख्य सचेतक महोदय विपक्षी दलों के सदस्यों से भी बातचीत करते थे और उनसे सलाह मशविरा भी करते थे उस वक्त जो भी सुविधायें सदन के सदस्यों को देने की बात होती थीं उनके बारे में पहले ही विचार विनियम करने के बाद सदन में बिल लाया जाता था। पर इस बार एक नयी बात ही हुई, वह यह है कि माननीय सचेतक महोदय बिना विपक्ष के सदस्यों से सलाह मशविरा किये ही यह बिल सदन में ले आये। इतनी बात जरूर है कि उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी में इस बात का जिक्र जरूर किया था कि अगले सत्र में इस तरह का बिल विधान सभा सदस्यों के लाभ के लिये आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो सदस्यों को लाभ देने की बात है वह उसी तरह है जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में बड़े-बड़े जागीरदारों को और दूसरे लोगों को प्रिवीपर्सेज अथवा फेसिलिटीज दी जाती थी, किसी को दो घोड़े, किसी को तीन घोड़े, किसी को पांच या किसी को छः घोड़े दे दिये। इसी तरह आप यहां किसी को ढाई सौ, किसी को तीन चार साल या अधिक होने पर साढ़े तीन सौ, और चार सौ और पांच सौ और छः सौ रुपये तक आप पेन्शन दे देंगे। यह भी आप पेन्शन के रूप में दे रहे हो। मुझे ऐसी आशंका है कि यह बात आगे जाकर जिला प्रमुखों, प्रधानों, सरपंचों पर भी लागू होगी। आज तो कोई बात नहीं पिछले चौदह सालों से पंचायतों के इलेक्शन नहीं हुए हैं। खुदानाख्वास्ता अगर इलेक्शन हुए और वह लोग हार गये तो बाद में उन्हें भी पेन्शन देने की नौबत आयेगी। वह भी पेन्शन की डिमाण्ड करेंगे जैसे कि आपने भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों के लिये व्यवस्था की है। तो मेरा निवेदन यह है कि आप जो यह जल्दीबाजी में संशोधन करने जा रहे हैं इसके परिणाम बाद में बहुत भारी होंगे, इससे राज्य कोष पर भी अतिरिक्त भार बहुत पड़ेगा। इसके अलावा जो इस बिल में खण्ड 6 है उसके भाग (3) में यह कहा है कि

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री मीठा लाल मीणा : यह खण्ड 6 के (3) में है कि "जहां कोई सदस्य वायुयान द्वारा यात्रा करना चुनता है तो उसे ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिये उप-धारा (1) के अनुसार रेल मार्ग द्वारा प्रथम श्रेणी के एक किराये के बराबर रकम संदत्त की जायेगी और ऐसे वायुयान किराये और रेल मार्ग द्वारा प्रथम श्रेणी के किराये के बीच का अन्तर वह सदस्य स्वयं वहन करेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मीठालाल जी, आप किस बात का एतराज कर रहे हो ?

श्री मीठालाल मीणा : तो मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि यह जो "चुनता है" शब्द है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वह एक बार चुन लेता है कि मुझे कहीं जाना है तो हो सकता है, एक बार चुन कर यात्रा बिल बना कर यात्रा भत्ता उठा ले तो उसको यात्रा भत्ता उठाने का अधिकार हो जायेगा··

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी में पढ़ें।

श्री मीठालाल मीणा : मैं यह "चुनता" शब्द है उसके बारे में कह रहा हूं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, तो मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को जल्दी में पास न करके जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ताकि इसके बारे में जनता की भी राय आ सके। इसको हमें जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज विधान सभा के सदस्यों के परिलाभ के लिये जो विधेयक पर बहस चल रही है उसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पेन्शन देने का मामला है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैं पेन्शन देने के मामले से सहमत नहीं हूं। इसके उद्देश्य में यह है कि कोई भी विधान सभा का सदस्य अथवा पार्लियामेन्ट का सदस्य है वह जब उससे पृथक् हो जाता है तो उसके बाद में उसके जीवन के स्टेण्डर्ड को मेन्टेन करने के लिये आप पेन्शन देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार एक तरफ तो समाजवाद की बातें करती है और दूसरी तरफ इसके ओब्जेक्ट्स में यह कहती है कि समाज के जनप्रतिनिधियों के जीवन यापन के लिये यह पेन्शन दी जाने की व्यवस्था की जा रही है। जनप्रतिनिधियों में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनकी हजारों रुपये ही नहीं बल्कि लाखों रुपये की इन्कम है। वह काफी समृद्ध हैं। आज कई कांग्रेसी ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका ट्रान्सपोर्ट का बिजनेस चलता है, जिनकी बड़ी-बड़ी मिलें हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हैं, व्यापार हैं—उनको किस बात की कमी है। जहां तक सवाल पोलिटिक्स का है पोलिटिक्स तो उनका साइड बिजनेस है। यहां पर ऐसे-ऐसे महानुभाव हैं उनके लिये यह तीन सौ या चार सौ रुपये महीना कुछ भी वकत नहीं रखता। मेरे सामने ऐसे बड़े-बड़े महानुभाव बैठे हैं जिनके पास लाखों की सम्पत्ति है, उनको पेन्शन की कोई कमी नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपके पास बैठे हैं उनको कह रहे हैं क्या ? मीठालाल जी का ही विरोध कर रहे हैं क्या ?

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनकी करोड़ों की सम्पत्ति है। मैं तो ओब्जेक्ट जो बिल के हैं उसके विपरीत बात है उसके बारे में कह रहा हूं। पेन्शन देना ही है तो उन्हें दो जिनकी कोई इन्कम नहीं है या जिनकी मिनिमम इन्कम है। उसकी आप कोई लिमिट बांध दीजिये चाहे दस हजार या बीस हजार। दस हजार, बीस हजार रुपये सालाना इन्कम वाले सदस्य को बाद में इतनी ही पेन्शन मिलेगी। उसकी इसके अलावा इन्डिपेन्डेन्ट आय कितनी है ? क्या आप यह मानते हैं कि अगर कोई एम. एल. ए. दस साल या बीस साल तक जनप्रति-

(श्री मूलचंद सामरिया)
निधित्व करता है विधान सभा में तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है····

श्री चेतराम : आप खुद लेना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मीठालाल मीणा : आपके समझने की बात है। आपके कहने की बात नहीं है। आप समझ नहीं सकते हैं।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री मूलचन्द सामरिया : तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दस बीस साल तक एम. एल. ए. या एम. पी. रह जाता है तो उसका स्टेण्डर्ड आगे ही बढ़ता है।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं समझता हूँ उसके रहन सहन में और जीवन यापन में वृद्धि ही होती है। अभी, उपाध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दी हाउस ने 44 वां संशोधन संविधान, जो पास किया, के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था कि देश में समाजवाद और सिक्यूलेरिज्म लाने के लिये हम इस संविधान के संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप समाजवाद की बातें करते हैं दूसरी तरफ तीन सौ से बढ़ा कर पांच सौ रुपये करने की बात करते हैं। इस प्रकार आप समाजवाद लाने की बात करते हैं ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके यहां हर व्यक्ति की आय पांच सौ रुपये है क्या ? आप समाजवाद की बात करते करते समाजवाद की दुहाई देते देते उसके खिलाफ किस प्रकार से एम.एल.ए. और एम. पी. को-प्रिवी पर्सेज दे रहे हैं ? मैं आपसे स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि यह वही बात होगी जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने राजा महाराजाओं को प्रिवीपर्सेज दिये और बाद में प्रिवीपर्सेज को समाप्त कर दिया था। उसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले जमाने में जो आप प्रिवीपर्सेज का नाम न देकर पेन्शन एम. एल. एज. और एम. पी. को दे रहे हैं इसकी भी प्रिवीपर्सेज की तरह आलोचना होगी और बाद में इसे भी बन्द कर दिया जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस बिल को जल्दबाजी में पास न करके जैसा कि मैंने निवेदन किया है इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय या इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ताकि जनता के अमूल्य सुझाव भी इस पर आ सकें। वरना यह बिल पास करना कांग्रेस सरकार पर एक कलंक होगा। आने वाले समय में जब इसकी आलोचना होगी तब यह कहा जायेगा कि चूंकि कांग्रेस की वास्ट मेजोरिटी थी तो कांग्रेस ने अपने भले के लिये, अपने व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिये यह बिल पास करके जनता पर एक अनुचित भार थोपा। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : इसी सदन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने जो संशोधन रखा था वह भी सम्मिलित करता हूं। साथ में मैं

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया "राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।]

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है इसमें विधान सभा सदस्यों की पेन्शन की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा विधान सभा सदस्यों के मासिक वेतन में दो सौ रुपये की बढ़ोतरी की है यानि उनकी तनख्वाह तीन सौ की जगह पांच सौ रुपये मासिक होगी। उसके लिये मैंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। मैं समझता हूं कि अगर हम इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करते हैं तो इसमें जो दो बड़े मुद्दे हैं उन दोनों मुद्दों पर काफी गम्भीरता से जो विचार करने की आव——— है वह किया जा सकेगा।

..क पेन्शन का प्रश्न है पेन्शन के ज. के पीछे यह दलील ठीक मालूम ड़ती है कि जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, हम विधान सभा या लोक सभा का सदस्य रह कर जनता की सेवा करते हैं तो फिर उसको छोड़ने के बाद बढ़ी हुई उम्र में कोई नया धन्धा करके काम चला सके, यह आम तौर पर सम्भव नहीं होता जब तक कि किसी के पास पहले से ही कोई धन्धा न हो। इसलिये इस स्थिति में जिस प्रकार कि हमने स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये या पालिटिकल सफरर्स की सहायता के लिये नियम बनाये हैं, ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सकें, उसी प्रकार का सिद्धांत, उसी प्रकार का जस्टीफिकेशन एम. एल. एज. और एम. पी. के लिये लागू होने की बात हो सकती है··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज ! कृपया बातें न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह समस्या केवल एम. एल. एज. और एम. पीज. की नहीं है यदि कुछ सीमा तक देखा जाय तो जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं जो अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय कार्यों में, जनता की भलाई के कार्यों में लगाते हैं और जिनका कोई भी दूसरा आजीविका का धन्धा नहीं है या धन्धा नहीं करते हैं, उनके लिये भी समाज की और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको इस प्रकार के साधन दें कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। यह बात मेरे ख्याल से एम. पी. और ———— ग. पर लागू होती है तो। इसके साथ ही जो दूसरे चुने हुए अधिकारी या प्रतिनिधि हैं चाहे वे पंचायतों में हों, और चाहे जिला परिषदों में हों, और चाहे कहीं भी हों- जब हमने समाजवाद अपनाना स्वीकार कर लिया तो प्रत्येक नागरिक के लिये यह बात लागू होती है। उसके जीवनयापन के साधन देने की भी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है उसका एक औचित्य है परन्तु जिस रूप में इस व्यवस्था को इस कानून में रखा गया है वह सही दृष्टिकोण मालूम नहीं पड़ता है। इसलिये मैं इस बात से सहमत हूं कि यह व्यवस्था उनके लिये भी होनी चाहिये जिनके पास जीवन यापन के दूसरे साधन नहीं हैं। एम.एल.ए होने के बाद वे अपनी एक्टीविटीज को उसी प्रकार जारी रख सकें इस कारण इसका जस्टीफिकेशन है। इसलिए हमारे दल की ओर से हमने एक अमेन्डमेंट रखा है कि जिन व्यक्तियों की आमदनी दूसरे जरिये से पांच हजार सालाना से अधिक है, ऐसे लोगों को पेन्शन नहीं मिलनी चाहिये उनका उस धन्धे से गुजारा चल सकता है। इसलिये टैक्स पेयर पर बर्डन पड़े, यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि इसके साथ साथ दूसरे प्रश्न लाजिमी तौर से जुड़ जाते हैं। जो कि हम दूसरों को पेन्शन दे रहे हैं मसलन पोलिटिकल सफरर्स को या स्वतन्त्रता सेनानियों को, उनके नियमों में साफ दिया हुआ है कि उनकी आमदनी इतनी से अधिक नहीं होनी चाहिये या उनके पास जमीन वगैरह नहीं होनी चाहिये तभी उनको पेन्शन किसी को 50 रु. की, किसी को 75 रु. की और किसी को 100 रु. देते हैं और अधिक से अधिक केवल 200 रु. देते हैं। तो उनकी आय की मात्रा के बारे में भी सोचने की बात है। यह ठीक है कि हम विधान सभा में अच्छे पंखों के नीचे, अच्छी जगह पर बैठकर सेवा करने की बात करते हैं और उन पोलिटिकल सफरर्स ने गांवों में सड़कों पर नंगे पैर चलकर गर्मी और सर्दी में सेवायें की हैं इसलिये हम उनका मूल्य 75 रु. महीना आंकें यह उचित नहीं है, और वह भी इस हालत में जब कि कोई और दूसरे साधन नहीं हों तो यह बात न्यायसंगत नहीं लगती है खास तौर से जब हम स्वयं कानून बनाने वाले हैं तो हम इस बात को नजरअन्दाज कर दें अपने ही भाइयों के लिये तो यह, उपाध्यक्ष महोदय, कतई उचित नहीं लगती है। मुझे एक बात याद है, भरतपुर में एक मिस्टर जगन्नाथ कक्कड़ थे। जब उनको पेन्शन दी गई तब उनके पास 25 बीघा जमीन थी। उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हूं और गुजारा नहीं चला सकता हूं। तो उनसे कहा गया कि तुम 25 बीघा जमीन सरेन्डर कर दो तब तुमको पेन्शन मिलेगी। उन्होंने अपनी 25 बीघा जमीन सरेण्डर कर दी तब जाकर उनको कहीं 100 रु. पेन्शन के मिले। अब वे कहते हैं कि 100 रु. सरेन्डर करता हूं मुझे वापिस 25 बीघा जमीन दे दो तो गवर्नमेंट देने से मना करती है। तो जो इस प्रकार का फर्क है इसका औचित्य सामाजिक न्याय का नहीं है। अब तो मैं सरकार में बैठने वालों को, माननीय सदस्यों को और विधि मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अभी जो हमने संकल्प स्वीकार किया है, जिसके द्वारा बहुत बड़े आदर्शों को प्रिएम्बल में शामिल कर लिया है, उसकी क्यों नहीं अभी से शुरुआत करें? अब यह नहीं होगा कि कांग्रेस के तरीके का अपना एक सोशलिज्म हो, अब तो जनता के हित का सोशलिज्म होना चाहिये। इन तमाम दृष्टिकोण से जो पेन्शन लागू करें वह तमाम कार्यकर्ताओं के लिए लागू हो जो सार्वजनिक सेवायें करते हैं, चाहे विधान सभा में बैठने वाले हों, चाहे लोक सभा के सदस्य हों, चाहे पंचायत समितियों के सदस्य हों, और चाहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिला परिषद् आदि के सदस्य हों। जिन्होंने भी जनता की सेवाएं की हैं और करेंगे, बाहर रह कर या अन्दर बैठकर, उन सबको इस दृष्टिकोण से कि उनका जीवन सम्मानजनक व्यतीत हो सके, जीवन यापन करने का अवसर मिलना चाहिये। इस पर हमारा दल सहमत है ··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को भी अपने जीवन-यापन की आवश्यकता है। जब आप गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को मिनिमम पेन्शन 40) रु. देते हैं जिसे अभी बढ़ा कर शायद 60) रु. किया है, तो उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये, उसने अपना सारा जीवन 25–30 वर्ष सेवा में लगाया है चाहे वह बस्ता उठा कर लगाया है या कैसे भी लगाया है। उसको केवल आप 40)रु.–60) रु. ही दें और हम अपने लिये 500)रु. मुकर्रर कर लें तो यह कितना न्याय संगत सिद्धान्त है, इसे आप सोचें। ठीक है, समाजवाद में भी डिफरेन्सेज रहेंगे लेकिन उसका कोई आधार तो होना चाहिये। मैं कहूंगा ऐसी हालत में एम.एल. ए. की अगर इतनी पेन्शन करते हैं तो फिर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की भी आप मिनिमम पेन्शन मुकर्रर करें 130)रु. जो आपने जीवन यापन के लिये आवश्यक माने हैं। तब तो कहीं कुछ समाजवाद आपका झलकता है अन्यथा यह किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है। यह बात मैं जोर देकर कहना चाहूंगा।

दूसरी इसमें वेतन बढ़ाने की व्यवस्था आपने की है, उसका मैं बिल्कुल औचित्य नहीं मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को और सुविधायें मिलें इस बात का हमारा दल समर्थक है। जनता की सेवा के लिये उनको ट्रेवल फेसिलिटीज और ज्यादा हों, उनको टेलीफोन की सुविधायें आप दें, उनको यात्रा की जो सुविधायें मिली हुई हैं उनको और बढ़ायें, मसलन मैंने सुना है, इसकी बस में चर्चा भी हुई है, बस में ट्रेवल करते समय पति या पत्नी को साथ ले जाने की सुविधा हो। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था है कि रेल्वे के अन्दर उत्तर प्रदेश के अन्दर ट्रेवल करने पर कोई सीलिंग नहीं है। आउट साइड ट्रेवल करने पर 12 हजार किलोमीटर की सीलिंग है। राजस्थान में भी आप ऐसा कर दें कि राजस्थान में ट्रेवल करने पर कोई सीलिंग नहीं होगी और बाहर जाने पर सीलिंग आप 12 हजार किलोमीटर कर दें हमें कोई एतराज नहीं है। इसी प्रकार से माननीय सदस्यों को टेलीफोन की दिक्कत है। एक एम. एल. ए. किस किस दफ्तर में घूमता रहेगा। यह संभव नहीं है। उनको अपने क्षेत्र में टेलीफोन मिल जाय अपने खर्चे से तो उसके लिये यह सुविधा प्राप्त होना संभव नहीं है। कोई टेलीफोन लगाये तो 100 रुपया माहवार आप दें, टेलीफोन में ही वह खर्चा हो। वह टेलीफोन नहीं लगाये तो नहीं दिया जाना चाहिये।

माननीय विधायकों को तनख्वाह मिल रही है 600 रुपया। 300 रुपया तनख्वाह के रूप में, 200 रुपया एक तरह का अलाउन्स और 100 रुपया स्पेशल अलाउन्स। कुल 600 रुपये तनख्वाह। अब आप असेम्बली के अधिवेशन का हिसाब लगायें। 60 दिन कम से कम मिलते हैं, इसका भी 200 रुपया माहवार बढ़ जाता है। 600 और 200 रुपया मिलाकर 800 रुपया होगा। इसके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अलावा कमेटीज हैं, उसके मेम्बर हैं। आज कल हर एक सदस्य किसी न किसी कमेटी का मेम्बर है। 200 रुपया माहवार उसका भी हिसाब लगाने पर 1000 रुपया बैठ जावेगा। पी. ए. सी. और पी यू. सी. के मेम्बर हों तो उनको ज्यादा मिलता है। इस प्रकार से एक हजार रुपया कैश मिलता है। इसके अलावा और फेसिलिटीज हैं। जिसके पास मकान नहीं है उनको 200 रुपया मकान भत्ता और 100 रुपया बिजली और पानी के खर्च के लिये। इस प्रकार 1300 रुपया हो गया। फिर ट्रैवल फैसिलिटीज हैं। हम इलिट क्लास में पहुंच रहे हैं लेकिन हमारा कैसा रहन-सहन है इससे जनता को आकर्षित नहीं करते हैं। किन्तु जनता के प्रति हमारी क्या सेवा है और हमारा उनके लिये किस प्रकार का कार्य है उससे हम जनता को आकर्षित करते हैं।

इसके साथ साथ हमको और दूसरों में डिफरेन्स आज क्या है यह भी देखना पड़ेगा। दूसरे लोगों को हम क्या दे रहे हैं उसके हिसाब से भी हमें अपने आपके लिये तय करना चाहिये। एक गजेटेड आफिसर की स्टार्टिंग स्केल क्या है ? 375 से स्टार्ट करता है। मंहगाई भत्ता आदि मिला कर उसको 700 रुपया मिलता है। हमारा एग्जिस्टिंग में 1000 रुपया है और 300 रुपया और बढ़ा देते हैं। पहले सुना था कि 200 रुपया भत्ता देते हैं उसको वेतन में टर्न कर रहे हैं। इस बिल को देखने से पता चला कि ऐसा नहीं है। 300 रुपया एडीशनल बढ़ा रहे हैं और 200 रुपया भत्ते के रूप में रहेगा। हमारे अन्दर एक क्रेज फोर मनी पैदा करने की कोशिश न करें। हमारी इससे प्रतिभा बढ़ने वाली नहीं है। अलबत्ता आवश्यकता है वह पूरी हो, इसकी जरूरत है। उसके लिये कोई हमें एतराज नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। हमारे ही लोगों के साथ जो हमारी असेम्बली का स्टाफ है वह दौरे पर जाता है। बड़ी एनामलस पोजीशन है। हमारी कोई कमेटी दौरे पर जाय तो 51 रुपया रोज डी. ए. मिलता है और फर्स्ट क्लास का टी. ए. लेकिन चपरासी और जो क्लर्क हैं उनको टी.ए. सैकिन्ड क्लास और 15 रुपया या 5 रुपया उनको डी. ए. का मिलता है। अभी हमारी कमेटी काश्मीर गयी थी। 51 रुपया एम. एल. ए. को भत्ता मिला और मकान किराया। सेक्रेटरी गये और क्लर्क गये तो उन लोगों को 15 रुपया मिला और 22 रुपया या 25 रुपया, 27 रुपया मकान का उनको देना पड़ा, खुराक का कितना देना पड़ा वह अलग। स्टाफ एम. एल. एज. के साथ जाय, एम. एल. ए. तो बचायें और स्टाफ को घर से, अपनी जेब से देना पड़े, यह उचित नहीं लगता है। इसलिये उनके रूल्स में भी प्रोविजन करना चाहिये ताकि ड्यूटी पर स्टाफ को एम. एल. ए. के साथ जाने पर कम से कम अपनी जेब से तो नहीं भुगतना पड़े।

अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप पेन्शन देकर विधायक के जीवन-यापन का साधन करना चाहते हैं तो फिर एक विधायक पूरा कन्सन्ट्रेशन सार्वजनिक काम में ही करे। दूसरे प्रोफेशन और ट्रेड में लगने पर पाबन्दी करनी चाहिये। जब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पेन्शन आदि की व्यवस्था है तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे पूरा उसका लाभ जनता को मिल सके और जनता की वह सेवा कर सकें।

और भी कई मुद्दे हैं जिन पर आपस में बैठ कर विचार करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं रूलिंग पार्टी के नेता को एम्ब्रेसिंग पोजिशन में डालने की कोशिश करूं। सलेक्ट कमेटी में सब ही पार्टीज के माननीय सदस्य होंगे, आपस में विचार विमर्श करके युनेनीमसली विधेयक में संशोधन लायें और उसको हाउस पास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह !

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्षजी, इससे पहले कि मैं अपनी कुछ बात कहूं मैं उन माननीय सदस्यों से माफी मांग लेना चाहूंगी जिनके इन्ट्रेस्ट के खिलाफ मेरी बात हो।

माननीय उपाध्यक्षजी, आप सब के सामने आज जो राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 है, उसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाने का प्रस्ताव रखा है, जो अपनी रिपोर्ट अगले सेशन में दे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस बात से तो सब ही माननीय सदस्य सहमत होंगे कि चाहे राजस्थान विधान सभा के, लोकसभा या किसी असेम्बली के सदस्य हों उनको यहां से निवृत्त होने के बाद पेंशन देने का मतलब यह है कि वह अपने जीवन को, जिन्दगी को बेहतर बनायें। इन विधान सभाओं में जनता की सेवा करके आगे वे अपने जीवन को किस तरह से बितायें, हमारा मकसद ऐसे लोगों के लिये प्रावधान करने का है। लेकिन मौजूदा जिस हालत में यह विधेयक लाया गया है उसी हालत में पास किया जाता है तो मेरी अपनी फीलिंग है, मन में बड़ी व्यथा होती है, दुःख होता है, राजस्थान की गरीब जनता का पैसा यों खैरात बांटने के लिये नहीं है। ऐसे लोगों को देने के लिये नहीं है जिन्होंने एक बार जिन्दगी में नेगेटिव वैल्यू के रूप में भी काम नहीं किया है। मैं जानती हूं कुछ इलाकों में मौजूदा सदस्य होते हैं, उनके खिलाफ इस तरह का वातावरण बन जाता है, लोग यह पसन्द करते हैं कि × × × इस आदमी को नहीं जिताना है, नहीं जिताना है। मैं व्यक्तिगत नाम लेकर आक्षेप नहीं करना चाहती हूं और दृष्टान्त देकर भी जनता की निगाह से उनको नीचे नहीं गिराना चाहती हूं, लेकिन हम सब जानते हैं· ·

(व्यवधान)

कृपया मेरी बात मुझे कहने दीजियेगा।

नेगेटिव पहलू के जरिये से भला करते हों, यह राजस्थान की गरीब जनता का पैसा है, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, उनकी कमाई का पैसा है। कल्पना करिये, आप तो

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आज की बात करते हैं, 20 साल के बाद जाकर इस राजस्थान की गरीब जनता का पैसा, मेहनत से कमाया हुआ जनता का पैसा किस रूप में लोगों को मिलेगा। आज हो सकता है आपको 500 आदमियों को देना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक खतरा इसमें और नजर आता है और वह खतरा यह है कि एक टर्म वालों की पेन्शन करके यह कहीं फ्लड गेट तो नहीं खोल देना चाहते हैं। हमारे सामने बीस कान्स्टीटुएन्सी में आदमी खड़े हो जायें और हम समझें कि हो सकता है मेरी पार पड़ जाये और मैं चुनकर आ जाऊं तो बस उसके बाद पेन्शन पक्की। मुझे इस बात का बहुत डर है। मैं फिर निवेदन करना चाहती हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इसको बहुत शान्ति से सोचें। राजस्थान की गरीब जनता ने हमें यहां पर चुन कर भेजा है। हमको एक एक पाई और एक एक पैसे का हिसाब जनता को देना है। पार्लियामेन्ट ने कर दिया, गुजरात ने कर दिया, हरियाणा ने कर दिया या, हिमाचल प्रदेश ने कर दिया इस होड़ में हम लग गये तो इस गरीब जनता के साथ आप बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। यह ठीक है कि राजस्थान के अन्दर हमने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारा है लेकिन क्या यह बात करके राजस्थान की वित्तीय स्थिति को वापिस बिगाड़ने की स्थिति में नहीं ला रहे हैं ? मैं आप सबसे यह बात पूछना चाहती हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह आप यह एक फ्लड गेट खोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो चान्स लेना चाहते हैं। यदि एक बार भी यहां किसी तरह से पहुंच गए तो ताजिन्दगी 250 रुपया पेन्शन मिलेगी।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं, इस विधेयक की मन्शा यह है और पार्लियामेंट में भी यही मन्शा थी। वहां भी किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो यह आवश्यक नहीं है कि हम भी उसकी नकल करके वैसे का वैसा ही पास करें। हमें इस बिल को प्रोग्रेसिव बनाना चाहिए, हमें इस बिल को ऐसा बनाना चाहिए कि राजस्थान की जनता यह महसूस न करे कि हमने बिना सोचे समझे अपने स्वार्थ के लिए यह बिल पास किया है। बल्कि वास्तव में इस चीज के पीछे कोई रीजनेबिलिटी हो, कोई इस तरह की बात हो। मैं आपको उदाहरण देती हूं, सपोज कीजिए कि कोई वकील है, उन्होंने अपनी जिन्दगी में बहुत अच्छी प्रेक्टिस की है, बहुत पैसा कमाया है, कोई 5 हजार का ठिकाना नहीं, कोई 10 हजार का ठिकाना नहीं। 50–55 साल की उम्र में वह सोचता है कि अब हवा ठीक है, प्रजेन्ट एम. एल. ए. में उलट पुलट चल रही है और मुझे भी मौका मिल सकता है। वह खड़ा हो जाता है और चुनाव जीत कर आ जाता है। वह एक बार ही किसी तरह से आ जायेगा तो ताजिन्दगी 250 रुपये पेन्शन के लेगा। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल की मन्शा राजनीति से निवृत्त होने वाले उन लोगों को पेन्शन देने की हो, नहीं हो जिन्होंने राजनीति के अन्दर, संसद या विधान सभा के अन्दर better part of their life या most part of their life बिताया है, जिन्होंने राजनीतिक जीवन के अन्दर बिताया है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह

[redacted]

(24)

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

निवेदन करना चाहती हूं कि इसको एक प्रवर समिति को सौंपा जाये। मेरी दृढ़ मान्यता है और मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वह शब्द एक बार के टर्म के बजाय, repetition is must, वह आदमी दुबारा जीत कर आये तो मैं मानती हूँ कि वह अपनी कुव्वत से जीत कर आता है। एक बार तो किसी का भी तुक्का लग सकता है। repetition is must। वह आदमी दुबारा जीत कर आये और दस साल तक असेम्बली का मेम्बर रहे तो उसको पेन्शन का पैसा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि कहीं दुनियां में ऐसा नियम नहीं है। बेचारा सरकारी कर्मचारी सारी जिन्दगी नौकरी करता है, एक बार भी बॉस ऐसा मिल जाता है तो कैसी जलालत की जिन्दगी बिताता है और फिर फैमिली पेन्शन का हकदार होता है तो उसको मिलती है 1/3।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी समाप्त कर रही हूं।

वह करीब 1/3 पेन्शन का हकदार है और यहां पे के बराबर पेन्शन देने जा रहे हैं। यह कितनी अजीब बात है। मैं कहती हूं कि आप 'ईयर' मत रखिये। 'ईयर' के बजाय 'टर्म' रखिये और दस साल से पहले पेन्शन मत दीजिए। नहीं तो राजस्थान की जनता के ऊपर 40 साल के बाद करोड़ों रुपयों का बोझा केवल पेन्शन देने के लिए पड़ेगा। इसलिए आप इसको सोचिये। जैसा मैंने निवेदन किया repetition is must और जो आदमी रिपीट होकर दुबारा आये वह केवल पेन्शन पाने का हकदार हो, दस साल के बाद आप उसे 500 रुपये दो। मैं कहती हूं कि ठीक है वह जनता की सेवा करते हैं और भी कई तरीके थे····

श्री विजयसिंह : कई एम. एल. ए. जनरल सीट से चुन कर आते हैं और फिर बाद में वह शिड्यूल्ड कास्ट की सीट हो जाती है तो वह कैसे रिपीट करे ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : हम यहां पर अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि की बात नहीं करने जा रहे हैं। यह सर्वहिताय जन हिताय की बात है। किसकी शिड्यूल्ड कास्ट की सीट बनती है और किस की दूसरी बनती है, कौन हारता है या कौन जीतता है यह माइनर चीजें हैं। जनता ने हमको भेजा है, यदि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में उलझ जायेंगे तो हम समझती हैं कि राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिए माननीय पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसके औचित्य से लोगों को कनविन्स करने के लिए आपको कम से कम दस साल की अवधि रखनी चाहिए। उसके बाद ही पेन्शन पाने का हकदार हो। फिर जो तीसरी टर्म में भी आवे उसको 100 रुपये और याने 350 रुपये हों, चौथी टर्म में आये तो 450 रुपये हों और पांचवीं टर्म में भी आये तो उसको 500 रुपये बतौर पेन्शन के मिलने चाहिए। इसके पीछे तो औचित्य है, वरना यों ही करके आप एक फ्लड गेट खोल रहे हैं। जहां एक बार लोग खड़े हो जायेंगे और राजस्थान की गरीब जनता की गाढ़े पसीने की कमाई

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

को खैरात के रूप में आप बांट देंगे। इसको इस तरह से न बांटें। इसका औचित्य जनता को समझाने के लिए, आप यह बिल पास न करें और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें। वह सब पक्षों पर विचार करे। अभी तो विधान सभाओं का एक साल का कार्यकाल बढ़ गया है। आप अगले सैशन में पास कर लें। क्या जल्दी है? प्रवर समिति को इसको आपको सौंपना चाहिए। सब पक्ष इसके ऊपर विचार करें, इसके प्रोस और कान्स सब लोग सोचें और सोचने के बाद इस बिल को इस रूप में पास किया जाये कि राजस्थान की जनता मान सके कि राजस्थान विधान सभा ने पार्लियामेन्ट से भी अच्छा औचित्यपूर्ण तरीके से पेन्शन का बिल बनाया है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तृतीय वाचन पर बोल लें। आपको टाइम दे देंगे।

श्री रावत राम (छापर) : आप तो दो बार चुनकर आये हैं फिर क्यों बोलते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री खेतसिंह (संसदीय मामलात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बहुत ही जन अपील की है और यह कहा कि असेम्बली में तो फ्लूक से भी आदमी आ जाता है, मैं कहता हूं कि एक लाख आदमियों का रिप्रेजेन्टेशन हो और वहां 60–70 हजार वोटर्स हों और वह वोट देकर किसी व्यक्ति को चुनकर भेजें तो उसको आप फ्लूक कहें इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आम तौर पर पंचायत के चुनाव में भी जो आदमी सरपंच चुना जाता है उन्हें गांव की जनता ठोक बजा कर, जिसे उचित समझती है, चुनती है।

उन्होंने यह दलील दी कि एक लखपति वकील जिन्दगी भर खूब पैसा कमाकर उसके बाद में चुनाव लड़े और चुनाव लड़ कर जीत कर आ जाये तो वह भी 250/– रुपये लेने का अधिकारी होगा। मैं माननीय सदस्या को निवेदन करना चाहूंगा कि लखपति वकील की बात को तो छोड़िये, अरबपति के. के. बिड़ला ने झुन्झुनू से चुनाव लड़ा था और वे एक मामूली कार्यकर्त्ता शिवनाथसिंह से बुरी तरह से पिट गये। इसलिए यह आपका कहना कि लखपति होने से विधान सभा का सदस्य बन जाएंगे, यह कतई उचित नहीं है। वास्तव में जनता का जिसमें विश्वास होता है, वही व्यक्ति चुना जाता है। जनता आज पांच पांच चुनावों के बाद काफी होशियार और काबिल हो गई है और जिस व्यक्ति को चुना जाना चाहिये, उसे ही चुना करती है। आपने यह भी कहा कि जो एक बार सदस्य रहे उसे तो पेन्शन नहीं देनी चाहिए, दो बार चुन कर आवे उसे पेन्शन देनी चाहिए। यह आम तौर पर कोई दलील नहीं है। फिर आपने यह कहा कि दो बार आने के बाद आ जाये, तीसरी बार आ जाये तो 100 रुपये और दिए जाएं और चौथी बार आ जाए, तो 100 रुपये बढ़ा दिये जायें। आम तौर पर भावना यह है, आज देश में हवा भी चल रही है कि

(श्री खेतसिंह)

विधान सभा में नया खून आवे। हम भी यह चाहते हैं कि नये नये एम.एल.ए. आवें। इसलिए मैं माननीय सदस्या की यह बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि कांग्रेस सरकार आज है तब तो जो पेन्शन दे रहे हैं, वह ठीक है,..

श्री उपाध्यक्ष: ये दोनों तो नये खून वाले हैं ..

श्री खेतसिंह: और आपने यह भी कहा कि आपकी सरकार ने प्रिन्सेज का प्रिवीपर्स बंद कर दिया तब जब दूसरी सरकार आएगी तो वह भी आपकी पेन्शन को बंद कर देगी।..

एक माननीय सदस्य: आएगी ही नहीं।

श्री खेतसिंह: 25 वर्षों से तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है फिर भी कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिली। आगे आप किस वास में रहना चाहते है..

श्री मूलचंद सामरिया: यह तानाशाह की भाषा है।

श्री खेतसिंह: 500 रुपया तनख्वाह हम देते हैं तो हमने इसके लिए तय किया कि हम आपको तनख्वाह 300 रुपये दें और 300 रुपये की तनख्वाह पर 500 रुपये पेन्शन दें, तो यह नियम विरुद्ध बात होगी। इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि आपकी सेलेरी 500 रुपया कर दी जाये। इसलिए 500 रुपये सेलेरी कर दी गयी है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 500 रुपया आपने सेलेरी कर दी और 200 रुपया आप और अलाउन्स दे रहे हैं, इसके अलावा 100 रुपया और अलाउन्स दे रहे हैं। इस तरह आपको 800 रुपया सेलेरी का हो जायेगा। मैं उनकी बात से सहमत हूं और आपकी बात में वजन भी है इसलिए आपकी सेलेरी 600 रुपया ही रखी जायगी और 800 नहीं रखी जाएगी।

आपने यह भी कहा कि एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को जो पेन्शन मिलती है वह 40/- 45/- और 50/- रुपया मिलती है और विधायक को 500 रुपया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और विधायक का मामला आपस में कहां मिलता है, यह बराबर का मामला नहीं बैठता है। यह दृष्टिकोण जो आपने बताया है लगता है आपका यह साम्यवादी दृष्टिकोण है। आप यह मानकर चलते हैं कि उनकी पेन्शन बढ़े। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। इसमें समय लग सकता है। हर एक व्यक्ति को भरण-पोषण की सुविधा मिलनी चाहिये।

आज जो यह बिल मैंने पेश किया है उसके पीछे भावना भी हमारी यही है कि आम तौर पर जो व्यक्ति चुनाव में आकर कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में काम करते हैं और जिन्दगी का जो श्रेष्ठ समय होता है उनका, वह समय एक कार्यकर्ता के रूप में व्यतीत हो जाता है और उनको बुढ़ापे में मुश्किलात होती हैं; पहले के कई माननीय सदस्यों का आज यही हाल है। विधान सभा का चुनाव लड़ने के बाद दुबारा वे हार गये और वापिस नहीं लौटे तो उनकी माली हालत गिर जाती है। इसलिए उनके भरण-

(श्री खेत सिंह)

पोषण की जिम्मेवारी निश्चित तौर से समाज और सरकार की होनी चाहिये। इन सारे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए यह पेन्शन बिल रखा है। आपको मालूम है, संसद के दोनों सदनों ने इस तरह का पेन्शन बिल पास किया है और कई राज्यों के अन्दर यह विचार-धारा स्वीकृत हुई है। अलग से राज्यों में पेन्शन के कानून पास हो चुके हैं। अपने यहां पर भी आम तौर से यह भावना थी कि पेन्शन दी जानी चाहिये। यह अलग बात है यहां पर कोई भाई माननीय सदस्य इसके विपरीत बोल कर यह चाहते थे हमारा समाचार पत्रों में नाम प्रगतिशीलता का आवे और इस भावना में आकर उन्होंने यहां पर अपने विचार व्यक्त भी किये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। मंत्री महोदय को ये शब्द वापिस लेने चाहिये···

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह : आपके लिए नहीं कह रहा हूं। इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस कानून में यह भी प्रावधान रखा है जो माननीय सदस्य नहीं लेना चाहे, वे चाहें तो न लें। इस सम्बन्ध में यहां पर जो यह कह रहे हैं वे क्या हैं यह अपने आप इस प्रावधान से मालूम हो जाएगा। आप चाहें तो तनख्वाह लें, आप चाहें तो पेन्शन न लें। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो लिखित में अध्यक्ष महोदय को दे दीजिये आपको पेन्शन नहीं मिलेगी और वह पैसा राज्य सरकार की ट्रेजरी में ही रहेगा और उसे राजस्थान की जनता की भलाई में सरकार खर्च कर सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या, माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री विजयसिंह : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव, जो उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया है, वापिस लेने की अनुमति दी जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अपना प्रस्ताव वापिस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

(श्री उपाध्यक्ष)
को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

खंडशः विचार।

प्रश्न यह है कि खंड 2 लगायत 4 को स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खंड 2 लगायत 4 स्वीकार किये गये।

खंड 5 मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है।

अभिव्यक्ति "1957 के राजस्थान अधिनियम 6 में धारा 4 ख का अंतःस्थापन मूल अधिनियम में धारा 4 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात:––" निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:––

"1957 के राजस्थान अधिनियम 6 में, धारा 4 क का प्रतिस्थापन:––मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:––"

(ii) खण्ड 5 में प्रारंभ के चिन्हांकन (") के पश्चात् आने वाली संख्या "4ख" के स्थान पर "4 क" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी !

श्री खेतसिंह : मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है : स्पष्टीकरण 11 के पश्चात खण्ड 5 में निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण 11 क अन्तःस्थापित किया जायेगा-"स्पष्टीकरण 11 क–इस धारा के अधीन पेन्शन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कुल वर्षों की संगणना में किसी व्यक्ति की राजस्थान विधान सभा की सदस्यता की अवधि में वह अवधि भी सम्मिलित की जावेगी जिस अवधि में वह संसद अथवा भूतपूर्व अजमेर राज्य का विधान सभा का सदस्य रहा हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इसलिए रखा गया है कि अजमेर 'सी' पार्ट, स्टेट थी और अजमेर का मर्जर राजस्थान में सन् 56 में हुआ था। इसके पहले 52 से 56 तक माननीय सदस्य अजमेर विधान सभा के सदस्य रहे थे। आज जब सभी को पेन्शन कर रहे हैं तो अजमेर राज्य के विधायकों को भी पेन्शन होनी चाहिए। इसी प्रकार से यह भी है कि एक टेम्पोर विधान सभा का और एक टेम्पोर लोक सभा या राज्य सभा में चला जाये तो उनको भी वह बेनीफिट दो टर्म का मिलना चाहिये। इस हिसाब से यह रखा गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को मंजूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (5) में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड (6)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (5) में मेरा भी है एक अमेण्डमेंट।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा आपका है तो बोलिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि नई धारा (4बी) के पहले परन्तुक के बाद और दूसरे परन्तुक के पहले निम्नांकित नया परन्तुक जोड़ दिया जावे:—

"Provided further that no such pension shall be paid to any person if his annual income from any other source or sources is more than five thousand rupees."

इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी आमदनी 5000) रुपया सालाना से अधिक हो किसी और सोर्स से, पेन्शन का हकदार नहीं होगा। जैसा कि जनरल डिबेट में मैंने निवेदन किया था, जो साधनहीन हों, जो कि एम एल ए. की तनख्वाह पर निर्भर हों, उनको पेन्शन मिले, लेकिन जिनके पास रोजगार के और साधन हैं या और धन्धा करते हैं और उनकी आमदनी इतनी है कि उनका भरण-पोषण ठीक तौर से हो सकता है तो उनको पेन्शन नहीं दी जाय। यही आइडिया स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, ऐसा ही पोलिटिकल सफरर्स के लिए भी है और वही इसमें भी होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 के खण्ड (5) में संशोधन इस प्रकार रखा है:—

In new section 4B substitute the words "Three hundred rupees" for the words "Two hundred and fifty rupees."

जहां पर 250 रुपया पेन्शन देने की बात इसमें कही गई है वहां पर 300) रुपया मासिक देने का मैंने सुझाव दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य के पांच साल रहने के बाद पेन्शन देने का प्रश्न आता है तो जिन कारणों से यह प्रश्न उठा है कि माननीय सदस्यों को पेन्शन इसलिए दी जाय कि वह अपने सार्वजनिक जीवन में अपने जीवन के स्तर को बनाये हुए रखें और विधान सभा के काल के अन्दर जो भी उन्होंने सेवाएं की हैं उन्हें वह निरन्तर विधान सभा के सदस्य न होते हुए भी जारी रखें, और कुछ समय अपना सार्वजनिक जीवन के लिए देते रहें। तो मैं समझता हूं कि 250 रुपये बहुत कम होंगे। पार्लियामेन्ट के अन्दर भी जब 300 रुपये रखे गये हैं और किन्हीं दूसरे राज्यों में, यू. पी. में भी 300 रुपये रखे गये हैं तो माननीय विधि मंत्रीजी जो इस समय वार्तालाप कर रहे हैं·····

एक माननीय सदस्य : विधि मंत्री जी।

श्री शंकरलाल : उन विधि मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब हमारी पार्लियामेंट मे 300 रुपये का प्रावधान रखा है और यू. पी. ने 300 रुपये मासिक का प्रावधान रखा है तो राजस्थान हर काम में, प्रत्येक काम में अपने आपको अग्रणी कहलाने के लिए अग्रणी भी रहता है, आगे भी आता है तो इस काम में विधान सभा के सदस्यों की पेन्शन के मामले में भी उसको पीछे नहीं रहना चाहिए । जैसा कि हमारे विधि मंत्री जी ने कहा है, हम लोग जो कि जनता के चुने हुए व्यक्ति होते हैं उनकी वे रेस्पेक्ट करते हैं तो रेस्पेक्ट इतनी करें जो कम से कम उपयुक्त तो हो। इसलिए 250 रुपये की जगह 300 रुपये मासिक देने का मैंने यह सुझाव रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात का समर्थन करेंगे, और विधि मंत्रीजी भी इस बात को स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री शंकरलाल : यह जो खण्ड (5) है उस पर मेरा दूसरा भी प्रस्ताव है उस पर भी बोल लूं ।

श्री उपाध्यक्ष: एक ही खण्ड पर है ?

श्री शंकरलाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, 300 रुपये मासिक देने के साथ साथ मैंने दूसरा सुझाव भी रखा है । वह सुझाव यह रखा है :— . .

In new Section 4B add the following words after the words "whether continue or not"

"and he shall enjoy the same medical facilities as he was enjoying during the period of his being the member of the Rajasthan Legislative Assembly."

विधान सभा के सदस्य को विधान सभा के सदस्य-काल के अन्दर चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं प्राप्त थीं वे उनको रिटायरमेंट होने के बाद पेन्शन के साथ-साथ भी मिलती रहे । उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मतलब यह है कि 5 साल विधान सभा सदस्य रहने के बाद, जो भी मेडिकल फेसिलिटीज उनको मिलती थीं, वे मेडिकल फेसिलिटीज बन्द हो जाती हैं तो फिर यह जो 300 रुपये या 250 रुपये उनको पेन्शन के मिलते हैं वह कुछ मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इतनी सेवा करने के बाद, मैं तो यहां तक कहूंगा कि विधान सभा में 5 साल रहने के बाद अधिकतर माननीय सदस्य और भी कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं । इसलिए आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी उनका स्वास्थ्य बना रहे और उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिलती रहें । कई माननीय सदस्य तो दो बार या तीन बार रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो तीसरी बार इस सदन के अन्दर उपस्थित हुआ हूं । मेरी भी फीलिंग है, मेरी ऐसी मान्यता है कि एक बड़े लम्बे अर्से से चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हमें मिली हैं । इसके बाद जहां माननीय सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद पेन्शन देते हैं तो चिकित्सा के लिए जो उनको सुविधाएं प्राप्त थीं वह देते रहें और उनका स्वास्थ्य बनाये रखें तो उनकी सेवाएं प्राप्त कर काफी मदद ले सकेंगे, और उनके परिवार को काफी मदद

(४१)

(श्री शंकरलाल)

दे सकेंगे, और उनके परिवार को काफी मदद मिलेगी। यह अनिवार्य भी है। दूसरे पेन्शन प्राप्त अधिकारियों के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी करते हैं। मेडिकल फेसिलिटीज को मैं पेन्शन से ज्यादा तरजीह देता हूं। यह जरूर होना चाहिए। पेन्शन जो है वह कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन मेडिकल फेसिलिटीज बहुत जरूरी हैं ताकि उनको स्वस्थ बनाये रखें और हमारी मदद कर सकें। इतनी ही मैं विनय करूंगा और माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि एक स्वर से इसका समर्थन करें और माननीय प्रभारी मंत्रीजी से भी प्रार्थना करूंगा कि इसको स्वीकार करें।

श्री विजयसिंह : क्या सदन में आने के बाद बीमारी ज्यादा लगती है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन क्लाज (5) पर माननीय श्री शंकरलालजी ने रखा है मैंने भी यही संशोधन प्रस्तुत किया है। इसके पीछे भावना यह है कि जो एम. एल. एज. और पार्लियामेंट के सदस्य रिटायर हो जायं तो रिटायर होने के बाद में भी उनका ऐसा सम्मान होना चाहिये, उन्हें भी ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिये जो उनके स्वास्थ्य के लिये लाभदायक हों। अब प्रश्न यह उठेगा कि पार्लियामेंट में जो विधेयक पास हुआ है उसमें यह प्रोविजन नहीं है तो अगर पार्लियामेंट में यह पास हुआ है और उसमें यह प्रोविजन नहीं है तो भी हम एक अच्छी परम्परा डाल सकते हैं। हम कोई ऐसी बात तय करें कि सेन्टर भी उस मान्यता को माने और दूसरी प्राविन्शियल गवर्नमेंट भी उस मान्यता को मानें तो यह हमारे लिए बहुत ही सुखद और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसके ऊपर राज्य सरकार गौर करें। मैं तो विधि मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह मुख्य मन्त्री महोदय से सलाह ले लें और सलाह लेकर यह अमेण्डमेण्ट एड कर लें तो यह जो पेंशन के बारे में जो निर्णय लिया गया है, इसकी गरिमा को बढ़ायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार-अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, "Provided further....

श्री उपाध्यक्ष : आप जरा माइक के सामने आ जायें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : After proviso first of clause 5, a new proviso may be inserted as follows :—

अभी मेरी पार्टी के (विराम) मैं पूरा पढ़ दूं।

"Provided further that the persons whose income exceeds rupees five thousand annually shall not be entitled to draw any pension."

श्री उपाध्यक्ष : आपने पहला पढ़ा है, वह क्लाज 5 ही है न ?

Page No.42

[redacted] [redacted]

42

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने जो पहले पढ़ा है, वही है।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज 5 ही है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जी हां।

यहां इस किस्म की राय आई है कि हमारी कुछ खास जिम्मेदारियां हैं। मेरा निवेदन है कि आपको एम्प्लाइज की दिक्कतों को भी देखना पड़ता है। हम अपने बारे में ही फैसला लें यह अच्छा नहीं मालूम पड़ता है। मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में कम से कम एक सीमा हो। अगर किसी की 5 हजार सालाना से ज्यादा की आमदनी है तो उसको पेंशन नहीं होनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है। मेरा लाजिक यह है कि जो पेंशन आज हम दे रहे हैं, चाहे ओल्डं एज को दे रहे हों, बेवाओं को दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स को दे रहे हैं, अभी तक जो पेंशन दे रहे हैं, वह इतनी कम है कि गुजारे के वास्ते काफी नहीं है। अभी मिनिमम वेजेज एक्ट के बारे में कहा गया है। हम देखते हैं, किसी बेवा को 20 रुपया मिलता है तो किसी को 40 रुपया मिलता है। तो हमको यह देखना चाहिये कि हम अपने लिए जो यह कर रहे हैं, वह हमारे लिए शोभाजनक है या नहीं ? इसीलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह सुझाव रखा है कि मेम्बर्स को, जो कि अब मेम्बर नहीं हैं, पेन्शन दे रहे हैं, अगर उनकी आमदनी 5 हजार रुपया सालाना से ज्यादा है तो उनको पेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आगे चलकर उनकी आमदनी कम हो जाती है तो उनको वह पेंशन जारी कर देनी चाहिए। मेरी गुजारिश यह है कि हम अपने बारे में ऐसा फैसला नहीं करें जिससे कि कोई हम पर अंगुली उठा सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधि मन्त्री जी !

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने खण्ड 5 में जो अमेण्डमेण्ट रखा है –
"provided further that the persons whose income exceeds rupees five thousand annually shall not be entitled to draw any pension."

इसका मतलब यह हुआ कि 5 हजार रुपये की आमदनी हुई और 6 हजार मिल गई पेंशन। इस पर कुल आमदनी 11 हजार हो गई। आपको मालूम है कि 8 हजार होते ही इन्कम टैक्स शुरु हो जाता है। इसलिए स्लैब ज्यादा होते ही इन्कम टैक्स ज्यादा लग जाता है यह टैक्स 75% तक आखिर में चला जाता है। इन्कम टैक्स में आ जाते हैं तो वैल्थ टैक्स में भी आ जाते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा है कि 500 कराकर हमारा काफी घाटा करा दिया है।

श्री मीठालाल मीणा : बिलकुल ठीक है।

श्री खेतसिंह : सोगानी जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि 3,600 मिलते थे तो 1800 इन्कम टैक्स देना पड़ता था। अब यह होने से और ज्यादा इन्कम टैक्स देना पड़ेगा। अब आप जो कह रहे हैं उससे तो यह होगा कि नयी अदालतें बनें। इन्क्वायरी करायी जाये कि इनकी इन्कम 5 हजार है या उससे कम है। इसलिये इसका कोई महत्व नहीं है। जिनकी ज्यादा होगी, वह टैक्स के जरिये वसूल कर लिया जाएगा। यह भिन्नता करना अच्छा नहीं रहेगा। मेरा निवेदन है

(श्री खेतसिंह)
कि कृपापूर्वक आपने जो संशोधन किया है, वह आप वापिस ले लीजिये।

अभी दूसरा प्रस्ताव, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए। झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या भी यह कह रही थीं कि यह जरूर होना चाहिए। लेकिन 500 रु. देने के पीछे भावना ही यही थी कि उनको अगर बुढ़ापे में बीमारी हो तो अपनी दवा-दारू करा सकें। बाकी राजस्थान के अन्दर दवा दारू की जरूरत पड़े··

श्री शंकरलाल : दवा की जरूरत पड़ सकती है, दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री खेतसिंह : कई को ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, जिनको जरूरत हो सकती है इसलिए कृपापूर्वक आप संशोधन वापिस ले लें।

कई माननीय सदस्य : वह 300 रुपये वाला····

श्री खेतसिंह : 250 से 300 के बारे में बात यह है कि पार्लियामेंट में 300 से शुरू किया है। पार्लियामेंट और विधान सभा को बराबर सोचें।

एक माननीय सदस्य : यू.पी. में····

श्री खेतसिंह : इसके बावजूद एक विचारधारा यह चल रही है कि पेंशन होनी ही नहीं चाहिये क्योंकि इसका बजट पर भार पड़ेगा। दूसरा यह है कि 250 से 300 कर दो। मैं समझता हूं कि यह ठीक है। यहां जब कि भारत के संविधान में संशोधन हो रहा है, इसमें फिर क्यों नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, क्या अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य, अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं प्रेस करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, क्या वह वापिस लेंगे ?

श्री शंकर लाल : विधि मंत्री के भाषण के पश्चात्, जो उन्होंने यह कहा है कि इसमें भी संशोधन आ सकता है, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो प्रस्ताव रखा है, क्या उसे वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं प्रस्ताव वापिस लेता लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 के खण्ड 5 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 6। श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है In clause 6 the new proviso be added- "Provided further that there will be no ceiling on the distance for the members who travel by Railways within the territory of Rajasthan State."

ऐसा है कि यू.पी. के अन्दर विधायकों को यह फायदा है कि यू.पी. की टेरीटरी के अन्दर जो लोग ट्रेन से सफर करते हैं उसमें उनके लिये कोई पाबन्दी नहीं है। हमारे यहां पर ऐसा है कि 12 हजार किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि हम लोग जो जनता से चुनकर आते हैं उनको ·····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : राजनीतिक काम-काज के सिलसिले में राजस्थान के कई हिस्सों में जाना पड़ता है, उसमें हमको बस की सुविधायें तो प्राप्त होती हैं रेल्वे से जर्नी करने की सुविधायें प्राप्त नहीं होतीं। मैंने यह संशोधन इसलिए रखा है कि जिस तरह से यू.पी. के अन्दर रेल्वे से जर्नी करने की सुविधा मिल रही है उस पर कोई सीलिंग नहीं है, बाहर के लिये सीलिंग है, मेरा निवेदन है कि बाहर के लिए सीलिंग तो आप 12 हजार किलोमीटर की जगह भले ही आठ हजार किलोमीटर करें लेकिन स्टेट के अन्दर रेल्वे से जर्नी करने की सहूलियत दें तो इसमें आपको भी आसानी होगी और हम लोगों को भी आसानी होगी। राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचा जा सकेगा जो उत्तरी राजस्थान में है। इस दृष्टि से यह संशोधन रखा गया है और इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री मीठालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय,···

श्री उपाध्यक्ष : खण्डशः जब विचार हो रहा हो तो मैं आपको अलाऊ नहीं कर सकता।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि विदाउट दी स्टेट रेल्वे जर्नी को लिमिटेड कर दिया जाय। इसमें हमारा

(श्री खेतसिंह)
निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों को 12 हजार किलोमीटर रेल्वे से यात्रा करने के लिये सुविधा प्रदान की हुई है, 12 हजार किलोमीटर की तो वह है और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के द्वारा स्टेट के अन्दर यात्रा करने के लिये कूपन मिले हुए हैं और वह अनलिमिटेड है, वे जितना चाहें सफर कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे कोई खास परेशानी किसी भी माननीय सदस्य को नहीं होगी जिसकी वजह से इस पर और कोई विचार किया जाय। फिलहाल जो सुविधा मिली हुई है वह काफी है इसलिए मैं इस संशोधन को मन्जूर करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य श्री मोहम्मद गफ्फार अली ने खण्ड (6) में जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड '1' अधिनियमन सूत्र, संक्षिप्त नाम, प्रस्तावना आदि को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र, संक्षिप्त नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को यथासंशोधित पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रसंग में केवल दो तीन शब्द ही कहना चाहता हूं, लिहाजा कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। बार बार देखा गया है कि हम सदन के अन्दर अपने तथा अपने परिवार की भलाई के लिये ज्यादा कोशिश करते हैं और राजस्थान की जनता, जिसने हमको उसके भले के लिए चुन कर भेजा है, के लिए इतना नहीं सोचते हैं। आज भी हमारे प्रदेश के अन्दर जनता काफी गरीबी से पीड़ित है उसकी तरफ हमारा अधिक ध्यान नहीं जाता है। एक तरफ तो मजदूरों का बोझ पूरी तरह कटता जा रहा है, हम उसकी तरफ आंख मींचे बैठे हैं। इसके साथ ही साथ जब राज्य कर्मचारियों की तनख्वाहों के बढ़ाने का

(श्री मोहरसिंह)

सवाल आता है तो भी कोताई बरती जाती है, कमदिली दिखाई जाती है। दूसरी तरफ हम आम जनता के रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा उठाने के लिये ध्यान नहीं देते हैं। जहां पर अपने पास पैसा आता है, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का सवाल आता है, पेन्शन शुरू कर दी जाय यह सवाल आता है वहां पर फराखदिली दिखाते हैं। इसलिए मैं मूलत: इसका विरोध कर रहा हूं। प्रश्न यह आता है जैसा श्रीमान खेतसिंह जी ने कहा कि आप माननीय अध्यक्ष महोदय को लिख कर दे दें कि आप नहीं लेंगे। मैं मानता हूं कि आपका बहुमत है इसलिए यह पास तो हो जायेगा। लेकिन मैं इस पैसे को इस प्रकार से छोड़ देना भी पसन्द नहीं करता हूं। यह पैसा कहां जायेगा, यह पैसा मेरी पार्टी के कोष में जायेगा और उसकी इच्छा के अनुसार खर्च किया जायेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मूलत: मैं पेन्शन शुरू करने के विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काफी आदर्श की बात कही है लेकिन आखिर में जाकर प्रोविजन जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि पेन्शन तो लूंगा लेकिन पार्टी के हित में जमा करा दूंगा। लेकिन हमारी पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है और पैसा···

श्री मोहरसिंह : हमारी पार्टी बहुत गरीब है, आपके पास तो पैसे की बहुतायत है, इसलिए आप लोगों से गरीब जनता की पार्टी को ज्यादा आवश्यकता है।

श्री खेतसिंह : आपकी पार्टी गरीब नहीं है, खून-खच्चर और चोरी डकैती इन सबमें विश्वास करती है।

श्री मोहरसिंह : यह इल्जाम बिल्कुल गलत है, यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हुई।

श्री फूलचन्द जैन : पश्चिमी बंगाल में आपने किया है ऐसा।

(व्यवधान:अश्रव्य)

श्री मोहरसिंह : कल गिरधारी लाल जी व्यास ने ऐसी ही बातें कहीं थीं, मेरे बोलने के बाद में दुबारा मुझे

(अश्रव्य)

लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है कि उनको जवाब देने की इजाजत नहीं मिल सकती। क्योंकि अब इमर्जेन्सी लगी हुई है। इमर्जेन्सी हट जायेगी तब एक एक बात का जवाब दूंगा खुलासा रूप से बाहर पर्चे छपवाकर या यहां दूसरी बार मौका मिलने पर अगले सत्र में।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज कल बड़े-बड़े सेठ सब उनके साथ हैं, हमारे साथ नहीं हैं।

श्री मोहरसिंह : आप ही सेठों को बढ़ावा दे रहे हो और गरीब मजदूरों, किसानों को दबाते जा रहे हो। उल्टा हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

[redacted]

47

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य ने वाक-आउट तो नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा) (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को मय संशोधन के पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 मय संशोधन के पारित किया गया।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974

माननीय पंचायत मंत्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, पंचायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)

जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है वह मैंने देखा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि राज्य की ओर से, मंत्रियों की ओर से जब कि अक्टूबर का सैशन था–1976 का, उसमें भी अमेन्डमेन्ट पंचायतों के बारे में रखे गये थे। उससे भी पहले 1974 के सैशन के बाद भी असेम्बली के सेशन आये और उन्होंने अमेन्डमेन्ट पहले प्रस्तुत किये थे। तो मैं समझता हूं कि जब वह अमेन्डमेन्ट पहले प्रस्तुत किये गये थे उनके साथ में ही यह छोटा सा अमेन्डमेन्ट भी अगर प्रस्तुत कर दिया जाता तो सदन का इतना समय जाया नहीं होता। इतना जो एक्सपेन्डीचर हुआ है, खर्चा हुआ है। उसकी जिम्मेदारी मन्त्रियों पर है या वे अधिकारी दोषी हैं। हमारी एग्जीक्युटिव मशीनरी जिस प्रकार से चल रही है, मैं कल भी निवेदन कर रहा था, उसकी गति बहुत हो धीमी है। इसलिए जो इसके लिए दोषी हैं, सदन का इतना समय खराब करते हैं और गवर्नमेन्ट का खर्चा कर रहे हैं उन अधिकारियों को दण्डित किया जाय। पहले जब आप ने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किये थे, तो यह तो बहुत ही छोटा सा अमेन्डमेन्ट था, एक छोटा सा मामला था कि आपने सर्विसेज के अन्दर 1974 के अन्दर जिनको लगाया जिनकी सर्विस टू ईयर्स कन्टीन्यूअसली रही, उनको आपने कर दिया। तो यह भी मैं जानना चाहता हूं कि जो मसला है वह कौन से ईयर का है, उन सर्विसेज के बारे में कौन से ईयर का है जब आर्डिनेंस जारी किया गया था ? इसको जानने से यह

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पोजीशन का पता चलेगा कि हम कितनी डिले कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी किस प्रकार से चल रही है, यह हमें सोचना पड़ेगा। हम कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और प्रोग्रेसिव 44 वां संशोधन अधिनियम हमने पारित किया है तो हम यह भी चाहते हैं कि हमारी इन पंचायतों के बारे में सादिक अली की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, भण्डारी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और गिरधारीलाल व्यास की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। उन रिपोर्ट्स के बारे में विशेषकर गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट के बारे में 74 के अन्दर 8 अप्रेल, 1974 को मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि हम गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट मंत्रिमंडल में रख रहे हैं, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमें समय पूरा मिला नहीं है, हम अध्ययन करके जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करके उसके आधार पर कुछ निर्णय लेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बारे में मंत्रि-मण्डल में किस प्रकार विचार हुआ और विचार होकर के क्या निर्णय लिये गये? उन निर्णयों के आधार पर पंचायतों में और जिला परिषद् में क्या परिवर्तन हुए? यह मैं जानना चाहता हूं। 8 अप्रेल, 1974 को श्री राम चन्द्र चौधरी ने विधेयक प्रस्तुत किया था और टर्म एक्सटेंड की गई थी। उस समय यह कहा था कि मैंने राज्य सरकार के सामने उस कमेटी की रिपोर्ट को रखा है और कुछ निर्णय भी सरकार ने लिये हैं। फिर भी चुनाव नहीं हो सके। तो कुछ निर्णय क्रियान्वित होते और उसकी रिकमन्डेशन के आधार पर कुछ कार्य होता। अब चूंकि राज्य सरकार ने इस विधेयक के जरिये एक साल की अवधि मांगी है। उस समय अल्प समय था और विशद रूप से विचार-विमर्श मंत्रिमण्डल में हो नहीं सका था। अब समय काफी मिलने की सम्भावना इसमें प्रतीत हो रही है। तो मैं मान्यवर आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिकमन्डेशन्स के ऊपर राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल में विचार किया जायेगा और जिस प्रकार कमेटी की रिपोर्ट ड्राफ्ट हुई थी उसी प्रकार से रिकमण्डेशन्स के मनवाने में दिलचस्पी मेरी ओर से लूंगा।

उनके विश्वास दिलाने के बाद में 2½ साल हो गये। 2½ साल में मंत्रिमण्डल ने क्या निर्णय लिया और क्या प्रगति की? यह मैं जानना चाहता हूं। अब भी जो कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट प्रस्तुत हुआ है वह विस्तृत रूप से प्रस्तुत हुआ है, आप भी यह छोटा सा अमेंडमेंट न लाकर पंचायत समिति और जिला परिषद् के लिये अगर कोई अमेंडमेंट रखते, पंचायतों की पावर्स को बढ़ाते, जिला परिषदों के अधिकारों को बढ़ाते, चुनाव की प्रणाली में परिवर्तन करते तो हमें कुछ समझ में आता कि आपका मंत्री-मण्डल कुछ काम कर रहा है, राज्य सरकार कुछ काम कर रही है और पंचायतों के संबंध में हम कुछ करना चाहते हैं, वास्तव में हमारे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को हम सफल करना चाहते हैं, असफल नहीं करना चाहते हैं। 1959 में 2 अक्टूबर को हमने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना की। हमें प्रसन्नता हुई कि हमने इस संबंध में सब से बड़ा कदम लिया परन्तु अब किस

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रकार से चल रहा है और किस प्रकार आप का कदम चल रहा है ? मैंने पहिले प्रश्न पूछा था उस प्रश्न के जवाब में चुनाव मंत्री ने मुझे यह विश्वास दिलाया था कि चुनाव 10 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक सम्पन्न करा लिये जायेंगे। उनका वह विश्वास, उनकी वह घोषणा अब ठंडी हो गई है। अब घोषणा की जायेगी फरवरी में चुनाव करा रहे हैं तो विश्वास नहीं होगा, जनता को विश्वास नहीं होगा। 64 के बाद में चुनाव हुए 12 साल होने जा रहे हैं, फरवरी में 13 साल सम्पन्न हो जायेंगे, आप यह कहेंगे कि कभी अकाल की स्थिति पैदा हुई, कभी बाई इलेक्शन की स्थिति और बाढ़ की स्थिति, तो फिर कब चुनाव होंगे ? इससे पहिले 71 के चुनाव हो गये पार्लियामेंट के, हमने 72 के चुनाव कर दिये परन्तु हम क्या अब पंचायतों के चुनाव करने जा रहे हैं ? कारणों पर जनता विश्वास नहीं करती। जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी गिरधारी लाल व्यास कमेटी की, वह रिपोर्ट सदन में उपस्थित नहीं हुई, वह डिस्कस नहीं की गई। वह रिपोर्ट अब पुरानी भी हो गई है किन्तु सदन में डिस्कस नहीं हुई। मैं उस कमेटी की रिकमन्डेशन्स हैं उन पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं।

"Before making any recommendations regarding the tenure of three tires of Panchayati Raj, we want to point out emphatically that elections should now be held without further delay and the tenure of these bodies should in no case be extended again. The importance of this recommendation would be further reflected by the fact that the committee has sent an interim report to the Government about this and other collateral issues. As already pointed out in the opening remarks, the persistent postponement of elections from one year to another has not only brought disrepute and ridicule to the Panchayati Raj institutions, but it has also thrown these bodies into a state of Slumber, *inertia* and indifference. The peoples' representatives themselves have complained that their esteem in the eyes of the people has reached a low ebb simply because they have not faced the electorate from such a long time. Timely elections, by ensuring an inflow of fresh blood and elimination of the dead wood at regular intervals serve as a deterrent to the decline of Panchayati Raj, we would, therefore, also recommend that the calendar of elections should be unalterable and should not be subject to the executive. It should be made mandatory for the Government to honour scrupulously the tenure of these bodies and timely elections should always be held."

इस गिरधारीलाल व्यास समिति के अध्यक्ष थे, जो अपने कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उस समिति के सदस्य हैं श्री रामनारायण चौधरी जो मिनिस्टर हैं और भी कई सदस्य थे। उन्होंने भी इस कमेटी की रिपोर्ट में इसको प्रेस किया, इस बात पर जोर दिया, तो अपने को क्या कठिनाई आ रही है ? जब हम नगरपालिकाओं के चुनाव करा सकते हैं तो पंचायतों के चुनाव में क्या बाधा आ सकती है ? मैं चाहता हूं आप निश्चित तिथि से अवगत

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)
करायें। अगर पार्लियामेंट के चुनाव हो जायें तो मैं नहीं कहता कि आप करायें मगर पार्लियामेंट की टर्म एक साल की एक्सटेंड कर दी गई है इसलिए पार्लियामेंट के फरवरी में चुनाव नहीं होंगे तो आप चुनावों की डेट तय कर दें, फरवरी की डेट फिक्स कर दें और यह चुनाव अवश्य करायें। आपका दिमाग दृढ़ होना चाहिए। अगर आपने पंचायतों के चुनाव नहीं कराये, क्योंकि अभी असेम्बली के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, पार्लियामेंट के चुनाव अभी नहीं होने जा रहे हैं, इसलिए लोगों का प्रजातंत्र पर से विश्वास घट गया है। यहां तक स्थिति पैदा हो जायगी कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र में, पंचायती राज में बिल्कुल ही हट जायेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में कदम उठाने चाहिए। मैं तो नहीं चाहता हूं कि आप तुरन्त सेशन बुला कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें सदन में और उसको एक्जामिन करके आप पंचायत कानून को इस प्रकार बनायें, उनको इस प्रकार की पावर्स दें जिससे वे अच्छी तरह से काम कर सकें क्योंकि पंचायतों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आई है। 20 सूत्री कार्यक्रम हो तो भी पंचायतों की जिम्मेदारी, परिवार नियोजन का काम सफल करना है तो भी पंचायत की जिम्मेदारी। अगर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे तो आपका 20 सूत्री कार्यक्रम सफल नहीं होने वाला है, न परिवार नियोजन का सफल होने वाला है, उत्पादन भी जिस प्रकार होना चाहिए वह नहीं होने वाला है। इसलिए इसकी महत्ता को देखते हुए जल्दी से जल्दी पंचायतों के चुनाव करायें और जो तारीखें घोषित करें उन पर पूरी तरह दृढ़ रहें।

श्री सभापति: श्री रामानन्द अग्रवाल भी सदस्य हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापति महोदय, मैंने भी इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है। जैसा माननीय सदस्य ने अभी कहा, मैं भी यह महसूस करता हूं कि 1974 में यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया, कितनी ही बार हम इस सदन में मिले हैं तो फिर मन्त्रालय ने इसको पास कराने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी? क्यों यह बात सदन में नहीं आई? जो कर्मचारी अस्थाई रूप से नियुक्त थे, उनका स्थायित्व अभी लटक रहा है और यह विधेयक कानून बन जाने के बाद ही उनको स्थायित्व मिलेगा। अननेसेसरिली जो 1974 से पहले के कर्मचारी हैं वे दो साल तक और अटक रहे हैं, उनको सस्पेंस रहा है। मैं इसको असावधानी मानता हूं और समझता हूं कि मंत्रीजी अपने अधिकारियों को, जिनकी जिम्मेदारी थी, प्रेस करेंगे ताकि इस प्रकार की रिपिटीशन न हो।

दूसरी बात, हम यह उम्मीद कर रहे थे कि काम्प्रीहेन्सिव बिल इस पंचायत समिति जिला परिषद् एक्ट में तरमीम करने का और पूरे पंचायत एक्ट में भी तरमीम करने का सदन के समक्ष लाया जाएगा। जैसा बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कितनी ही समितियों की रिपोर्ट्स सरकार के सामने है। इन संस्थाओं के संचालन, इनके गठन, इनके कार्य-कलाप, इनकी वित्तीय स्थिति, इनका सीमा निर्धारण, ये तमाम समस्यायें हैं जिनमें काफी विचार किया गया है और उनमें संशोधन की आवश्यकतायें महसूस की गई हैं। सरकार ने इस बारे में आश्वासन भी दिया। इसी सदन के माननीय सदस्य मंत्रीमंडल के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसके बावजूद अभी तक उन सिफारिशों पर आधारित कोई संशोधन बिल नहीं लाया गया, इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता। आशा है मंत्रीजी इस बारे में हमारे सामने तथ्य रखेंगे आया कि सरकार की नीयत क्या है ? क्या सरकार ने उन समितियों की सिफारिशों को रिजेक्ट कर दिया ? वह नहीं समझती कि उनकी सिफारिशों में कोई ऐसी चीज है जिसके आधार पर संशोधन लाना आवश्यक है ? उनको बंद अलमारी में रख कर क्यों सोचा जा रहा है ? क्या सरकार इसलिये आवश्यक नहीं समझती क्योंकि सरकार का खुद विश्वास इन पंचायती संस्थाओं से उठ गया है ? क्या इनको वाइंड अप करने की दिशा में तो नहीं सोच रही है ? कई बार सुनने में आता है कि इस प्रकार की संस्थाओं से क्या लाभ है और अब इनको वाइंड अप करना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की एक फर्म नीति सामने आनी चाहिए ताकि जनता उसके बारे में निश्चिन्त हो सके। जहां तक हमारे दल का सवाल है, हम महसूस करते हैं कि इन संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है और फरदर डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है जिससे वे सक्षमता से काम कर सकें। इनके अधिकार छीनने की नहीं बल्कि देने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। मेरे ख्याल से रूलिंग पार्टी की ओर से भी यही बातें, इन्हीं शब्दों में, इसी प्रकार की भावनाएं व्यक्त की गई। अगर ऐसा है तो फिर उसमें देरी क्यों की जा रही है ? यदि आप सीरियस हैं इन संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए तो आप जल्दी से एक नया विधेयक लायें जो इन सिफारिशों पर आधारित हो ताकि वे नई संस्थायें, जो हम बनाने जा रहे हैं, वास्तव में नई भावनाओं से ओतप्रोत हों और वे अपना काम पूरा कर सकें।

तीसरी बात, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा, पंचायतों के चुनाव न होने से एक बहुत भीषण समस्या बन गई है। आप और हम जिस राजनैतिक संघर्ष में इस देश में जुटे हुए हैं, उन शक्तियों के खिलाफ जो इस देश में प्रजातंत्र को उखाड़ने पर तुली हुई हैं, जो जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि हमारा देश प्रजातन्त्र के लिए सूटेबल नहीं है, जिन्होंने विधान सभाओं व संसद को भंग करने का नारा दिया, आप अनविलिंगली उन्हीं शक्तियों को बल दे रहे है। आप चुनावों के संबंध में इस प्रकार का रुख अपना रहे हैं जो कि प्रेक्टिस में सामने आ रहा है।

सभापतिजी, खेद का विषय है कि बहुत घोषणायें होने के बाद भी संसद के चुनाव स्थगित हो गए। संसद की छः वर्ष की अवधि जो संविधान में संशोधन के अनुसार थी वह भी पूरी हो गई। इस वर्ष फसल भी अच्छी हुई थी और सब स्थितियां ठीक थीं फिर चुनाव के बारे में खुद भी रूलिंग पार्टी की तरफ से बहुत नजदीक से इस बात को कहा जा रहा था कि अब की बार चुनाव होंगे। लेकिन एक ऐसा छोटा तबका भी था जिसने कांस्टीट्यूएंट असेम्बली का नारा भी दिया, वह भी इसलिये कि एक साल नहीं, दो साल नहीं बल्कि 5 साल 12 साल तक ये ही लोक सभा और विधान सभायें चलें, इस प्रकार की कल्पनायें लेकर वह तबका चलता था।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के ही लोग वहां रहें। यह तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले जब जयप्रकाश नारायण ने अपना मूवमेंट किया था तब यही कहा था कि देश में प्रजातन्त्र नहीं है और प्रजातांत्रिक संस्थाओं को सबवर्ट किया है। लोगों में इस प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा की थी। आज भी अगर आप लोक सभा या राज्य सभा या विधान सभाओं के चुनावों को टाल रहे हैं तो जिन लोगों ने यह कहा था कि देश में प्रजातन्त्र समाप्त हो गया है उनकी भावनाओं को मजबूत करेंगे। लोग कहेंगे कि देश में प्रजातान्त्रिक पद्धति न रह कर के अथोरोटेरियन रूल लागू हो गया है। इससे जो टोटल रिवोल्यूशन की बात करते थे उनकी बातों को बल मिलता है। दूसरे इस तरह चुनाव नहीं कराने या चुनाव को टालने के कारण लोगों में यह धारणा पक्की हो जाती है कि देश में प्रजातन्त्र समाप्त हो गया है। मैं यह बात इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम लोक सभा या विधान सभा में पोलिटिकल कई बातों में एक साथ जुटे हुए हैं। चाहे जब इलेक्शन तब हो आपका और हमारा समझौता नहीं हो, इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स के कारण समझौता नहीं हो, आप और हममें कुछ होने को भी हो चाहे उसके रिपरकशन कुछ भी हों, वह अलग बात है। लेकिन हमने जो रिएक्शनरीज फोर्सेज को एक होकर देश में प्रजातन्त्र को दृढ़ करने के लिये शिकस्त दी है और शिकस्त देना चाहते हैं उस दृष्टिकोण को हमें पूरा करना है। इसलिये हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि चुनाव तो होने ही चाहिये। आज प्रायः यह कहा जाता है कि सरकार चुनाव टालना चाहती है। अगर सरकार लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव कराती है तो इसके परिणाम सरकार के पक्ष में ही नहीं होंगे बल्कि जनता के अन्दर एक भावना पैदा होगी, एक विश्वास पैदा होगा कि हमारे देश में प्रजातन्त्र है। नहीं तो आज 12 साल से अधिक हो गये हैं पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके हैं। उसी तरह अगर आप लोकसभा और विधान सभाओं के चुनावों को टालना चाहते हैं तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि हमारे देश की आर्मी यह सोच ले, हमारी मिलिट्री यह सोच ले कि अब देश में प्रजातन्त्र तो रहा नहीं है फिर क्या है। उस वक्त इसी मिलिट्री में से कोई अयूब बन कर आ जायेगा और फिर चुनाव की बात भी नहीं होगी। सत्ता मिलिट्री के हाथ में आ जायेगी। वह यह सोच लेंगे कि कुछ सिविलियन्स के हाथ में ही तो सत्ता है इसका असर यह हो सकता है कि फिर हमारे देश में आर्म्ड फोर्सेज हावी हो जायेंगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस दल इस बात पर गम्भीरता से सोचे और विचार करके चुनाव करावे। अन्यथा आपकी आलोचना होगी। हम आपके सहयोगी रहे उस नाते हम आपको यह आगाह कर रहे हैं कि जो वामपन्थी या दक्षिण पन्थी शक्तियां हैं वह आप पर फिर हमला करेंगी और फिर हमें उनसे मुकाबला करने में जोर आयेगा। यह बात नहीं है कि अब भी लोक सभा के चुनाव नहीं हो सकते हैं। चुनाव तो हो सकते हैं अभी भी काफी समय है। आपके ऊपर भी एक ग्रुप है जो प्रोग्रेसिव है वह चाहता है कि चुनाव हों। चुनाव अगर होते हैं तो इससे आपको और हमको एक बल मिलता है। नहीं तो आज आपने एक साल की मियाद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बढ़ा दी है उसी तरह आप छः साल की जगह चार साल में भी चुनाव करा सकते हैं इसमें कोई संवैधानिक डिफिकल्टी नहीं आयेगी और चुनाव कराये जा सकते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर विचार किया जाकर चुनाव कराये जांय। आज काफी अर्सा हो चुका है और पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके हैं। वह तो कभी के हो जाने चाहिए थे। वैसे कुछ समय पहले हमारे देश की प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि चाहे लोक सभा के चुनाव न हों लेकिन दूसरे चुनाव तो हो सकते हैं। तो आपकी अब देश की प्रधान मंत्री यह कह रही हैं कि चुनाव हो सकते हैं तो कम से कम आप लोक सभा के चुनाव नहीं हों तो नगरपालिकाओं के और पंचायतों के चुनाव तो करा ही दें। पिछले सत्र में भी आपने यह कहा था जैसा कि मुझे याद है कि पंचायतों के चुनाव इसी साल निश्चित होंगे। जब वर्तमान मुख्य मंत्रीजी मुख्य मंत्री नहीं थे और सिर्फ पंचायत मंत्री ही थे तब वह सदन में इस प्रकार का बिल पंचायतों की मियाद बढ़ाने के लिए लाये थे, वह भी एक साल के लिए था, उस वक्त उन्होंने यह आश्वासन सदन में दिया था कि आइन्दा पंचायतों के चुनाव की मियाद बढ़ाने के लिए आपके सामने नहीं आऊंगा। अब वह चाहे पंचायत मंत्री न रहे हों पर मुख्य मंत्री तो हैं, उनसे भी बड़े हैं चाहे तो पंचायत इलेक्शन करा ही सकते हैं।

सभापति महोदय, पंचायतों के चुनाव के बारे में एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पहले आपने घोषणा की थी कि पंचायतों के चुनाव दिसम्बर में होंगे। फिर आपने इसको जनवरी-फरवरी तक के लिए टाल दिया। तो मेरा निवेदन है कि आप इतना तो निश्चित कर दें कि पंचायतों के चुनाव फरवरी तक तो हो ही जायेंगे, इस ओर आप जरूर ध्यान दें। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, पंचायतों के चुनाव कराने के लिये कुछ काम आपको और कराना पड़ेगा वह यह है कि कुछ पंचायतें ऐसी हैं कि जिनमें गांवों के हेरफेर हुए हैं। सभापति महोदय, मैं खास तौर से मेरी अलवर पंचायत के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जिसमें सामादो गांव को मेरी पंचायत में रख दिया है और दीवागिरी गांव को उसके बाहर रखा। इस प्रकार की कोई मेरे ही यहां बात नहीं है लेकिन डिलिमिटेशन पंचायतों के गांवों का होने से उसमें देखने की जरूरत है। तुलेरा ग्राम पंचायत की स्थिति यह है कि उसका पता ही नहीं वह किसमें आयेगी। तो यह स्थिति सिर्फ मेरे अलवर में ही नहीं बल्कि गंगानगर जिले में और बीकानेर जिले में भी है। गंगानगर जिले में राजस्थान नहर आ जाने से काफी आबादी बढ़ गयी है। वह न केवल पंचायत समिति हैडक्वार्टर बल्कि एक विधान सभा क्षेत्र तक हो सकता है। तो मेरा निवेदन यह है कि सीमांकन होना चाहिये। बगैर सीमांकन किये काफी दिक्कत पंचायत चुनाव में आ सकती है। इसमें चाहे थोड़ा समय लग जावे कोई बात नहीं पर इस समस्या का निदान होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार पंचायत समितियों की भी समस्या है उनकी सीमा के बारे में भी काफी दिक्कतें हैं। जैसे अलवर जिले की जो रामगढ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पंचायत समिति अलवर तहसील में कर दी है और रामगढ़ जो नयी तहसील बनायी है उसमें उमरेन पंचायत समिति को रखा है जब कि रामगढ़ पंचायत समिति को रामगढ़ तहसील में ही रखना चाहिये था ताकि उनका को-एग्जिस्टेन्स हो। जिस पंचायत समिति में हैडक्वार्टर पर तहसील हो तो वह पंचायत समिति उसी तहसील में आनी चाहिये। इस प्रकार की गड़बड़ियां कोई मेरे अलवर जिले में ही हों वह बात नहीं है, यह बात दूसरी जगह भी है। मेरा इसमें निवेदन यह है कि अलवर तहसील में उमरेन पंचायत समिति को दिया जाना चाहिये और रामगढ़ पंचायत समिति को रामगढ़ तहसील में। यह प्रशासनिक पॉइन्ट आफ व्यू से भी ठीक रहता है। तो इस प्रकार की जो सीमांकन के बारे में दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिये। मुझे कुछ मित्रों से पता लगा कि कुछ बातें ऐसी अभी हो गयी थीं कि जिससे पंचायतों के चुनाव कराने के पक्ष में सरकार नहीं है जैसी की दलील लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों के बारे में दी गयी थी।

श्री सभापति : अब आप काफी कह चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी समाप्त कर रहा हूं

सभापति महोदय, अभी हमारे देश में परिवार नियोजन का कार्यक्रम बहुत जोरों से चल रहा है। उसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा काफी जनता को परेशान किया गया है। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन कराया गया है। इससे लोगों में सरकार के विरुद्ध काफी प्रतिक्रिया हुई है और लोग यह सोचते हैं कि अगर सभी पंचायतों के चुनाव कराये तो सरकार के हक में नहीं होंगे। वैसे परिवार नियोजन का काम कोई खराब नहीं है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को इतना जोरों से न लेकर, एक साथ ही न करके इसको एक वे आफ लाइफ में ही उतार लें तो ज्यादा फायदा आपको होगा।

आप आज ही परिवार नियोजन का कार्य खत्म कर लोगे वह बात नहीं है। आपको अगले साल और काम करना पड़ेगा। इसके लिये आपको लोगों को जाकर समझाना पड़ेगा, एजूकेटिव तरीकों से इसको अपने देश की जनता के वे आफ लाइफ में लाना चाहिए। इससे आपको कामयाबी होगी और लोग भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आप सिर्फ एक इस डर से नहीं कराते हैं कि अभी ही हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम किया है उसमें अधिकारियों ने काफी गड़बड़ियां की हैं उसका पंचायतों के चुनावों पर खराब असर पड़ सकता है। लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि अभी इमर्जेन्सी में आपने 20 सूत्री कार्यक्रम के नीचे काफी काम किया है, लोगों को जमीनें अलाट की हैं और काम किये हैं, उससे भी बल मिल सकता है। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि आपने जिस तरह से परिवार नियोजन के कार्यक्रम में तो मिनिस्टर से लेकर पटवारी, थानेदार और तहसीलदार, मास्टर और सभी को लगा दिया, डाक्टर्स लगा दिये और उसमें कई जगह जबर-दस्ती हुई है, लोगों के खिलाफ में शिकायतें आई हैं, यही काम 20 सूत्री कार्यकल में जोर लगाकर करते तो मैं समझता हूं बहुत काम हुआ होता। अब थोड़े दिन पहले एक मेरे

(55)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इलाके का हरिजन मिला वह कह रहा था कि साहब आपने तो जमीन अलाट करवायी थी उसकी फसल को मुझे जागीरदार नहीं उखाड़ने दे रहा है। मैं कहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने जमीन हरिजनों को अलाट की तो आज जो जमींदार उस हरिजन को अपनी फसल नहीं उखाड़ने दे रहा है उसके लिए आप वहां के तहसीलदार, थानेदार और कलेक्टर की तनख्वाह क्यों नहीं बन्द कर रहे हैं। ? जो काम वाजिब है उसके लिए आप सख्ती क्यों नहीं करते हैं ? जैसी कि आप अभी परिवार नियोजन के मामले में सख्ती कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप विषयांतर हो रहे हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो अभी 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत काम किये गये हैं वह भी तो आपकी पंचायतों के चुनाव में मददगार होंगे। इस दृष्टिकोण से मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेकर जल्दी से जल्दी पंचायतों के चुनाव फरवरी माह तक करायें। इस बात की घोषणा आज ही सदन में करें। बस यही बात कह कर मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री केशरीमल।

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, मैं यह कहना चाहता हूं पंचायत राज में आजकल क्या हो रहा है, पंचायतें किस स्तर पर हैं, मरी हुई स्थिति में हैं या मरने जा रही हैं। सन् 1974 का यह विधेयक आया है, जो आपने पेश किया है और वह आज आप पास कराने जा रहे हैं और वह भी इस स्थिति में जब कि जो गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट है वह केबिनेट में पेश होना बताया है। उस पर चर्चा हो जाती और चर्चा होने के उपरान्त उन बातों का इम्प्लीमेन्टेशन हो जाता, इस प्रकार की एक रूपरेखा बनती तो मैं समझता हूं इस विधेयक को दुबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है यही बात व्यास कमेटी की रिपोर्ट में होती और उसके बाद ही यह बात सामने आती।

आज पंचायती राज में शिथिलता आ गई है। कई फाइलें ऐसी हैं, 10 साल 15 साल हो गये इन्तजार करते करते केवल आफिसर्स की मेजों की शोभा बढ़ा रही हैं। उन सारी फाइलों का बेकार पड़ा रहना कहां तक न्याय संगत है ? इस विधेयक से कर्मचारियों को काफी फायदा होता, वे बेचारे इतने दिनों तक न पड़े रहते। सदन भी चाहता है, राजस्थान की जनता भी चाहती है कि पंचायतों के चुनाव की जो धारणा है वह किसी भी रूप में खत्म तो हो।

सभापति महोदय, जनता में चर्चा होती है और जन प्रतिनिधि भी चर्चा करते हैं, विरोधी दल भी कहता है चुनाव कराओ। कई बार आपने घोषणा भी की थी और साथ ही यह कहा था कि निश्चित रूप से पंचायतों के अब की बार चुनाव करायेंगे। आपको किसने कहा था कि घोषणा करें

[redacted]

56

(श्री मीठालाल मीणा)

क्योंकि सब लोग यह मान कर चलते थे और जनता में भी आज वही विश्वास है कि सरकार चुनाव नहीं करायेगी । यहां तक विश्वास था कि अब पंचायतों के चुनाव को भूल जाओ । इसी बीच जन प्रतिनिधि बात करते रहे और आप हमेशा चुनाव टालते रहे। जब पुन: कहना शुरू किया तो आपने घोषणा कर दी कि पंचायतों के चुनाव करायेंगे। सभापति महोदय, इस सदन में कहा कि निश्चित रूप से चुनाव करायेंगे तो अब आपके सामने कौन सी बाधा है ? अब आपको कौन सी भाषा में बोलना है ? आप निश्चित रूप से चुनाव करायेंगे, यह भी कह चुके हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि अब आपके पास कौन से शब्द रह गये हैं जिनको अब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ? मेहरबानी करके चुनाव की घोषणा बन्द करिये । अब जनता में आपके प्रति किसी प्रकार का विश्वास नहीं है । अब आपकी इस तरह की घोषणा से कोई मतलब नहीं निकलेगा । जब भी आप चुनाव करायें तो एक दिन पहले रेडियो से प्रसारित कर दें ताकि लोग समझ जांय बाकी किसी प्रकार की आस्था जनता में हो, वह बात तो नहीं रही है । आपके पास अब कोई शब्द ही नहीं बचा है कहने को । सभापति महोदय, गत सत्रों में यह भी बात आई थी कि पंचायत राज के चुनाव टालने में शर्म आती है । लेकिन फिर भी आपको कोई शर्म नहीं आती है । आपके सदस्यों को ही शर्म आती है कि क्या करें ।

भारत की जनता और जनतन्त्र के लिए आप कह रहे हैं कि प्रजातन्त्र में आस्था है और आप लोक सभा व विधान सभाओं के चुनावों को पांच साल से छः साल और छः साल से सात साल करने जा रहे हैं तो, माननीय सभापति महोदय, वे अब यह भी मान लें कि 12 साल, 13 साल हो गये फिर भी नहीं चाहते हैं कि पंचायत राज के चुनाव हों । सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आप प्रशासक बिठा दीजिए । जो भारी अनियमितताएं हुई हैं और चारों तरफ जो लूट-खसोटी हुई है उसके लिए कम से कम प्रशासक तो बिठा दीजिए। न्याय पंचायतें खतम कर दीजिए–कौनसा अन्याय हो जायगा । राज्य पर जो बहुत बड़ा वित्तीय भार ले रखा है, उससे वह भी खत्म हो जायगा । आज स्थिति, सभापति महोदय, यह है कि पंचायतों में लाखों रुपया बकाया है मोटर वालों का । इस समय लालसोट पंचायत में 82 हजार रुपया बाकी है । जो वसूली करनी है वह पी. डी. आर. में कर ली जायगी । जो किराया बाकी है उसके लिए नियम भी बनाये लेकिन क्या आपने अब तक वसूली की ? जो 72 हजार थे वह 82 हजार हो गये और आपने साढ़े बारह हजार में कम्प्रोमाइज कर लिया मोटर वालों से । तो क्या आप इस प्रकार समझौता करने के अधिकारी हैं ? साढ़े बारह हजार में आपने उनसे कम्प्रोमाइज कर लिया, यह भ्रष्टाचार को बढ़ाना नहीं है तो और क्या है ?

सभापति महोदय, कई जगह सरपंचों को निलम्बित किया । कई सरपंचों के खिलाफ आज थानों में रिपोर्ट दर्ज हैं –भारी गबन किये हैं, थानों में जिनके खिलाफ रिपोर्ट चल रही हैं लेकिन आपने उनको तो निलम्बित नहीं किया । निलम्बित करते हैं तो उनको जिन पर राजनैतिक दबाव है ।

(श्री मीठालाल मीणा)

सभापति महोदय, परिवार नियोजन की चर्चा चली। परिवार नियोजन से पंचायत राज भी अछूता नहीं। दो साल वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की कर्मचारियों को सुविधायें देने का प्रावधान कर रहे हैं वहां दूसरी तरफ जयपुर जिले की लालसोट पंचायत समिति में तीन साल से कर्मचारियों का वेतन बन्द है। फिर यह कहें एक एक अध्यापक को, एक एक कर्मचारी को कि पांच पांच केस परिवार नियोजन के लाओ, वातावरण चाहे उस प्रकार का न बनायें लेकिन पांच पांच केस लाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी कर दिया और कह दिया, तब ही तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी, अन्यथा नहीं। इसलिए तुम्हारे वेतन बन्द हैं। जो आपरेशन करवाना चाहते हैं वे भी यह जानते हैं कि तनख्वाह के लिए पांच आपरेशन करवाने हैं, इस तरह से आपरेशन के लिए तनख्वायें बन्द कर रखी हैं। इसको आप मेहरबानी करके बन्द करिये। सभापति महोदय, विशेष बात यह है कि यह सब कर्मचारियों के लिये लागू है तो एस. डी. ओ., डी. डी. ओ. के लिये क्यों नहीं है? नियम लागू होते हैं कर्मचारियों के लिए तो जो राजपत्रित अधिकारी आदेश देते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं ये निर्देश लागू होते हैं? क्योंकि वे राजपत्रित अधिकारी हैं उनके ऊपर आप लागू नहीं कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, 20 सूत्री जो प्रोग्राम है, वह अच्छा है अगर उसके आधार पर सारी कार्यवाही हो। पंचायत राज में और ही कई सूत्र चलते हैं। सरकार ने 20 सूत्र बनाये हैं लेकिन हकीकत में पंचायती राज के लिए अधिक हैं···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मीठालाल मीणा : मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : आप अभी विषय से अलग बोल रहे हैं।

श्री मीठालाल मीणा : मैं उससे जोड़ देता हूं।

श्री सभापति : जोड़ने से क्या फायदा। जो विषय है, उस पर ही आप बोलिये। वैसे तो बहुत विषय हो सकते हैं।

श्री मीठालाल मीणा : अन्त में, सभापति महोदय, जो 20 सूत्री कार्यक्रम फाइल बन गई है लेकिन कम से कम उसके आधार पर काम करवाने के लिए तो कहिये ताकि जो कागजी कार्यवाही हो रही है वह आगे बढ़े। पंचायत राज उसमें अपना सहयोग दे सकता है।

अन्त में मुझे यही निवेदन करना है अगर पंचायती राज के अन्दर कुछ सुधार या बिगाड़ कर रहे हैं तो पंचायती राज के चुनाव की घोषणा बन्द करिये। जब आपकी मर्जी आये चुनाव करवा लीजिए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज आपको बहुत बुरा महसूस हो रहा है और शायद आप पश्चाताप कर रहे हैं···

(विराम)

यानि कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे मालूम हो रहा है कि पश्चाताप हो रहा है। आपने कहा, निश्चित रूप से चुनाव होंगे। हो सकता है आपके खिलाफ

Page No.58

(58)

(श्री मीठालाल मीणा)

गलत बयानी की बात हो जो कि सदन में सरासर गलत बयानी की है ...

श्री सभापति : अभी तक तो बयान गलत नहीं हुये हैं उनसे ....

श्री मीठालाल मीणा : गत सत्र में प्रश्न के जवाब में यह कहा था 10 से 13 के बीच में चुनाव होंगे।

श्री ओंकारलाल : He is not refuting the charge आप रिफ्यूट थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री मीठालाल मीणा : आप तसल्ली रखिये, आप भी बोलेंगे। सभापति महोदय आपको दुःख तो बहुत हो रहा है। यह न हो कि यह दुःख बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाय। इसलिये जो भी घोषणा करें, यह जरूरी नहीं है कि आप घोषणा करें ही लेकिन वह पहले से ही सोच समझ कर और उसके लिये आप पूछ कर घोषणा करें या घोषणा नहीं करें।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में पंचायत संशोधन विधेयक पेश हुआ है। पंचायती राज संस्थायें 12 साल से मृत प्राय: पड़ी हुई हैं, चुनाव नहीं हुए हैं, न ही उनके पास कोई अधिकार हैं, न ही उनके पास करने के लिये कोई काम है। दो साल के अन्दर क्या असाधारण बात हुई है कि जिसके कारण यह संशोधन किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने, राजस्थान की इस सरकार ने और पूर्व वाली सरकारों ने राजस्थान की जनता के सामने दिलेरी से यह घोषणा की है बार-बार कि अब की बार चुनाव होंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सभापति महोदय, यह मैं मानता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों की खुद नहीं चलती हो, उन पर दूसरी तरह का बंधन हो यह तो माना जा सकता है। जहां तक जैसी घोषणा करने का सवाल है समय समय पर वैसी घोषणा उनको करनी पड़ी है, लेकिन उसकी क्रियान्विति न हो और चुनाव भी न हो इससे बढ़ कर और कोई दुःख की बात नहीं हो सकती है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने फर्माया है मंत्री महोदय अपनी सीमा के अनुसार ही मजबूर होते हैं। वे कुछ भी करें, जब भी सरकार उचित समझे चुनाव करा देगी. यह घोषणा कर दें। 12 साल से लोग पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन पर गम्भीर आरोप हैं, अनियमितताओं के आरोप हैं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं आप उन पंचायतों में तो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकते हैं। चुनाव नहीं करायें तो कम से कम अनिश्चित काल के लिये ही उनको बन्द कर दीजियेगा। गिरधारी लाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट का भी आप अध्ययन कर लीजिये। जैसा भी आप अधिकार पंचायतों को देना चाहें, जो दे सकते हैं, आप दे दीजियेगा। जो भी कर्तव्य आप उन पर डालना चाहते हैं उसका इस बिल में अमेन्डमेन्ट के जरिये समावेश कर दीजिये। लेकिन जो भी घोषणा करें उस पर कायम रहिये और खामख्वाह ऐसी घोषणा आप मत करिये कि जिस पर आप कायम नहीं रह सकते हैं और जिसको क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं।

जैसा पूर्व वक्ता ने फर्माया, देश के कुछ लोग चाहते हैं कि विधान सभाओं और

[redacted]

59

(श्री मूलचन्द सामरिया)

लोक सभा के चुनाव न हों जिससे यह यह साबित हो सके कि जनतन्त्र नहीं है। विरोधी लोग चाहें या नहीं चाहें लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग हैं इतने बहुमत में हैं, तानाशाह की तरह से काम करते हैं कान्स्टीट्यूशन में बार बार परिवर्तन हो सकता है, ग्रामूलचूल परिवर्तन हो सकता है, मनमाने तरीके से हो सकता है, तो गिरधारी लाल व्यास कमेटी की सिफारिशों के ग्रनुसार पंचायती राज कानून में परिवर्तन होना मामूली बात है। सरकार चाहे तो ग्रमेन्डमेन्ट ला सकती है ग्रौर चुनाव करवा सकती है। विरोधियों के नाम पर इमर्जेन्सी लगाई। इमर्जेन्सी में हमने पेड़ लगाये, सूख गये, नसबंदियों में जबरदस्ती कर रहे हैं, किसानों के लिये कुछ नहीं कर सके, मजदूरों का बोनस बन्द किया। कौन से सेक्टर का ग्रापने पोषण किया? नाम ग्राप विरधियों का लेते हैं। शक्तावत साहब फर्मा दें, दोष तो ग्राप विरोधियों को देते हैं, ग्रापका मानस तैयार हो गया हो, निर्णय ले लिया हो तो घोषणा करें। यह घोषणा कर दीजिये कि मैं ग्रसमर्थ हूं ग्रौर ग्रनिश्चित काल के लिये स्थगित करता हूं, यह बात स्वागत योग्य होगी। वरना कैसे जनता ग्राप पर भरोसा करेगी? ग्राप इस प्रकार घोषणा करते हैं लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं। यदि ग्राप सिसियर हैं तो चुनाव करवा दीजियेगा। ज्यादा नहीं कह कर यही निवेदन करूंगा कि ग्रापको मजबूरियां हैं तो वैसी घोषणा कर दीजियेगा। वस्तुस्थिति है उसको तो ग्राप महसूस करें। मुझे इतना ही कहना है।

श्री सभापति : श्री ग्रजीतसिंह।

श्री ग्रजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, जिस वजह से यह बिल पेश हुग्रा है यदि पंचायत समितियों की स्थिति को देखा जाय तो इसकी ग्रावश्यकता ही नहीं है। जो डेली वेज पर कार्य चल रहा था, टेम्प्रेरी ग्रपोइन्टमेन्ट्स दिये हुए थे, उनकी हालत ग्रर्थाभाव के कारण ऐसी बिगड़ रही थी कि पंचायतों ने पेमेन्ट करना ही बन्द कर दिया। ग्रब कौन सा नौकर बाकी रहा? इसलिए चुनाव की ग्रावश्यकता है। ग्रार्थिक दृष्टि से जो स्थिति पंचायतों की है उसको सही तरीके से देखें ग्रौर ऐसा बिल लावें कि जिससे सब ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति हो सके।

नगरपालिकाग्रों के लिये जैसा किया वैसे ही पंचायत समितियों ग्रौर जिला परिषदों के ग्रन्दर कितने नौकर ग्रौर कितना स्टाफ होना चाहिये ग्रौर क्या क्या उनकी ग्रामदनी होनी चाहिये, इस सब का एक विवेचन करके सदन के सामने कोई विधेयक पेश करें जिससे सारी बातों की पूर्ति हो सके। 3) 3) रुपया भत्ता देकर सरपंच रखते हैं, पंच रखते हैं। सब की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। माननीय सदस्यों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं फिर पंच ग्रौर सरपंच ने क्या किया कि उनका 3) रुपये का भत्ता भी नहीं बढ़ाते। छोटी सी बात है, इस ग्रोर भी ध्यान दें। किराया भी नहीं पूरा पड़ता है उनको। सब की ग्राम शिकायत है। ग्राप ग्रपने भत्तों की बात करते हैं लेकिन उनकी ग्रोर कोई देखने वाला नहीं है कि उन्हें क्या मिलता है। इसलिये उनको किराया देने की बात करें। कानून से कर दें तो बहुत ग्राभारी होऊंगा।

(श्री प्रजीत सिंह)

दूसरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों की निजी आय बिल्कुल घट चुकी है, सब ही माननीय सदस्य इस मुसीबत की जानकारी रखते हैं। पंचायत समितियों के पास जो भी सामान था वह बिक चुका है। विकास के काम पूरे हो चुके हैं। 3 पंचायतों का एक सर्किट कर दिया है। न्याय पंचायतों का काम भी पंचायतों को दे दिया है। बीस सूत्री कार्यक्रम, नसबंदी दुनियां भर के काम तो भेज देते हैं, कैसे काम चलायेंगे बिना पैसे के। हम पहले गांव के किसी आदमी को सेक्रेटरी रख लेते थे और कम तनख्वाह देकर अपना काम चला लेते थे लेकिन आपने ग्राम सेवकों को सेक्रेटरी के रूप में रख दिया तो वह ग्राम सेवक सरपंचों की गद्दी पर बैठ गए और आज हालत यह है कि ग्राम सेवक अपनी मनमानी करते हैं और सरपंचों की कोई नहीं सुनता। इसलिए आप विचार करें कि इन पंचायतों को किस तरह से चलाना है। आज हालत यह है कि 6-6 महीने तक ग्राम-सेवक पंचायतों की मीटिंग नहीं बुलाते हैं और न्याय पालिकाओं का काम तो पहले से भी बदतर हो गया। कोई सुनने वाला नहीं है।

इसके अलावा पंचायतों की जमीनों की आमदनी थी वह आपने विकड़ा कर ली। तो उनकी सारी आमदनी रुक गयी और जितनी आमदनी थी वह नष्ट प्रायः हो चुकी है। इसलिए आप आमदनी के ऊपर भी विशेष ध्यान दें। आप सिंचाई की दरें तय नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां छोटे छोटे बंधे अकाल सहायता के दिनों में बने तो किसी से एक पानी मिलता है और किसी से दो पानी मिलते हैं। आप रेट्स तय नहीं करते। आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से इरिगेशन डिपार्टमेन्ट पूरे पानी की रेट चार्ज करता है उसी तरह से पंचायतें करें। तो यह तो संभव नहीं है। इसलिए पिलाई के संबंध में आप निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्था तय करें कि एक पानी के ऊपर तो क्या पिलाई देनी होगी और दो पानी के ऊपर कितनी पिलाई देनी होगी। मेरी पंचायत समिति का मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। पंचायत समिति टोंक को करीब 10 हजार रुपये मिले हैं। हमने निर्णय किया है कि वहां पर 15–20 बंधे हैं उनकी मोरियां बनाई जायें क्योंकि पक्के बंधों के काम तो अकाल राहत के कामों में नहीं लिए जाते हैं। तो हमने तय किया कि इस पैसे से हम मोरियों के काम को करा दें लेकिन वहां पर ओवरसीयर का अभाव है। वहां काम कौन करायेगा। अब इसके लिए क्या व्यवस्था हो इसके ऊपर आप जरा विचार कीजिए। आपने रुपया दिया है वह रुपया खर्च नहीं कर पायेंगे क्योंकि वहां ओवरसीयर की भी व्यवस्था नहीं है। बेलदार भी नहीं रख सकते क्योंकि इसके लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। आप ऐसी व्यवस्था करें की ठीक तरह से काम हो जाये। या तो आप डिपार्टमेन्ट से आदमी दीजिए या टेम्प्रेरी अपाइन्टमेन्ट की व्यवस्था करें। जैसा भी करें, मैं इसके अन्दर ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा, लेकिन यह आवश्यक है।

इसके साथ ही साथ एक दिक्कत और है। आपका शिक्षा विभाग मिडिल स्कूलों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहता है।

(श्री अजीत सिंह)

विकास विभाग इजाजत नहीं देता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब विकास विभाग मरम्मत के लिए पैसा नहीं देता, एजूकेशन डिपार्टमेन्ट नहीं देता तो बिल्डिंग जो गांव वालों ने बना कर दी है उसकी देखभाल कौन करेगा ? तो यह एक विचित्र स्थिति पैदा कर दी है। मिडिल स्कूलों को आप ग्रामीण लेवल पर रखना चाहते हैं। आपने बहुत सारे स्कूल खोले हैं, लेकिन दिक्कत यह हो गयी है कि बिल्डिंग के लिए चन्दा तो गांव वालों ने दे दिया पर सफाई, मरम्मत, एडीशन्स, आल्ट्रेशन्स या थोड़ा भी काम पंचायत समिति कराना चाहती है तो नहीं करा सकती है। तो आप सोचें कि इसकी कैसे व्यवस्था करना चाहते हैं।

दूसरे अब मैं थोड़ा मच्छी पालन और हड्डियों के ठेके के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मच्छी पालन की स्थिति यह है कि हमारे यहां छोटे छोटे बंधे हैं और उनमें मच्छी पालन होता है। मेरा कहना है कि उनका ठेका होना चाहिए ताकि पंचायत समितियों को उससे आमदनी हो। इसके लिए आमदनी निश्चित रूप से होनी चाहिए।.....

श्री मीठालाल मीणा : अपने अपने आदमियों को बांट देते हैं।

श्री अजीतसिंह : हालत बिलकुल यही है। आप यदि इस तरफ देखें तो इससे काफी आमदनी हो सकती है। हड्डी ठेके के अन्दर पूरा पैसा नहीं आता या फिर ठेकेदार भाग जाते हैं। ऐसा रूटीन बना लिया है ठेकेदारों ने पंचायत समिति से भागने का। तो इसके लिए आप अच्छी व्यवस्था करें ताकि हड्डी वगैरह का पैसा ठीक मिल सके। जब कलेक्टर ठेका देता है तो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत समिति का एक साथ ठेका दे दें तो अच्छा हो ताकि आमदनी भी पंचायत समिति की हो जाये और दूसरी धक्का मुक्की भी बन्द हो जाये। आप इसके लिए भी देखें।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि पशु मेलों की आमदनी पहले पंचायत समितियों को हुआ करती थी। आज हालत यह है कि कृषि मण्डी और बीच में आ गयी। तो कौन इसका सही अधिकारी है। पंचायत समिति भी टैक्स वसूल करती है और कृषि मण्डी भी। पशु बेचने वाले और लेने वाले दोनों को ही दिक्कत खड़ी हो गयी। इसलिए पशु मेले की जो आमदनी है उसके लिए यह निश्चित कर दिया जाये कि यह पंचायत समिति की होगी या कृषि मण्डी की। अगर कृषि मण्डी इसको लेना चाहती है तो इसको पंचायत समिति से विथड्रा कर लें या कृषि मण्डी से पहले तय कर लिया जाये कि वह पैसे दे दे और अपनी व्यवस्था करे। यह तो कोई व्यवस्था नहीं हुई कि कृषि मण्डी उसका पैसा ले और वही वसूली करे। कृषि मंडी को देना चाहते हैं तो उसको दे दें लेकिन आप कोई तो उचित व्यवस्था करें।

बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो इस बिल में नहीं आई हैं। हमारे यहां सबसे बड़ी दिक्कत मास्टरों की है और उनके मेडिकल के पैसे और टी. ए., डी. ए. के पैसों की है। तो जो मास्टर मेडिकल उठाते हैं वह

(श्री अजीत सिंह)

एजूकेशन डिपार्टमेन्ट दे क्योंकि आज पंचायत समितियों की हालत बहुत ही खराब है। अगर आप मेडिकल के पैसे पंचायत समितियों की निजी आय से उठवाते हैं तो उनकी हालत और भी खराब हो जायेगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों की जीपें तो सरकार ने अपनी बेगार में में गिन ली हैं। पंचायत समितियां उनकी मरम्मत करायें, उन पर पैसा खर्च करें, ड्राईवर रखें और जब भी कोई काम आये आप फौरन उनसे ले लेते हैं और हर प्रोग्राम में वह जीपें डिस्ट्रिक्ट पूल में चली जाती हैं। इससे पंचायत समितियों का तो सारा विकास का काम ठप्प हो जाता है। तो इसके लिए आप कोई व्यवस्था करें। पंचायत समितियों की जीपें सरकार का काम करें या अपना काम करें। हालत यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है और इसका टी. ए., डी. ए. अलाउन्स सारा का सारा खर्चा पंचायत समिति पर आ जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा...

श्री ओंकारलाल चौहान : अब पंचायत समिति का क्या काम बाकी रह गया है ?

श्री अजीतसिंह : जो यह बीस-सूत्री कार्यक्रम है, यह सारा का सारा आप पंचायत समितियों के द्वारा ही करा रहे हैं और कौन कर रहा है। यह सारा का सारा भार पंचायती राज के ऊपर ही है। यहां पर सभी जिला प्रमुख और प्रधान रह चुके हैं। सभी जानते हैं कि हालत क्या है ?

मैं यह चाहूंगा कि जो मोटी मोटी बातें मैंने यहां पर रखी हैं, उन पर आप गौर कर वित्तीय स्थिति पंचायत समिति की देखें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे वे सुचारु रूप से काम कर सकें।

श्री सभापति : श्री गोरधनसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री सज्जनसिंह।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, केवल इतना ही निवेदन करना पर्याप्त समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता मुझे तो प्रतीत नहीं होती है। न तो ऐसे कोई कर्मचारी 59 से आज तक चले आ रहे हैं जो अस्थायी हैं और अगर कहीं हैं तो उनका स्थायित्व आज से पूर्व कभी का हो जाना चाहिये था। फिर भी सरकार की यह मान्यता है कि इस क्लाज, अमेन्डमेन्ट के माध्यम से वह कमी पूरी की जाएगी तो अवश्य करें।

पंचायती राज के बारे में अपने विचार अनेकों बार अवसर प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर चुका हूं। आज इरादा तो नहीं था परन्तु माहौल ऐसा मिला कि सोचा मुझे भी अपने विचार प्रस्तुत कर ही देने चाहिए।

वैसे संविधान के अन्दर निदेशक सिद्धान्तों में पंचायती राज को सबल करना राज्य का कर्त्तव्य रखा गया है। हमारे राज्य ने किसी जमाने में बड़ा गर्व किया था कि उसने इस प्रकार का डेमोक्रेटिक

(श्री सज्जन सिंह)

डि-सेन्ट्रलाइजेशन किया है और विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सत्ता को गांवों में पहुंचा दिया है। आज जो इसका हस्र हुआ, वह इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं, राजस्थान का हर नागरिक अच्छी तरह से जानता है, चाहे वह शहर का रहने वाला हो, चाहे वह गांवों का रहने वाला हो। गांव के लोगों को बड़ी आशाएं थीं कि पंचायती राज के माध्यम से विकास होगा। कुछ प्रक्रिया प्रारम्भ भी हुई थी लेकिन सामन्तवाद के भग्नावशेष, पूंजीवाद में प्रविष्ट होने वाले लोग, यह चाह रहे थे कि यथा संभव हर प्रकार के तरीके से धन-संग्रह किया जाये, उन लोगों ने इस पंचायती राज को जहर पिलाया। सभापति महोदय, इस पंचायती राज की जो हालत है, सभापति महोदय, वह केवल उन्हीं लोगों के कारण हुई है जिन्होंने अपने धन के बल पर इस पंचायती राज पर कब्जा कर लिया। मैं इसमें सन्देह नहीं करता कि शायद राज्य सरकार कम्युनिटी डवलपमेन्ट की फिलोसफी पर सेन्ट्रल से गाइडेन्स ले रही है, इसमें भी सन्देह नहीं करता कि राज्य सरकार का मानस इस सम्बन्ध में क्लीयर है या नहीं। मैं इस बात पर भी सन्देह नहीं करता कि राज्य सरकार इस विषय पर कभी सोचती भी है या नहीं, परन्तु यह ढांचा ढह रहा है। यह अस्थि-पंजर रह गया है जिसमें न खून है, जिस पर न मांस है, जिसकी आत्मा खत्म हो चुकी है इसको आप कब तक चलाते जाएंगे, यह तो आपके सोचने का विषय है। दुनिया तो यह मान चुकी कि पंचायती राज समाप्त हो चुका है। इसको तो आप समाप्त करने की घोषणा कर दीजिये कि अब पंचायती राज नहीं। अब वह डि-सेन्ट्रलाइजेशन का उत्साह समाप्त हो गया है। आपके कम्युनिटी डवलपमेंट के मंत्रालय को फिनिश करके भारत सरकार ने उसे मिनिस्ट्री आफ कामर्स और मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर में अमलगमेट कर दिया है। आप भी यह घोषणा कर दीजिये अन्यथा, मान्यवर, यह आपकी जीप जब गांवों में दौड़ती है, यह आपका अक्षम विकास अधिकारी गांव में जाकर अपनी अयोग्यता का प्रमाण देता है तो शर्म से सिर नीचे झुक जाता है। फेमिली प्लानिंग का विरोध होता है। आप फेमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो फेमिली प्लानिंग हुआ क्या? आपने कुछ नहीं किया और हमको भी कुछ करने नहीं देते? अधिकारियों के अन्दर काम करने की क्षमता, आपने, हमने किसी ने पनपने नहीं दी। जितनी योग्यता उनमें है, जैसी कार्य क्षमता है, जैसी क्षमता वे आज तक अर्जित कर सके हैं, उसी का तो परिणाम आयेगा। इस हकूमत के अन्दर ब्यूरोक्रेसी की मेन्टेलिटी का आई.ए.एस., आई.सी.एस. के रुख के अनुरूप गांवों में प्रदर्शन होता है, शक्ति का प्रदर्शन होता है। उनको समझाने की बात न कर पकड़ कर लाया जाता है। उनके साथ धोखा किया जाता है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, कोई यह नयी बात नहीं है, सेवाओं के बल के कारण, सर्विसेज की गलती के कारण अगर आज इस प्रोग्राम को धक्का लगता है और आप भी इसको एक्सप्लाइट करें तो यह अशोभनीय है। इमर्जेन्सी में ऐसी बात सोचना उचित प्रतीत नहीं होता। यह स्पष्ट निवेदन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। आपको इस प्रोग्राम को सफल बनाने के

(श्री सज्जन सिंह)

लिए कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देने चाहिये थे। आप केवल इसका मखौल उड़ाना चाहते हैं। अगर मखौल उड़ाना ही आपका ध्येय है, मखौल उड़ाना ही आपका कर्तव्य है तो मुझे कुछ नहीं निवेदन करना है। मैं अपेक्षा यह करता था कि आप सुझाव देंगे। मैं आपके किसी एक सुझाव के प्रति कतई किसी प्रकार की सद्भावना नहीं रख सकता। मैं इसलिए यह निवेदन कर रहा था कि जो वास्तविक स्थिति है, उसको सही रूप में पहचानें। अगर आप यह महसूस करते हैं पंचायती राज से गरीबी मिटेगी तो आपको कन्स्ट्रक्टिव आल्टरनेटिव सजेशन देने चाहिये थे। मैं यह निवेदन कर रहा था कि कम्युनिटी डवलपमेंट की आइडोलोजी को भारत सरकार ने शेल्व कर दिया है। अगर भारत सरकार इसके मुतल्लिक कुछ और तरीके से सोच रही है, आप कुछ तरीके से सोच रहे हैं तो इसकी भी आपको स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये। आप इस पंचायती राज के इस जर्जरित, चरमराते, टूटे-फूटे अस्थि-पंजर को कितने बर्सें तक और धक्का देंगे? इससे भी मुझे कोई उपलब्धि होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती।

मान्यवर, अगर आप चुनाव कराते हैं जैसा कि आपका ख्याल है आज चुनाव कराएंगे तो शायद कुछ होगा। आपका यह चैलेन्ज हम ने स्वीकार कर लिया है। आप तो कुछ नहीं कर सकेंगे। हां, हमारे ही कुछ इधर-उधर हो जाएंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि सरकार के लिए चुनाव कराने की बात हो तो कोई भारी उपलब्धि नहीं हो जायेगी। पंचायती राज में आज जितनी जैसी शक्तियां हैं, आज जैसी हालत है, उसमें आप चुनाव कराएंगे तो पंचायती राज में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। किस तरह का पंचायती राज आप चाहते हैं? आप यह चाहते हैं कि मोटरें यहां से वहां दौड़ा करें? आप यह चाहते हैं कि वहां पर धन का अपव्यय हो, आप चाहते हैं कि शक्ति नष्ट हो....

श्री मीठालाल मीणा : आप हम से क्या कह रहे हैं?

श्री सज्जनसिंह : सभापति महोदय, इनके माहौल ने मुझे प्रेरित किया था मैंने आपके तर्कों का जवाब दिया था लेकिन आप इतने उद्वेलित हो गये हैं कि आप जवाब सुनना पसन्द नहीं करते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : पनाह मांग गये।

श्री सभापति : आर्डर! आर्डर प्लीज!

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप गवर्नमेंट से बात करें।

श्री विजयसिंह मांडल: जवाब भी दे रहे हैं और आर्डर प्लीज़ भी कर रहे हैं।

श्री सज्जनसिंह : जवाब में उस प्रसंग में दे रहा था जो तर्क हाउस में मैंने सुने और सरकार को निवेदन कर रहा था वह उस प्रसंग में कर रहा था कि वह आइडियोलोजी जो करीब करीब शेल्व कर रहे हैं...

श्री परसराम मदेरणा : आपका सुझाव क्या है ?

श्री सज्जनसिंह : मेरा सुझाव यह था जिसको सुनने के लिए आप अत्यधिक आतुर हैं इसकी तो मुझे खुशी है ।

श्री परसराम मदेरणा : उनको (विपक्ष) तो आप उत्तर दे रहे हैं लेकिन आपके कन्स्ट्रक्टिव सुझाव क्या हैं ?

श्री मीठालाल मीणा : उत्तर ।

श्री परसराम मदेरणा : आप बैठ जाइये । आप बहुत बीच बीच में बोलते हैं । आपकी आदत हो गई है । It is incurable disease. This disease has gone deep into you.

आप कोई कन्स्ट्रक्टिव सुझाव तो दें आप जर्जरित ढांचे की बात तो करते हैं । आपने लच्छेदार और आकर्षक भाषा का प्रयोग किया है तो भाषा पर आप का अधिकार है, लेकिन पंचायती राज किस तरीके से चले और जनता का इसमें कैसे विश्वास हो और जनता की क्या आकांक्षाएं और आवश्यकताएं हैं । सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिये ? आप जिला परिषद् के प्रमुख पिछले 12 सालों से हैं तो आपके अनुभूत सुझाव क्या हैं वह गवर्नमेंट को दीजिये । आपने क्रिटिसिज्म तो उनका किया यह ठीक किया, गवर्नमेंट को भी आप आड़े हाथों ले रहे है लेकिन आप क्या सुझाव दे रहे हैं ? हम उम्मीद करते थे कि आपका अनुभव बहुत है पंचायती राज की संस्थाएं और संस्थानों के चलाने का और आपने बहुत बड़ा रोल इसमें अदा किया है, और उसकी जो कुछ स्थिति है उस स्थिति को लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है ।

श्री विजयसिंह : माननीय उपनेता, इनको मंत्री बना देते तो बहुत कुछ कर देते ।

श्री मीठालाल मीणा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि· · ·

श्री सभापति : निवेदन उधर से हो रहा है उसको सुन लें ।

श्री सज्जनसिंह : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से संयम रखने के लिए प्रार्थना करूंगा ।

मैं उस पॉइन्ट पर आ ही रहा था । मेरे विचार प्रस्तुत करने से पूर्व विरोध के जो तर्क मैंने सुने उनका उत्तर दे रहा था । मैं सरकार से अपेक्षा करता था कि आपने जितनी बार पंचायती राज का गम्भीर चिन्तन और अध्ययन करने के लिए कमीशन्स बैठाये उन कमीशन्स की रिपोर्ट पर कभी आपने विचार भी किया ? कभी आपकी केबिनेट के अन्दर विचार किया गया ? कभी आपने विचार करने का कष्ट भी किया ? यह भी हमें मालूम होना चाहिए था । मैं तो यह चाहता था कि पंचायती राज को इससे भी अधिक अधिकार दिये जाते । मैं तो यह चाहता था कि पंचायती राज को लैण्ड रेवेन्यू में एक पर्टीक्यूलर शेयर दिया जाय । मैं तो यह भी चाहता था कि पंचायती राज को टैक्स वसूली के तो आपने अधिकार दिये हैं लेकिन टैक्स वसूल करने के अन्दर क्या मदद की ? आप भी उस कलंक के भागीदार बने अगर आप इसको कलंक समझते हैं । मैं यह भी चाहता था, मान्यवर, आप उनकी शक्तियों

(श्री सज्जनसिंह)

के विस्तार करने की क्षमता, जो गांवों के लोगों में है, को सबल बनाते, मैं तो यह भी चाहता था, मान्यवर, पंचायती राज जहां कहीं भी है उनका मार्गदर्शन कीजिये। कोआपरेटिव का प्रोग्राम बना तो उसको सब लोगों के सुपुर्द कर दीजिये। मैं यह भी चाहता था कि कोआपरेटिव का जो प्रोग्राम है उसको पंचायती राज के सुपुर्द कर दें। मैं यह भी चाहता था कि प्राइमरी एजूकेशन के लिए हमारे ऊपर कलंक लगाया जाता है कि पंचायती राज के सुपुर्द करने के बाद वहां पर बंटाढार हुआ है वह भी हमें सुपर्द नहीं किया, न सुपुर्द करते हैं, न करना चाहते हैं और न करने देना चाहते हैं। इसलिए दुःख होता है। इस बात का निवेदन करता हूं कि आप अपना मानस स्पष्ट कीजिये, आप अपने विचार स्पष्ट कीजिये, आप अपने ध्येय स्पष्ट कीजिये, आप अपने उद्देश्य स्पष्ट कीजिये। आखिर आप पंचायती राज को कायम करना चाहते हैं।

चुनाव के बारे में मैं यह निवेदन कर रहा था कि चाहे हर साल या हर तीसरे साल करवा दें चुनाव तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है, उससे वास्तव में डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं होने वाला है, उससे वास्तव में गांवों में जो पिछड़ा वर्ग है उसकी तरक्की करने की सम्भावनाएं छिन जायंगी वहां पर माहौल ऐसा बन गया है कि जिन लोगों के पास, जिन गांवों के पास पैसा है उन लोगों ने अस्पताल बनाये हैं, उन्हीं लोगों ने स्कूलें बनाई हैं, उन्हीं लोगों ने कालेज बनाये हैं, वही लोग कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम यह चाहते थे कि कमजोर से कमजोर वर्ग, गरीब से गरीब तबके को यह सुविधाएं पहुंचाएं, यह अवसर आपने नहीं दिया। आपने उनकी हिम्मत और उत्साह को दबोच दिया, जब आपने यह देख लिया कि इन शक्तियों में डिस्टर्बेन्स होने जा रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपको अपने मानस को क्लीयर करना होगा। आप कम्युनिटी डवलपमेंट की फिलासफी पर पुनः विचार कर लें, आप हाइएस्ट लेवल पर इस बात पर अराइव एट कर लें कि वास्तव में आप संविधान के निदेशक सिद्धांतों के प्रति कितने वफादार, कितने ईमानदारी हैं और कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उसमें यह निर्देश है कि पंचायती राज को अधिक से अधिक सबल बनायेंगे। उसमें यह भी निर्दिष्ट है कि पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे। आपने लघु उद्योगों की बात की, कई गांवों के अन्दर कई प्रकार की नई योजनाओं की बात की, फिर बात करके हाफ हार्टेडली बन्द कर दी। आपने एक्सपेरीमेंट के बाद एक्सपेरीमेंट किये, आपने इतना एक्सपेरीमेन्टेशन कर दिया कि आपके इन्स्ट्रूमेंट सारे बेकार हो गये। आपकी सर्विसेज में कोई क्षमता न रही कोई व्यवस्था न रही। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जब तक पंचायती राज की फाइनल रिपोर्ट, जो गिरधारी लाल व्यास कमेटी ने दी है, पर विचार करके उसके स्वरूप पर आप अपना निर्णय नहीं कर लेते हैं तब तक हमारी चुनाव की मांग करना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। आपका चुनाव करवा देना केवल आपके बजट में से नया खर्चा ही करना है। उससे कोई विशेष अन्तर पड़ने वाला नहीं है। आज कोई अंधकार नहीं है और कल कोई उजाला नहीं हो जायगा। आखिर जब तक पंचायत समिति

(श्री सज्जनसिंह)

और जिला परिषद् की स्कीम को नहीं बदल देते, उस पर कोई निर्णायक विचार नहीं कर लेते तब तक चुनाव को स्थगित करने की बात या चुनाव को जल्दी कराने वाली बात से बड़ी भारी उपलब्धि होने की सम्भावना हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है।

मान्यवर, मैं बातें तो कई अर्ज करना चाहता था लेकिन बीच में माननीय सदस्यों के द्वारा व्यवधान उपस्थित किये गये व हमारे उपनेता द्वारा काफी गम्भीरता के साथ की गई चुनौतियों का विचार रखकर मैं मेरे विचारों को संतुलित ढंग से जिस तरीके से प्रस्तुत करने जा रहा था नहीं कर सका। मगर आपने जो मुझे अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, पंचायत) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् (संशोधन) बिल, 1974 आज सदन में प्रस्तुत किया गया है। उसके सम्बन्ध में बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की कि संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट, 1959 की धारा 86 की उप-धारा 6 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि नियुक्ति राजस्थान सेवा चयन द्वारा ही की जा सकेगी। उप-धारा में पंचायत को यह आथोरिटी है कि 6 माह की अवधि में उपलब्ध नहीं होने पर अस्थाई नियुक्ति कर सकती है तथा यह अवधि जिला परिषद् के परामर्श से आगे बढ़ाई जा सकती है हमने प्रारम्भ में ही लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया को स्वीकार किया था। तभी कुछ स्थानों पर ऐसे लोग थे जो कहीं पंचायत द्वारा रखे जाने पर अध्यापक का कार्य कर रहे थे। कहीं पंचायतों द्वारा उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में रखा गया था। ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं पंचायत समितियों ने प्रारम्भिक रूप से पंचायत की सेवा में मान कर उनको अपनी सेवा में ले लिया। राजस्थान में ऐसे कुल 15 व्यक्ति थे जिनको विभिन्न पंचायत समितियों ने रखा जो कि ग्राम सेवक, अध्यापक आदि पदों पर थे। उनके लिए केवल 6 माह की नियुक्तियां कर सकते थे या जिला परिषद् के द्वारा डेढ़ वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकते थे। इस प्रकार का उस समय कानून था। उसको देखते हुए इस प्रकार का निर्णय कर दिया गया था ताकि वह लम्बे समय तक चलते रहें। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्तियों के लिये अनुकूल परिस्थितियां पैदा करनी होंगी। इसलिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है जिनको पहले कानून के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता था, उनको इस संशोधन के जरिये से नियमित करने का निश्चय किया गया है। ऐसे राज्य कर्मचारी केवल 15 हैं। केवल 15 व्यक्तियों को नियमित करने के लिए संशोधन रखा है यह संशोधन रखने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है कि उस समय नियमित करने का प्रावधान नहीं होने से उन सेवाओं को नियमित नहीं कर रहे थे। जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उन लोगों की संख्या कितनी है। मैंने कहा था कि 15 है। कोई सन् 1954 से, कोई सन् 1959 से, और कोई सन् 1960 से थे। ऐसे ऐसे पुराने कर्मचारी थे। उन्हीं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

का प्रस्ताव आपके सामने लाये हैं। इसका संशोधन बिल प्रस्तुत किया जाना था। संशोधन बिल के बारे में माननीय सदस्यों को एक ही ऐतराज था कि वह सेवायें नियमित कर दी गई है या नहीं ? जब तक इस एक्ट में अमेण्डमेंट नहीं करेंगे तब तक जो पंचायत समितियों ने अभी तक कार्य किया है, वह भी अवैध माना जायगा कर्मचारियों के बारे में और जो ऋण लिया गया है, वह भी वापिस करना हो सकता है। इसलिए यह संशोधन आपके सामने रखा है। सदन इस पर विचार करे और पारित करे।

जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है, कई माननीय सदस्यों ने आवश्यकता नहीं समझ कर इसकी आवश्यकता नहीं मानने पर जोर दिया। चाहे वह अलवर से आने वाले माननीय सदस्य हों, दौसा या टोंक से आने वाले माननीय सदस्य हों अथवा लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य हों। उन्होंने विरोध में कुछ नहीं प्रकट किया है। तो जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है, मैं ऐसा मानता हूं कि सभी माननीय सदस्य इससे सहमत हैं। इस संशोधन के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने पंचायत राज के सम्बन्ध में, राज्य सरकार की नीति के सम्बन्ध में चर्चा की है। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है, क्या सरकार का इरादा चुनाव कराने का नहीं है ? एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है कि हम को चुनाव कराने चाहिये या नहीं। ऐसा उन्होंने कहा। पंचायत राज द्वारा हमने लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त स्वीकार किया था। हम उस पर आज भी दृढ़ हैं। राज्य सरकार का वापिस हटने का कोई इरादा नहीं है। यह बात सही है कि इसके स्वरूप के आधार पर इसको किस प्रकार के अधिकार सौंपे जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने समय समय पर कमेटी का गठन किया था। पिछली बार जो कमेटी गठित की गई है, वह माननीय गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में गठित की गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है। उसकी जो सिफारिशें थीं कि न्याय पंचायतों को भंग करके सभी का पंचायत स्तर पर गठन कर लिया जाये। राज्य सरकार ने एक सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। बाकी में आर्थिक भार भी है। वह रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है। उस रिपोर्ट पर शीघ्र ही राज्य सरकार निर्णय लेगी। जिला परिषद् के बारे में कमेटी की जो राय है, उसके बारे में निर्णय लिया जा सकेगा। जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, मैं इतना ही कह सकता हूं।

दौसा से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि मैंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। दूसरे जो थे उनका दिया था। देश में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जिससे कि चुनाव की स्थितियां आगे बढ़ती रही हैं।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई पंचायतों की चुनाव सीमाएं हैं, उनमें विवाद उत्पन्न हो गया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों कइयों की चुनाव सीमाएं बढ़ा दी हैं। नगरपालिकाओं की चुनाव सीमाएं बढ़ा दी हैं। सीमाएं बढ़ाने से 3 गांव आ गये हैं, कुछ गांव रह गये हैं कुछ गांव मिल गये हैं इस प्रकार से कई गांव हैं जिनकी सीमाएं बढ़ाने से पंचायतों

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

पर असर पड़ा है क्या उनका अस्तित्व रहे? जब तक हम इस बारे में ठीक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तब तक चुनाव कराना सम्भव नहीं होगा। पंचायत सीमा पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में एक सुझाव आया था कि इनका डिलिमिटेशन होना चाहिये। जैसे तहसील है। इन सभी प्रश्नों पर राज्य सरकार विचार कर रही है जब भी यह स्थितियां तय हो जायेंगी, राज्य सरकार को चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उधर बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि अगर चुनाव हो जाते तो कांग्रेस की हार हो जाती। मैं इस बारे में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो नगरपालिकाओं के चुनाव हुए हैं उसमें 39 में से एक को छोड़ कर सारे के सारे स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्यों को ध्यान होगा, अक्टूबर महीने में जो चुनाव कराये गये तो चुनाव में कांग्रेस को शतप्रतिशत सफलता मिली है। इसलिए यह समझना गलत है कि हार के डर से चुनाव कराने का इरादा नहीं है। हमें इसका डर नहीं है। इस आवश्यकता को जब भी पूरा कर लिया जायगा तभी चुनाव कराये जायेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कितना समय लगेगा?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह कमियां कब तक पूरी हो जायेंगी, कुछ बता सकेंगे?

श्री सज्जनसिंह : यथासंभव शीघ्र।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक निश्चित अवधि की बात है, यह कानून का मामला है। किसी पंचायत को भंग करके, उसके लिये जो एक कानून सम्मत प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसका समय दिया गया है। और भी कई प्रकार के काम हैं, ये सब जब तक पूरे नहीं हो जायेंगे तब तक आगे की कार्यवाही कैसे संभव हो सकती है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं उन सब पर निर्णय हो जाने के बाद चुनाव मन्त्रीजी को निवेदन कर दिया जायगा, जब सारे कार्य सम्पादित हो जायेंगे तो चुनाव की·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : फरवरी में होंगे कि नहीं?

श्री मीठालाल मीणा : फरवरी के लिये तो सरकारी घोषणा है।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : क्या? फरवरी में क्या?

श्री रामानन्द अग्रवाल : फरवरी में चुनाव होंगे या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बस यही चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत मन्त्रीजी ने कहा है कि इसकी आशा करनी चाहिए तो···

श्री परसराम मदेरणा : अभी विधि मन्त्रीजी ने भी राज्य सभा में कहा है कि प्रधान मन्त्रीजी चाहें तो इलेक्शन करवा सकती हैं, यह भी एक आशा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सरकार चुनाव कराना चाहती है, सरकार का इरादा चुनाव कराने का है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि कुछ फार्मेलिटीज पूरी होनी हैं जिनको पूरी कर लेने के बाद, राज्य में असामान्य स्थिति नहीं बनती है तो निश्चित रूप से चुनाव कराये जायेंगे।

श्री सज्जनसिंह : बिल्कुल सहमति है, कोई तारीख निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : माननीय मंत्रीजी ने हमारी बात मानी है। चुनाव की तिथि निश्चित नहीं की, हमने कहा था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायतों का ढांचा जर्जरित हो गया है, कई आदमी पैसा खाकर चले गये हैं, उनका पता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है किसी को भी न तो राजनैतिक कारणों से सस्पेन्ड किया जाता है और न कराया जाता है, ये दोनों बातें मैं स्वीकार करके नहीं चलता। अगर किसी आदमी ने कुछ गम्भीर अनियमितताएं की हैं और जांच से वह साबित हो जाती हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। राजस्थान में कई सरपंचों के खिलाफ एक्शन लिये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप किसी भी सरपंच के सम्बन्ध में ऐसी कोई अनियमितता की सूचना देंगे तो उसकी जांच करवाई जायगी और जांच से मामला सही पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री मीठालाल मीणा : मैंने निवेदन है किया कि एक्शन नहीं किये गये हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जांच के आधार पर और तथ्यों के आधार पर फैसला किया जाता है और भविष्य में भी ऐसा ही किया जावेगा। माननीय सदस्य ने लालसोट का एक किस्सा बतलाया था। उसके बारे में मैंने निवेदन किया।

टौंक के बारे में यह प्रश्न पहली बार रखा गया है, जो भी तथ्य होंगे उनके अनुसार उचित कार्यवाही की जायगी। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायत समिति द्वारा निर्धारित टैक्स और कृषि उपज समिति के टैक्स के बारे में जो सुझाव दिये हैं उनके बारे में विचार किया जाकर सरकार आवश्यक निर्णय लेगी। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको मंजूर किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

Page No.71

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976 विचारार्थ लिया गया।

पारित करने के लिये प्रस्ताव। माननीय मंत्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.45 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।)